


सर्व शिक्षा अभियान

परसंपिक्टव प्लान

(2002 – 2007)



जनपद - बागपत

अनुक्रमणिका

जनपद बागपत

क्र०सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जिले की पृष्ठ भूमि	1 - 7
2	शैक्षिक परिदृश्य	8 - 30
3	नियोजन प्रक्रिया	31 - 48
4	सर्व शिक्षा अभियान	49 - 55
5	संग्रहण एवं रणनीतियाँ	56 - 61
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (प्राथमिक विद्यालय)	62 - 68
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)	69 - 93
8	ठहराव में वृद्धि	94 - 136
9	प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ताक उन्नयन	137 - 180
10	परियोजन प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	191 - 203
11	परियोजना लागत	
12	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	

अध्याय-1

जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

जनपद बागपत एक नव सृजित जनपद है जिसका सृजन पूर्व जनपद गेरठ से अलग होने पर सितम्बर 1997 को हुआ। जनपद बागपत को पूरब में हिन्दन नदी गेरठ से अलग करती है। जनपद बागपत हिन्दन और यमुना नदी के दोआब में स्थित है। जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 1246.6 वर्ग किलोमीटर है।

जनपद में कुल तीन तहसील, 6 विकास खण्ड हैं, 46 न्यायपंचायतें व 237 ग्राम सभाएँ तथा 287 प्राग हैं। जनपद की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार अनुमानित 1160394 है जिनमें 627886 पुरुष और 532508 महिलाएँ हैं।

जनपद बागपत उत्तर में जनपद मुजफ्फरनगर, पूरब में जनपद गेरठ, दक्षिण में जनपद गाजियाबाद तथा पश्चिम में जनपद सोनीपत (हरियाणा प्रदेश) की सीमाओं से घिरा हुआ है। जनपद बागपत भारत की राजधानी दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर है।

देश की आजादी की कान्ति का शंखनाद करने वाले बाबा शाहमल की त्यागमयी व दक्षिणायनी भूमि से अनेक शौर्य गाथाएँ जुड़ी हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का धनी समूचा बागपत जनपद किसी तीर्थस्थल से जन नहीं है। पावन तीर्थ पुरामहादेव से करोड़ों हिन्दुओं की भावनाएँ जुड़ी हैं। हिन्दन नदी के किनारे एक टीले पर शिव मन्दिर है जिसकी स्थापना किंवदन्ती है कि भगवान परशुराम ने की थी। खेकड़ा करबे से 6 कि०मी० की दूरी पर स्थित बड़ा गाँव दिगम्बर जैन समाज का महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर भगवान पार्वनाथ की पौराणिक प्रतिमा की भव्यता की छटा निराली है। धार्मिक संस्कृति की दृष्टि से बालैनी गाँव का अतीत भी कम गौरवमयी नहीं है इसी स्थली पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीताजी ने अपने वनवास का अवधि प्रवास किया, यही लव और कुश की जन्मस्थली भी है। सूर्य पुत्री यमुना नदी के पूर्वी

किनारे पर स्थित बागपत का पौराणिक नाम वकरथल था। कहा जाता है कि महाभारत में पांडवों द्वारा मांगे गये पांच गांवों में वकरथल भी एक था। बागपत में ही यमुना नदी के किनारे स्थित पक्का घाट का भी श्रद्धालुओं की भक्ति से जुड़ाव है। दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर संरूपुर गांव के समीप गुफावाले बाबा का ऐतिहासिक मन्दिर है। बिनौली के पूर्वी भाग को लश्कर के नाम से जाना जाता है जहां मुगलों की सेना (लश्कर) का पड़ाव होता था। दिगम्बर जैन समाज का अतिशय क्षेत्र बरनावा भक्ति का अटूट केन्द्र है। बरनावा का पौराणिक नाम वर्णाव्रत है जिसका उल्लेख महाभारत में है यहीं पांडवों को मारने के लिए दुर्ोधन ने साजिश के तहत लाक्षाग्रह बनवाया। बड़ौत छपरौली मार्ग पर स्थित मलकपुर गांव में दिगम्बर जैन अतिशय मन्दिर तथा कुन्ती नगर (कोताना) समेत धार्मिक एवं ऐतिहासिक संस्कृति बागपत जनपद के अनेक स्थानों का गौरवमयी अतीत है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौ०चरण सिंह की कर्मस्थली भी रहा है।

जनपद बागपत में अधिकांश व्यक्तियों का पेशा कृषि है। यहां की मुख्य फसलें गन्ना, गेहूं व धान हैं। जनपद में तीन चीनी मील, खंडसारी उद्योग भी प्रचुर हैं। जनपद में पशुचालित वाहन रिम धुरें आदि भी बनते हैं। जनपद में ईट, बट्टों की भी बहुतायत है। यहां की ईटें प्रमुख रूप से दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में जाती है। जनपद फलों का राजा आम आनी विश्वप्रसिद्ध किस्म रटौल के लिए विख्यात है। आम के साथ-साथ यहां पर अंगूर व आड़ू की खेती भी प्रमुख है।

जनपद में दर्शनीय स्थल भी प्रमुख हैं जिसमें पुरामहादेव का मन्दिर, महर्षि बालमिकी मन्दिर बालौली, महाभारत में वर्णित लाक्षाग्रह बरनावा में स्थित है। बडागांव(खेकडा) में ऐतिहासिक जैन मन्दिर भी प्रसिद्ध है।

जनपद बागपत में तीन तहसील हैं जिनके नाम बागपत, बडौत व खेकडा हैं। जनपद में 6 विकास खण्ड हैं जिनके नाम बागपत, बडौत, बिनौली, पिलाना खेकडा व छपरौली है। जनपद में कुल 46 न्यायपंचायत व 237 ग्राम सभाएँ हैं। इन ग्राम सभाओं के अन्तर्गत कुल 287 ग्राम हैं। जनपद में दो नगरपालिका बडौत और बागपत हैं इसमें 8 टाउन एरिया हैं जो छपरौली, टीकरी, दोघट, बडौत, बागपत, टटीरी, अमीनगरसराय तथा खेकडा हैं यहां कुल वार्डों की संख्या 486 हैं।

जनपद की प्रशासनिक इकाईयां तालिका-1.1

क्र०सं०	ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
1	तहसील	03
2	विकास खण्ड	06
3	न्यायपंचायत	46
4	ग्राम सभाएँ	237
5	राजस्व ग्राम	287
6	बस्तियों की सं०	287
	नगर निगम	—
	नगरपालिका	02
	नगरमहापालिका	—
	टाउन एरिया	08
	वार्ड	486

स्रोत - सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बागपत वर्ष 1999

बागपत की वर्ष 2001 की अनुमानित जनसंख्या 1160394 है जिसमें 627886 पुरुष तथा 532508 महिलायें हैं जनपद की 1991-2001 की दशकीय वृद्धि दर 13 प्रतिशत है जनपद में पुरुष-महिलाओं का लिंग अनुपात 100:848 है जनपद का जनसंख्या घनत्व 930 व्यक्ति प्रति कि०मी० है बागपत में अनुसूचित जाति के पुरुषों की जनसंख्या 79917 तथा अनुसूचित महिलाओं की जनसंख्या 69238 है इस प्रकार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 149155 है जो कुल जनसंख्या का 12.8 प्रतिशत है अल्प संख्यकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 29.4 प्रतिशत है बागपत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 19.7 प्रतिशत है बागपत में 80.3 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है

जनपद की जनसंख्या

तालिका-1.2

2001 के अनुसार अनुमानित	पुरुष-627886
	महिला-532508
	योग- 11,60,394
वृद्धि दर	13 प्रतिशत (1991-2001)
लिंग अनुपात	1000 पुरुषों पर 848 महिलाएँ
जनसंख्या घनत्व	930 व्यक्ति प्रति वर्गकिलोमीटर
अनुसूचित जाति	पुरुष- 79917
	महिला -69238
	योग-149155
अल्प संख्यक वर्ग	29.4 प्रतिशत

नगरीय जनसंख्या	19.7 प्रतिशत
ग्रामीण जनसंख्या	80.3 प्रतिशत

स्रोत—साहित्य पब्लिकेशन आगरा द्वारा प्रकाशित पुस्तक जनसंख्या 2001

बागपत में कुल 6 विकास खण्ड हैं इन विकास खण्डों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विकास खण्ड बड़ौत है जिसकी जनसंख्या 201399 है दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से विकास खण्ड बिनौली है जिसकी जनसंख्या 186419 है विकास खण्ड पिलाना की जनसंख्या 144288 है जो जनपद में इस दृष्टि से तीसरे स्थान पर है विकास खण्ड बागपत की जनसंख्या 142388 है जो इस दृष्टि से चौथे स्थान पर है विकास खण्ड छपरौली का स्थान पांचवां है तथा इसकी जनसंख्या 130922 है विकास खण्ड खेकड़ा जनपद का सबसे छोटा विकास खण्ड है जिसकी जनसंख्या 126197 है।

विकास बिनौली में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 23276 है जो जनपद में सर्वाधिक है विकास खण्ड बड़ौत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 23076 है जो इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है विकास खण्ड पिलाना में 20924 अनुसूचित जाति जनसंख्या लेकर तृतीय स्थान पर है विकास खण्ड खेकड़ा में अनुसूचित जाति जनसंख्या 19406 है जो चौथे स्थान पर है विकास खण्ड बागपत अनुसूचित जाति जनसंख्या 16300 लेकर पांचवे स्थान पर है विकास खण्ड छपरौली में अनुसूचित जाति जनसंख्या 12879 है जो जनपद में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला विकास खण्ड है।

जनपद में 8 टाउन एरिया हैं इनमें जनसंख्या की दृष्टि से नगर क्षेत्र बड़ौत सबसे बड़ा है जिसकी जनसंख्या 85511 है जनपद में अमीनगरसराय टाउन एरिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है जिसकी जनसंख्या 10080 है। राज्य साक्षरता दर प्रतिशत की तुलना में जनपद बागपत उत्तर प्रदेश में 40 वें स्थान पर है

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

तालिका-13

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 2001					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जा0 की जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बडौत	109720	91679	201399	12607	10469	23076
2	छपरौली	70995	59927	130922	7085	5794	12879
3	बिनौली	101285	85134	186419	12711	10565	23276
4	बागपत	77110	65278	142388	7742	8558	16300
5	खेकडा	68653	57544	126197	10614	8792	19406
6	पिलाना	77619	66669	144288	11611	9313	20924
	योग	505382	42623	931613	62370	53491	115861
	नगरक्षेत्र का नाम						
1	छपरौली	9628	8054	17682	1375	1193	2568
2	टीकरी	7258	6082	13340	1082	901	1983
3	दोघट	7000	6115	13115	1000	906	1906

4	बडौत	45666	39845	85511	6525	5905	12430
5	बागपत	19297	17167	36464	2757	2544	5301
6	टटीरी	6503	5980	12483	929	886	1815
7	अमीनगर सराय	5298	4782	10080	757	708	1465
8	खेकडा	21854	18252	40106	3122	2704	5826
	योग	122504	106277	228781	17547	15747	33294
	महायोग	627886	532508	1160394	79917	69238	149155

अध्याय-2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद बागपत में मार्च 2001 से जिला प्रशासनिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0-111) का शुभारम्भ हुआ है जिसके अन्तर्गत शिक्षा की पहुंच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकास के विशिष्ट उद्देश्य रखे गये हैं। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रथम वर्ष पूर्ण हो चुका है जिसमें 4 नवीन विद्यालयों 40 जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण 46 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण 200 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण, 6 ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण तथा 228 अतिरिक्त कक्षा कक्षा का निर्माण कराया जा चुका है जिससे शैक्षिक प्रगति की गति तेज करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमान्तर्गत सभी वर्गों का शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि विदित है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मात्र कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के सभी बच्चों को शिक्षित करना है। तदनुसार जनपद में अप्रैल 2002 से सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

जनपद बागपत में 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 62.5 था जबकि ग्रामीण महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 28 था इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र का कुल साक्षरता प्रतिशत 47 था। नगरक्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता दर का प्रतिशत 70.6 तथा नगरीय महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 44.1 था इस प्रकार कुल नगरीय साक्षरता 58.4 थी नगर और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर जनपद में पुरुषों की साक्षरता दर 63.9 तथा महिला साक्षरता दर 31 प्रतिशत थी जनपद की कुल साक्षरता दर 49 प्रतिशत थी।

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार जनपद की साक्षरता दर

तालिका-2.1

ग्रामीण पुरुष	62.5 प्रति०
ग्रामीण महिला	28.0 प्रति०
कुल	47.0 प्रति०
नगरीय पुरुष	70.6 प्रति०
नगरीय महिला	44.1 प्रति०
कुल	58.4 प्रति०
जनपद के पुरुष	63.9 प्रति०
जनपद की महिला	31.0 प्रति०
कुल साक्षरता दर	49.0 प्रति०

स्रोत-जनपद की सांख्यिकी पत्रिका 1999

जनपद की कुल साक्षरता दर वर्ष 2001 के अनुसार 46.7 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण साक्षरता 53.44 तथा नगरीय साक्षरता 58.54 प्रतिशत है नगर व ग्रामीण क्षेत्र को मिला कर कुल पुरुष साक्षरता दर 50.88 तथा महिला साक्षरता दर 41.83 प्रतिशत है जनपद में अनुसूचित जाति के पुरुषों की साक्षरता दर 43.38 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 31.74 है कुल अनुसूचित जाति का साक्षरता दर 37.56 प्रतिशत है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर

तालिका-2.2

जनपद की साक्षरता दर (जनगणना 2001)		दर
कुल साक्षरता		46.73 प्रति०
ग्रामीण साक्षरता		53.44 प्रति०
नगरीय साक्षरता		58.54 प्रति०
कुल पुरुष साक्षरता		50.88 प्रति०
कुल महिला साक्षरता		41.83 प्रति०
अनुसूचित जाति साक्षरता	पुरुष	43.38 प्रति०
	महिला	31.74 प्रति०
कुल		37.56 प्रति०
ग्रामीण पुरुष साक्षरता		64.93 प्रति०
ग्रामीण महिला साक्षरता		39.82 प्रति०
नगरीय पुरुष साक्षरता		66.40 प्रति०
नगरीय महिला साक्षरता		49.49 प्रति०

विकास खण्डवार साक्षरता दर

वर्ष 2001 तालिका-2.3

क्र० सं०	विकास खण्ड	साक्षरता दर (प्रतिशत में)			अनुसूचित जाति (प्रतिशत में)		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	बडात	63.45	37.99	50.72	42.52	29.45	35.98
2	छपरौली	61.20	32.55	46.87	40.24	27.55	33.89
3	बिनौली	61.42	34.45	47.93	41.45	28.72	35.08
4	बागपत	66.43	42.40	54.41	42.12	30.78	36.45
5	खेकडा	66.47	41.95	54.21	41.54	30.23	35.88
6	पिलाना	63.23	40.24	51.73	40.78	29.76	35.27

नगर क्षेत्रवार साक्षरता

तालिका-2.4

क्र० सं०	नगरक्षेत्र का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)			अनुसूचित जाति (प्रतिशत में)		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	छपरौली	65.25	48.23	56.74	45.00	30.2	37.6
2	टीकरी	62.78	45.46	54.12	47.28	30.47	38.87
3	दाघट	63.76	44.37	54.06	44.34	31.23	37.78
4	बडात	64.74	47.48	56.11	47.24	32.73	39.98

5	बागपत	63.47	46.27	54.87	46.28	31.24	38.76
6	टटीरी	64.75	47.34	56.04	47.38	30.45	38.91
7	अमीनगर सराय	61.76	45.73	53.74	46.54	31.23	38.88
8	खेकडा	63.78	44.27	54.025	45.23	30.46	37.84

जनपद में ग्रामीण व नगर क्षेत्र दोनों को मिलाकर कुल 454 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, 200 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय है इस प्रकार जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 654 है माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राईमरी अनुसूचियों की संख्या तीन है जनपद में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ग्रामीण व नगर क्षेत्र मिलाकर 75 है मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 76 है माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 50 है इस प्रकार जनपद में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों (परिषदीय, मान्यता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध) की संख्या 201 है

जनपद में मौखिक विद्यालय ग्राम सफायाद विकास खण्ड खेकडा में स्थित है जनपद में 14 हाई स्कूल 62 एग्रीकल्चर कालिज 9 डिग्री कालिज 1 ग्रीन रजाकेलर मध्यविद्यालय तथा चार तकनीकी संस्थान हैं जनपद में मान्यता प्राप्त मक़तव/मदरसों की संख्या 56 तथा गैर मान्यता प्राप्त मक़तव/मदरसों की संख्या 18 है जनपद में वर्तमान में चार सरकारी पाठशालाएँ भी संचालित हैं जनपद में 73 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र 57 विद्या केन्द्र हैं बागपत में एक फार्मेसी कालिज भी है। डडौत नगर क्षेत्र में डायट की स्थापना भी हो चुकी है जिसका भवन निर्माण चल रहा है।

शैक्षिक संस्थाएँ

तालिका-2.5

क्र०स०		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्राथमिक विद्यालय	434	36	470	131	69	200	549	105	654	10	31	41
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	2	1	3	5	4	9	7	5	12	-	-	-
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	105	8	113	43	33	76	110	41	151	2	6	8
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनु०	-	-	-	35	15	50	35	15	50	-	-	-
5	केंद्रीय विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	नवादाय विद्यालय	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	हाई स्कूल	-	-	-	12	2	14	12	2	14	-	-	-
8	इंटरमीडिएट	-	-	-	44	18	62	44	18	62	-	-	-
9	डिग्री कालेज	-	-	-	2	7	9	2	7	9	-	-	-
10	स्नाकोत्तर महाविद्यालय	-	-	-	-	3	3	-	3	3	-	-	-
11	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	तकनीकी संस्थान (आईटीआई/पालीटेकनिक)	-	-	-	1	3	4	1	3	4	-	-	-
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थानें	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	4	4
14	आगनवाडी केन्द्रों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	मकतब/मदरसे	-	-	-	40	16	56	40	16	56	-	18	18

16	सस्कृत पाठशालाये	-	-	-	4	-	4	4	-	4	-	-	-
17	विकलाग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	बालश्रमिक विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	68	5	73	-	-	-	28	5	33	-	-	-
20	विद्याकेन्द्र	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	डायट	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	फार्मसी कालेज	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जनपद में प्राथमिक शिक्षकों के सृजित पद 1845 हैं इन पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 1667 है वर्ष 2000-2001 में 15 शिक्षा मित्र विद्यालयों में कार्ययोजित किये जा चुके हे वर्ष 2001-2002 में 170 तथा 2003-2004 में 11 शिक्षा मित्र । इस प्रकार कुल स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या 196 है इनमें से 185 विद्यालयों में कार्ययोजित हैं तथा 11 शिक्षा मित्र विद्यालयों के संचालन के बाद कार्ययोजित किये जायेंगे ।

जनपद में परिषदीय उच्च प्राथमिक शिक्षकों के सृजित पद 370 हैं इनके सापेक्ष वर्तमान में 285 अध्यापक कार्यरत हैं 85 अध्यापकों की रिक्तता को अगले वर्ष में समायोजित करते हुए भरा जायेगा

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय) तालिका-2.6

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1845	1667	178	196
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	370	285	85	—

कुल ग्रामों की संख्या तथा राज्य सरकार के मानक के अनुसार असेवित ग्रामों की संख्या (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) कुल बस्तियों की संख्या राज्य सरकार के मानक के अनुसार असेवित बस्तियों की संख्या, (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता।

जनपद बागपत में ग्रामों की संख्या 287 है कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 273 ग्रामों में एक किलो मीटर से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध है 300 से अधिक आबादी वाले 14 ग्राम ऐसे हैं जहां पर बच्चों को एक किलो मीटर से अधिक चलने पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है इन ग्रामों / मजराओं (बड़ी जनसंख्या के गांव) में प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा की आवश्यकता होगी 300 से कम आबादी वाली एक बस्ती ऐसी है जहां पर भी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिए एक किलो मीटर से अधिक जाना पड़ता है। जनपद में सभी बस्तियां प्राथमिक विद्यालयों से सेवित हैं वर्ष 2003-2004के स्वीकृत 11 प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के बाद सभी बस्तियां शत प्रतिशत सेवित हो जायेंगी।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता तालिका-2.7

	1 किलोमीटर से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि०मी० से अधिक किन्तु 1.5 कि०मी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि०मी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसी बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से अधिक है	273	14	—
ऐसी बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से कम है	—	01	—
6 खानों की कुल बस्तियों की संख्या	287		

जनपद में 252 ग्राम ऐसे हैं जिनकी आबादी 800 से अधिक है इन गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा 3 किलो मीटर से कम पर उपलब्ध है । 34 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 800 से अधिक है इन गांवों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलो मीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध हैं एक गांव ऐसा है जिसकी आबादी 800 से कम है तथा यहां भी उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा 3 किलो मीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध है जनपद में वर्ष 2003-2004 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है स्थल चयन की कार्यवाही चल रही है इन विद्यालयों के संचालित हो जाने के बाद जनपद की सभी 287 बस्तियां उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सेवित हो जायेंगी इसलिए नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की मांग नहीं की गयी ।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

तालिका-2.8

	3 कि०मी० से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा०वि० उपलब्ध	3 कि०मी० से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्रा०वि० उपलब्ध	उच्च प्रा० तथा प्रा०वि० अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्रा०वि० की संख्या
ऐसी बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 800 से अधिक है	252	34	—
ऐसी बास्तियां की संख्या जिसकी आबादी 800 से कम है	—	01	—

जनपद बागपत में 6-11 वयवर्ग के बच्चों की कुल संख्या 179008 है इन बच्चों में से 82212 बच्चे परिषदीय विद्यालयों में नामांकित हैं तथा 55702 बच्चे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित हैं तथा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 39963 बच्चे नामांकित हैं इस प्रकार कुल 175202 बच्चे नामांकित हैं बालगणना के अनुसार 3806 बच्चे विद्यालय से बाहर हैं इन बच्चों को विद्यालय में लाया जायेगा बालक बालिका का नामांकन अनुपात 1:31:1 है

छात्र नामांकन

प्राथमिक स्तर

तालिका-2.9

6-11 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या			नामांकन													
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त अनुमानित			योग			नामांकन अनुपात	
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका
16126	77748	179008	41187	38350	82212	35492	20210	55702	22581	17382	39963	99261	75941	175202	1.31	1

जनपद की 11-14 वयवर्ग की संख्या 86077 है इसमें 48195 बालक तथा 37882 बालिकायें हैं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4007 बालक 2834 बालिका नामांकित है मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29010 बालक, 21005 बालिका, कुल 50015 पंजीकृत है गैर मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 15078 बालक, 13943 बालिका, कुल 29021 पंजीकृत है इस प्रकार सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 85877 बच्चे पंजीकृत हैं जनपद में बालक/बालिका नामांकन अनुपात 1.27:1 है। हा10स्कूल/इण्टर कालिजों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी इसमें सम्मिलित हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर

(राजकीय हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट के साथ सम्बद्ध 6-8 को भी सम्मिलित करें)

तालिका-2.10

11-14 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या			नामांकन														
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त अनुमानित			योग			नामांकन अनुपात		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
48195	37882	86077	4007	2834	6841	29010	21005	50015	15078	13943	29021	48095	37782	85877	1.27	1	1.27:1

तालिका-2.11

जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
99261	75941	175202	17548	14010	31558

जनपद के प्राथमिक स्तर के बालकों की शालात्याग दर 20.24 तथा बालिकाओं की डाप आउट दर 27.12 है कुल मिलाकर यह दर 23.68 है अनुसूचित जाति के बालकों की डाप आउट दर 26.48 तथा बालिकाओं की दर 31.87 है कुल मिलाकर अनुसूचित जाति की दर 29.17 है। तुलनात्मक रूप में शालात्याग दर में कमी आयी है।

तालिका-2.12

जनपद का डाप आउट दर प्राथमिक स्तर			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
20.24	27.12	23.68	26.48	31.87	29.17

जनपद में प्राथमिक स्तर पर , 2 कक्षीय विद्यालयों की संख्या 151, 3 कक्षीय विद्यालयों की संख्या 180, चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या 75, पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या 43 तथा पांच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या 25 है जनपद में बढ़ती गयी छात्र संख्या के अनुसार उनके बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता होगी

जनपद में प्राथमिक स्तरपर लघु मरम्मत 115 तथा वृहत मरम्मत हेतु 84 विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिये 150 शौचालयों की आवश्यकता होगी पेयजल हेतु 30 हैंड पम्प विद्यालयों में लगवाये जायें 252 विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर चाहर दीवारी की आवश्यकता है

उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी 75 विद्यालय भवनयुक्त हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 विद्यालयों की लघु मरम्मत तथा 7 विद्यालयों की वृहत मरम्मत की आवश्यकता है । दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या 1, तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या 68, चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या 34, पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या 10, पांच से अधिक कक्ष वाले विद्यालयों की संख्या 3 है उच्च प्राथमिक स्तर पर 62 विद्यालयों में शौचालय, 15 विद्यालयों में हैंड पम्प, तथा 19 विद्यालयों में चाहर दीवारी की आवश्यकता होगी ।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांवदार दिस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है । आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा ।

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं(परिषदीय विद्यालय 30 सितम्बर 2003 की स्थिति)

तालिका-2.13

क्र० सं०	प्राथमिक स्तर	ग्रामीण	नगर	योग
1	प्राथमिक विद्यालय भवन	विकास खण्ड क्षेत्रवार	नगर क्षेत्रवार	योग
2	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	-	-	-
	दो कक्षीय वि० की सं०	151	-	151
	तीन कक्षीय वि० की सं०	152	08	160
	चार कक्षीय वि० की सं०	69	06	75
	पाच कक्षीय वि० की सं०	43	-	43
	5 कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	25	-	25
3	मरम्मत योग्य विद्यालय	लघु मरम्मत योग्य-115	बृहत मरम्मत योग्य-84	
4	शौचालय	शौचालय युक्त 324 विद्यालय	शौचालय विहीन वि०-150	शौचालय की आवश्यकता-150
5	हैण्डपम्प	हैण्डपम्पयुक्त-444	हैण्डपम्प विहीन-30	हैण्डपम्प की-30 आवश्यकता
6	चाहर दीवारी	चाहर दीवारी युक्त-202	चाहर दीवारी विहीन-252	चाहर दीवारी की आवश्यकता-252

उच्च प्राथमिक स्तर				
7	उच्च प्रा0वि0 भवन	कुल वि0की सं0-75	भवनयुक्त-75	जर्जर (पुनर्निर्माण योग्य) -20
8	गरम्मत योग्य		लघु गरम्मत-20	वृहत गरम्मत-7
9	एक कक्षीय विद्यालय			
	दो कक्षीय विद्यालय	01		
	तीन कक्षीय विद्यालय	68		
	चार कक्षीय विद्यालय	34		
	पांच कक्षीय विद्यालय	10		
	5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय	03 योग-116		
10	शौचालय	शौचालय युक्त- 54	शौचालय विहीन-62	आवश्यकता-62
11	हैण्डपम्प	है0युक्त-101	है0विहीन-15	आवश्यकता-15
12	चाहर दीवारी	युक्त-56	विहीन-19	आवश्यकता-19

जनपद की सभी 287 बस्तियां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से वर्ष 2003-2004 में सेवित हो जायेंगे। इस

लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किररी भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय की गांग नहीं की गयी है।

जर्जर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय विवरण

विद्यालय प्रकार	बागपल	बडौत	किरीली	छपरौली	खेखडा	पिलाना	योग
प्राथमिक	8	10	10	7	6	4	45
उच्च प्राथमिक	2	3	4	4	4	3	20

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता तालिका-2.14

क्र०	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी०पी०ई०पी०।।।/।।	मांग	कमी	डी०पी०ई०पी०।।।/।।	मांग
			वित्त आयोग में प्रावधान जिलायोजना/अन्य स्रोत			वित्त आयोग में प्रावधान जिलायोजना/अन्य स्रोत	
1	नवीन विद्यालय	-	20	-	-	41	-
2	विद्यालय पुर्ननिर्माण	105	60	45	20	-	20
3	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (प्रति शिक्षक/प्रति कक्षा-कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	727	577	150	84	69	15
4	पेयजल सुविधा	130	100	30	34	19	15
5	शौचालय	450	300	150	76	14	62
6	चाहर दीवारी	-	-	-	-	-	-

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व इंडीकेटरर्स

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आकड़ों के अनुसार 2000-2001,2001-2002,2002-2003 की स्थिति

प्राथमिक स्तर

तालिका-2.15

क0स0	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	योग
1	28163	17503	13456	11134	10100	80536
2	35649	22402	17909	14736	14422	105120
3	23718	18396	14597	12280	9115	78116

जनपद में ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के अनुसार कक्षा-1 से कक्षा-5 तक का नामांकन (मान्यता प्राप्त प्रा0वि0 सहित) 78116

है

तालिका-2.16

क0स0	विवरण	अनुपात
1	छात्र अध्यापक अनुपात	46:1
2	जी0ई0आर0	बालक-70 बालिका-62 योग-66
3	नामांकन अनुपात(छात्र/छात्रा)	1.2:1
4	एकल अध्यापकीय विद्यालय (प्रतिशत)	-

जनपद में प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों का छात्र अध्यापक अनुपात 46:1 रहा बालकों का जी०ई०आर० 70 प्रतिशत तथा बालिकाओं का 62 प्रतिशत रहा कुल मिलाकर जी०ई०आर० 66 रहा छात्र/छात्राओं का अनुपात 1.2:1 था जनपद में एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत शून्य रहा

प्राथमिक स्तर नागांकन

तालिका-2.17

क्र०सं०	वर्ष 1999-2000			वर्ष 2000-2001			वर्ष 2001-2002		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	41753	33389	75142	42187	33557	75744	40159	36844	77003
क्र०सं०	वर्ष 2002-2003								
	बालक	बालिका	योग						
2	42568	37618	80186						

वृद्धि प्रतिशत

तालिका-2.18

क्र०सं०	वर्ष 2000-2001में वृद्धि प्रतिशत	वर्ष 2001-2002में वृद्धि प्रतिशत	वर्ष 2002-2003में वृद्धि प्रतिशत
1	0.79	1.63	3.96

विद्यालयों की संख्या

तालिका-2.19

वर्ष	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	योग
2000-2001	450	185	635
2001-2002	454	200	654
2002-2003	459	200	659

2003-2004	470	200	670
-----------	-----	-----	-----

अध्यापकों की संख्या

तालिका-2.20

वर्ष	परिषदीय
2000-2001	1688
2001-2002	1779
2002-2003	1667

जनपद में डी0पी0ई0पी0 का प्रारम्भ अप्रैल 2000 से हुआ वर्ष 2002-2003 के आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि

जनपद में परियोजना की शुरुआत होने के बाद छात्र नामांकन में 3.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई विद्यालयों की संख्या भी पूर्व में

635 थी जो प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में 20 बढी है इसी प्रकार अध्यापकों की संख्या भी 1688 से बढ़कर 1779 हुई थी जो

अब 1667 है ।

उच्च प्राथमिक स्तर

तालिका-2.21

क्र०सं०	वर्ष 1999-2000			वर्ष 2000-2001			वर्ष 2001-2002		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	3574	2694	6268	3893	2789	6682	4072	2830	6902
वर्ष 2002-2003									
	बालक	बालिका	योग						
	7224	5778	13002						

वृद्धि प्रतिशत

तालिका-2.22

क्र०सं०	वर्ष 2000-2001में वृद्धि प्रतिशत	वर्ष 2001-2002में वृद्धि प्रतिशत	वर्ष 2002-2003में वृद्धि प्रतिशत
1	6.1	3.18	46

विद्यालयों की संख्या

तालिका-2.23

वर्ष	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	योग
2000-2001	74	74	148
2001-2002	75	76	151
2002-2003	78	76	154

अध्यापकों की संख्या

तालिका-2.24

वर्ष	परिषदीय
2000-2001	273
2001-2002	261
2002-2003	285

ट्रांजीशन दर (कक्षा-5 से कक्षा-6)

तालिका-2.25

वर्ष	कक्षा-5	कक्षा-6	टी आर० प्रतिशत
2000-2001	10100	-	-
2001-2002	-	7087	70.16
2002-2003	14422	11537	80

प्रपत्र संख्या-3

परिवार सर्वेक्षण - संकलन प्रपत्र सार

वर्ष-2003-2004

जिले का नाम- वागपट

जाति	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चे				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या						विकलांग बच्चों की संख्या			
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका			बालक		बालिका	
	6-11	11-14	6-11	11-14	6-11	11-14	6-11	11-14	5+से 6+	7+से 10+	11 से 14	5+से 6+	7+से 10+	11 से 14	6-11	11-14	6-11	11-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
सानान्य	17926	9667	13538	7798	17250	9482	12985	7569	1035	540	135	572	521	229	53	23	45	21
अ.जा.	15948	7302	12748	5208	15199	6958	12063	5175	9011	724	344	3715	661	33	144	55	82	35
अ.ज.जा.																		
पिछड़ी जाति	42439	18887	32057	15500	41223	18479	31063	15016	2571	1216	406	1417	974	484	217	163	209	127
अल्पसंख्यक	24947	12339	19405	9376	23294	11637	17630	8375	4393	1642	702	1241	1780	1001	230	133	207	85
योग	101260	48195	77748	37882	96966	46556	73741	36135	17010	4112	1639	6945	3936	1747	577	384	543	268

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

विकलांग बच्चों के कारण

कारण	5+से 6+		7 से 10+		11 से 14		कारण	बालक		बालिका	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका		6-11	11-14	6-11	11-14
1. अपने घर के कामों में लगे रहना					1112	1417	1. दृष्टि	53	19	52	18
2. मजदूरी से लगे रहना					527	330	2. सुनना	45	24	27	23
3. भाई बहनों की देखभाल			2106	1836			3. बालना	73	41	28	29
4. विद्यालय दूर होने के कारण							4. अधिगम अक्षमता	8	3	17	19
5. अन्य	17010	6945	2006	2100			5. मानसिक मंदता	115	33	68	23
योग	17010	6945	4112	3936	1639	1747	6. शारीरिक अक्षमता	345	250	309	120
							7. अन्य	37	14	42	36
							योग	577	384	543	268

विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले / विकलांग बच्चों की संख्या भरी जायेगी

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों की संख्या बढ़ी है 2002-2003 में बच्चों की संख्या में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जनपद में प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर जाने वाले बच्चों की टी0आर0 दर 80 प्रतिशत रही है

परिवार सर्वेक्षण 2003-2004

जनपद में वर्ष 2003-2004 में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 5-6 वर्ष , 7-10 वर्ष तथा 11-14 वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बालक बालिकाओं की संख्या 35399 चिन्हित हुई इन बालक बालिकाओं में से मास अगस्त 2003 तक विभिन्न प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31593 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है यह कार्य स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत कराया गया । कुल चिन्हित बालक बालिकाओं में से 89.24 प्रतिशत का नामांकन हो चुका है अवशेष 3806 बालक बालिकाओं के लिए विद्या केन्द्र व उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, त्रिज कोर्सा आदि का संचालन कराया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 2003-2004 के शतप्रतिशत नामांकन के लक्ष्यको पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्कूल चलो अभियान अन्तर्गत प्रगति परिवार सर्वेक्षण के संदर्भ में वर्ष 2003-2004

हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार चिन्हित बच्चे

हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार नामांकित बच्चे

ब्लाक	कुल बच्चे	5-6 वर्ष		7-10 वर्ष		11-14 वर्ष		योग	5-6 वर्ष		7-10 वर्ष		11-14 वर्ष		योग
		बा0	बालि	बा0	बालि	बा0	बालि		बा0	बालि	बा0	बालि	बा0	बालि	
			0		0		0			0		0		0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
बागपत	52406	2530	1275	575	541	403	585	5909	2401	1160	505	495	330	530	5421

बडौत	74910	3442	1997	686	1051	223	266	7847	3115	1860	785	915	207	203	7085
दिनौली	49912	2483	1036	989	732	350	4163	6006	2290	901	811	511	305	375	5193
छपरौली	31690	2865	1316	483	504	100	166	5434	2710	1201	407	461	75	114	4968
खेकडा	41068	4170	742	2017	355	262	139	5875	3950	635	180	302	201	101	5369
पिलाना	39054	1520	579	990	753	301	175	4318	1390	456	807	530	275	105	3563
योग	289040	17010	6945	4122	3936	1639	1747	35399	15856	6213	3489	3214	1393	1428	31593

स्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत

विकास खण्डवार छात्र संख्या व अध्यापक संख्या 2003

जनपद-बागपत

क्र०स०	विकास खण्ड	प्राथमिक स्तर पर				उच्च प्राथमिक स्तर पर			
		बालक	बालिका	योग	अध्यापक	बालक	बालिका	योग	अध्यापक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बागपत	7051	6550	13601	270	489	386	875	33
2	बडौत	8516	7729	16245	369	730	585	1315	62
3	दिनौली	10665	8298	18963	368	1005	458	1463	57
4	छपरौली	5244	4568	9812	219	788	533	1321	60
5	खेकडा	5634	5091	10725	203	418	487	905	36
6	पिलाना	6752	6114	12866	238	577	385	962	37
	योग	43862	38350	82212	1667	4007	2834	684	285

जनपद बागपत के छः विकास खण्डों की छात्र संख्या व अध्यापक संख्या को तुलनात्मक रूप से देखने पर ज्ञात होता है कि जनपद में अध्यापक व छात्रों का अनुपात 49.3:1 है । जनपद में इस अनुपात के बढ़ने का कारण अध्यापकों का अधिक संख्या में सेवा निवृत्त होना, छात्र संख्या बढ़ना तथा नवीन अध्यापकों का चयन कम होना है । इस कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद-बागपत की ड्रापआउट दर /जी.ई.आर./एन.ई.आर.-प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर

क्र०सं०	जनपद	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		ड्रापआउट	जी.ई.आर.	एन.ई.आर.	ड्रापआउट	जी.ई.आर.	एन.ई.आर.
1	बागपत	20 प्रतिशत	95	93	8	95	91

जनपद बागपत के प्राथमिक स्तर पर शालात्याग दर 20 प्रतिशत, जी.ई.आर. 95 प्रतिशत, एन.ई.आर. 93 प्रतिशत है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शालात्याग दर 8 प्रतिशत, जी.ई.आर. 95 प्रतिशत, एन.ई.आर. 91 प्रतिशत है । इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जनपद में प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन की ओर बढ़ा जा रहा है ।

अध्याय—3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने सम्बन्धी चिर अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है का उद्देश्य 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने सम्बन्धी एक प्रयास है इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी इन सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सकें। पंचायती राज्य संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा घ गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों, कलाकारों, महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जबाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करें।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इराके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है इस जनपद में सर्वप्रथम 2000-2001 में तथा दूसरा चरण 2001-2002 तक सभी ग्रमवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार की गयी थी एकत्र किया गया तथा एकत्रित सूचनाओं/आंकणों का विश्लेषण करके समस्याओं /आवश्यकताओं की पहचान की गयी।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा ग्राम सभाओं से सूचनाओं का संकलन

- ग्राम में 6-11 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/विद्याकेन्द्रों/शिक्षा केन्द्रों में पढने वाले बच्चो की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/विद्याकेन्द्रों /शिक्षा केन्द्रों में न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/विद्या केन्द्र/शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोलने की आवश्यकता है ?

- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय भवन एवं भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं ?
- यदि नहीं तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं ?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये

1 परिवार सर्वेक्षण

2 स्कूल का मानचित्र/शैक्षिक मानचित्र

3 सूचनाओं का विश्लेषण

4 ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्रामशिक्षा योजना निर्माण की तैयारी—

ग्रामप्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों उत्साही युवक युवतियों /शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ—2 अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्र के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी।

शैक्षिक मानचित्र द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्र की गयीं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचारविमर्श के दौरान उभरे हुए बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए ग्राम सभाओं से प्राप्त आकड़ों को संकलित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी इस योजना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 2001-2002 तथा 2002-2003 में पुनः सारी प्रक्रिया दोहरायी जायेगी ग्राम शिक्षा योजना को ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय के न0-1 में रख दी गयी है ताकि इसका उपयोग ग्राम स्तर पर

आसानी से हो सके शेष ग्राम सभाओं से भी आंकड़े प्राप्त किये गये इन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया।

विकास खण्डवार प्राप्त आंकड़ों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया 6-8 तथा 6-11 है इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की भी संख्या ज्ञात की गयी जो कामकाजी है

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बच्चों की सूची भी तैयार की गयी जिसमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का कार्य प्रथम वार्षिक योजना 2002-2003 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना 2003-2004 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा

नगरीय क्षेत्रों के शैक्षिक आंकड़ों को प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का संकलन किया जायेगा तथा निषकर्षों का उपयोग वर्ष 2003-2004 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करने हेतु जायेगा।

स्कूल चलो अभियान-

जनपद बागपत में जुलाई 2003 में बालक बालिकाओं के नामांकन वृद्धि एवं ड्राप आउट समाप्त करने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है-

1. स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के तहत जनपद में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया तथा शत प्रतिशत नामांकन कराने हेतु शिक्षा विभाग एवं प्रशासन ने संकल्प लिया प्रथम चरण 01.07.2003 से 15.07.2003 तक आयोजित किया गया ।
2. दिनांक 28.06.2003 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा डी0पी0ई0पी0 के अन्य कर्मचारियों की बैठक की गयी तथा स्कूल चलो अभियान की रूपरेखा तैयार की गयी ।
3. 2 जुलाई 2003 को सभी शिक्षक गणों ने उपस्थित होकर उर्त्तीण हुए छात्रों का अगली कक्षा में नामांकन किया तथा ग्राग शिक्षा समिति की बैठक की ।
4. कार्यक्रम की सफलता हेतु विद्यालय के सेवित क्षेत्रों में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की बालगणना करायी गयी ।
5. तीन जुलाई 2003 को समस्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षा समिति के सहयोग से दीवारी पर स्कूल चलें अभियान के नारे लिखे गये जैसे

चलो चलें स्कूल अनपढ़ नर पशु समान,

घर घर शिक्षा दीप जलाएँ भावी पीढी सजग बनाएँ,

6. चार जुलाई 2003 को जिला मुख्यालय पर स्कूल चलो अभियान का शुभारम्भ किया गया इसी तरह विकास खण्डों में भी स्कूल चलो अभियान का शुभारम्भ किया गया इस कार्यक्रम में अध्यापक, अभिवापक, समाजसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी अभिकर्मियों द्वारा भी स्कूल चलो अभियान में सहयोग दिया गया विकास खण्ड बडौत में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में सायकिल रैली निकाली गयी ।

7. 5 से 9 जुलाई 2003 तक प्रतिदिन प्रातः प्रत्येक ग्राम सभा में प्रभातफेरियां निकाली गयीं तथा यह रैलियां जनपद स्तर पर भी निकाली गयीं इन रैलिओं के द्वारा जन-जन तक स्कूल चलो अभियान का संदेश पहुंचाया गया।
8. 9 जुलाई 2003 को जनपद स्तर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें मननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार श्री बालेश्वर त्यागीजी ने मशाल जलाकर रैली का शुभारम्भ किया तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जगृति उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया गया
9. 10 से 11 जुलाई 2003 को वातावरण सृजन के उपरान्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक प्रधान अध्यापक बी०आर०सी० समन्वयकों एन०पी०आर०सी० समन्वयकों ने क्षेत्रों में भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान सफल बनाने हेतु प्रयत्न किया।
10. 14 से 15 जुलाई 2003 को विद्यालय के अध्यापकों द्वारा विद्यालय के सेवित क्षेत्र अन्तर्गत निवास करने वाले समस्त बच्चों का चिन्हांकन किया गया तथा ऐसे बच्चों का चिन्हांकन किया गया जो स्कूल जाने योग्य हैं तथा जिन्होंने विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया है ऐसी समस्त जानकारी एकत्र कर निर्धारित प्रपत्र पर बाल गणना पूर्ण की गयी तथा सूची विकास खण्ड को प्रेषित की गयी।

द्वितीय चरण-

1. 16 जुलाई 2003 के सर्वे के माध्यम से की गयी अद्यतन बाल गणना के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों का नामांकन किया गया।
2. सर्वे के आधार पर ऐसे बच्चों को पुनः प्रवेश दिलाया गया जिन बच्चों ने किसी कारणवश विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया था।

3. नामांकन हो जाने के पश्चात जनपद स्तर पर उपसमिति का गठन किया गया जिसके द्वारा प्रत्येक बच्चे के नामांकन व ठहराव की समीक्षा की गयी। सतत सम्पर्क (सप्ताह में एक बार) के माध्यम से स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पर प्रभावी ढंग से रोक लगायी जा सके इस कार्य हेतु अध्यापक एवं बच्चों की एक टोली बनाकर नामांकन के बाद लगातार विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया गया।

विद्यालयों को भौतिक संसाधनों उपलब्ध कराना—

प्रत्येक विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित हो इसके लिए निम्न विवरण के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी गयी—

1. 450 प्राथमिक विद्यालयों को रंगाई पुताई एवं साजसज्जा हेतु 2000/- प्रति विद्यालय की दर से ग्राम शिक्षा निधि के खाते में सीनान्तरित किया गया।
2. 300 प्राथमिक विद्यालयों को खेल कूद एवं अन्य उपयोगी उपकरण क्रय करने हेतु 5000/- प्रति विद्यालय की दर से ग्राम शिक्षा निधि खाते में सीनान्तरित किया गया।
3. अध्यापकों को सहायक सामग्री निर्माण कर बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा देने हेतु सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 500/- प्रति अध्यापक की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।

इस प्रकार दिनांक 31 जुलाई 2003 को स्कूल चलो अभियान का समापन किया गया एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नामांकित कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणाली दुबारा अपनायी गयी जिसमें बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनाएँ बनाने की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बागपत जिले में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये:--

1. नियोजन टीम का गठन-किरी भी कार्य को आरम्भ करने के लिए किरी न किरी स्तर पर कोई पहल करता है इतने बड़े सार्थक उद्देश्य (सर्व शिक्षा अभियान) के लिए 6 सदस्य नियोजन टीम का गठन किया गया ।

- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
- प्राचार्य डायट
- प्रवक्ता डायट
- सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी
- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
- जिला समन्वयक प्रशिक्षण

2. वरती/ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की गयी सर्व शिक्षा अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है उसकी शिक्षा से क्या-2 उपेक्षाएँ हैं तथा वह इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है इन विषयों पर समुदाय की राय जानना अति आवश्यक है बिना इनके यह शिक्षा सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती एफ0जी0ड0 प्रक्रिया से उन क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रख कर सर्व शिक्षा का परामर्शित्व तैयार किया जा सके सामाज में कुछ व्यक्ति होते है जो इस तरह के कार्यों में बंद चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जिनको कार्यक्रम चलाने पर सम्पर्क व्यक्ति (कान्टेक्ट परसन) सोसल एक्वीविस्ट के रूप में सहयोग ले सकते हैं संदर्भ व्यक्तियों की पहचान स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान पंचायती राज्य संस्थाओं के पदाधिकारियों की

सोच उनके सहयोग आदि की जानकारी एफ0जी0डी0 से ही हो सकती है यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

3. परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ0जी0डी0 टीम का गठन किया गया उसमें वे अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित है जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीमेट इलाहाबाद के तत्वाधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है इनके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 के जिला समन्वयक,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्रति उप विद्यालय निरीक्षक,बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0,प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि तमाम विभाग के अधिकारियों तथा इन प्रतिनिधियों से सहयोग मिला

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण तालिका-3.1

क्र0 स0	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एंव स0	बैठक /विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	सीमेट इलाहाबाद	01.02.09.03	सीमेट	बी0एस0ए0,ए0ए0ओ0,डी0सी0,ए0बी0एस0ए0	केर टीम का प्रशिक्षण किया गया सर्व शिक्षा हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी
2	जनपद स्तर	12.11.2001	बागपत	वि0वे0शि0अधिकारी-1रामाराद -2 जि0समन्वयक-4 स0 वि0एवं लेखा0-1 कम्प्यूटर प्रभारी-1 ए0बी0एस0ए0-3 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-8 अभिभावक-8 एन0पी0आर0सी0-46 शिक्षा समिति सदस्य-3 बी0आर0सी0-6ए0बी0आर0सी0-12	1.सामुदाय को शिक्षा से जोडा जाय2. शिक्षा में गुणवत्ता परख सुधार अपेक्षित 3.मकतव मदरसों का सुद्वीकरण 4. विद्यालयों में चाहर दीवारी करायी जाय 5.जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं है वहां वे0 केन्द्र/विद्या केन्द्र स्थापित किये जायें 6.अध्यापक समय से विद्यालय

					जायेअभिभावक सहयोग करें 7. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 8. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 9. लड़कियों को घर का काम करना पड़ता। 10. शिक्षक के व्यवहार व व्यक्तित्व में कमी। 11. भट्टों पर बाल श्रमिकों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाये
3	ग्राम स्तर	12.11.2001	निवाडा	अधिकारी-2 महिला प्रधान-1 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0 1	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. पढ़ाई प्रथा हाने के कारण महिलाएँ अपनी बात कहने में संकोच करती है 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. विद्यालय में चाहर दीवारी की व्यवस्था हो।
4	ग्राम स्तर	12.11.2001	सररपुर	अधिकारी-2 गुरुध प्रधान-1 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. विद्यालय प्रांगण में पानी भर जाता है।
5	ग्राम स्तर	12.11.2001	बडागाव	अधिकारी-2 महिला प्रधान-1 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. पढ़ाई प्रथा हाने के कारण महिलाएँ अपनी बात कहने में संकोच करती है 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाय। 5. अध्यापक शिक्षण कार्य ठीक से नहीं करते हैं।

6	ग्राम स्तर	19.11.2001	मुबारिकपुर	अधिकारी-2 पुरुष प्रधान-1 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पडता।
7	ग्राम स्तर	19.11.2001	बडका	अधिकारी-2 प्रधान-1 बहुददेशिय कर्मी --1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. विद्यालय प्रांगण में पानी भर जाता है।
8	ग्राम स्तर	20.11.2001	कोताना	अधिकारी-2 पुरुष प्रधान-1 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पडता।
9	ब्लाक स्तर	20.11.2001	विनौली	अधिकारी-2 पुरुष प्रधान-1 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पडता।
10	ब्लाक स्तर	20.11.2001	छपरीली	अधिकारी-2 पुरुष प्रधान-1 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता

				एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3	में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लड़कियों को घर का काम करना पड़ता।
11	ब्लॉक स्तर	20.11.2001	बडौत	अधिकारी-2सभासद -2 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करे 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लड़कियों को घर का काम करना पड़ता।
12	ब्लॉक स्तर	20.11.2001	पिलाना	अधिकारी-2सभासद -2 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करे 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लड़कियों को घर का काम करना पड़ता। 6. शिक्षक के व्यवहार व व्यक्तित्व में कमी।
13	ब्लॉक स्तर	22.11.2001	बागपत	अधिकारी-2सभासद -2 बहुददेशिय कर्मी -1 अध्यापक-2 अभिभावक-7 एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3 पी0आर0सी0-1 ए0पी0आर0सी0-2	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करे 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लड़कियों को घर का काम करना पड़ता। 6. शिक्षक के व्यवहार व व्यक्तित्व में कमी।
14	ब्लॉक स्तर	22.11.2001	खेकड़ा	अधिकारी-2सभासद -2 बहुददेशिय कर्मी	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2.

				-1 अध्यापक -2 अभिभावक -7 एन0पी0आर0सी0-1 शिक्षा समिति सदस्य-3 बी0आर0सी0सी0-1 ए0बी0आर0सी0सी0-2	अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लड़कियों को घर का काम करना पड़ता। 6. शिक्षक के व्यवहार व व्यक्तित्व में कमी। 7. भट्टों पर बाल श्रमिकों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाये
15	ब्लाक स्तर	01.12.01	छपरौली	ब्लाक प्रमुख बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0,सभासद, अन्य	प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्रयास किया जाय बालिका शिक्षा पर बल, भट्टों पर बाल श्रमिकों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाय
16	ब्लाक स्तर	06.12.01	खेकड़ा	अधिकारी-1, बी0डी0सी0 सदस्य-5,बी0, आर0सी0, एन0पी0आर0सी0सी0, सभासद व अन्य	समुदाय को शिक्षा से जोड़ा जाय मदरसों में भी अध्यापकों की व्यवस्था की जाय माता पिता में लड़कियों के लिए असुरक्षा की भावना
17	बरसीवार	10.12.01	बालमीकी बस्ती बडौत	सभासद-2,अधिकारी-1,ब्लाक प्रमुख-1, अध्यापक-5,अन्य-10	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जाय, बरसी में सफाई का अभाव
18	इलाहाबाद	10.11.2001	श्रीमंत इलाहाबाद	ए0ए0ओ0, डी0सी0, ए0सी0एस0ए0, सीमेन्ट अधिकारीगण	परिपक्व प्लान का फोटोग्राफ, विशेषज्ञों द्वारा प्लान के बारे में निर्देशन

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

- आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय- जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मो एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला सदरम समूह तथा विकास खण्ड समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है
 1. आंगनवाडी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
 2. आंगनवाडी केन्द्र की स्थापना विद्यालय प्रांगड में या उसके निकट की जाती है।
 3. आंगनवाडी केन्द्र को शिक्षण सहायक समग्री उपलब्ध करायी जाती है।
 4. केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
 5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु अनुपालक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।
- स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय- स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्यनरत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परिक्षण कराया जायेगा जिससे चिन्हित रोगी छात्र छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावको को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाय विद्यालय स्तर पर किया जाता है स्वास्थ्य परिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सार्यों की सेवा ली जाती है चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

- समाज कल्याण विभाग से समन्वय-समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/- व 480/- प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- ग्राम पंचायतों से समन्वय-असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर संवाहित किया जाता है।
- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय- खाद्य व आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रति 0 मासिक उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को तीन कि 0 ग्रा 0 प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजना के अन्तर्गत खाद्यान वितरित किया जाता है।
- विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय- विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र छात्राओं को उपकरण (टायसायकिल, बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है बच्चों के चिन्हीकरण से सहयोग किया जाता है शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों /संयंत्रों के वितरण में छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- उत्तर प्रदेश जल निगम/यू 0 पी 0 एग्री से समन्वय- इन दानों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैंडपम्पों की स्थापना की जाती है।
- युवा कल्याण विभाग से समन्वय- युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्वीकृत कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता करायी जाती हैं ताकि इनमें खेल भावना का विकास हो सके नेहरु युवा केन्द्रों तथा युवक मण्डल दल के कार्यकर्ताओं के

सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

- पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वय—इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/- प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति वितरित की जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।
- जिला ग्राम विकास अभिकरण विभाग से समन्वय—शिक्षा के उन्नयन हेतु ग्राम विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर से 60 प्रति0 धनराशि ग्राम विकास से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आछादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा उपरोक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेंन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

ब्लाक वार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2003

आधार—परिवार सर्वेक्षण 2003

31.08.2003 की स्थिति

जनपद—बागपत

विकास खण्ड	चिन्हित बच्चे	नामांकित बच्चे	अवशेष बच्चे
बागपत	5909	5421	488
बडौत	7847	7085	762
बिनौली	6006	5193	813
छपरौली	5434	4968	466
खेकडा	5875	5369	506
पिलागा	4318	3563	755
योग	35399	31593	3806

स्रोत- कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत।

अवशेष 3806 बच्चों के नामांकन हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ब्रिज कोर्स, एवं विद्या केन्द्रों के माध्यम से नामांकित

किया जा रहा है।

अध्याय-4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर उद्देश्य-

भारत सरकार द्वारा कक्षा-1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक हेतु राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना के रूप में चलाया जायेगा नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85.15 दशम पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75.25 तथा इसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50.50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा-1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनिक हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य लक्ष्य निम्नवत

हैं:-

- वर्ष 2003 तक 6-11 वयवर्ग के सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा गारंटी योजना में विद्याकेन्द्रों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों वापिस स्कूल चलो शिविर में प्रवेश दिलाया जायेगा अर्थात शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण किया जायेगा।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा-5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा-8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

- जीवनोपयोगी एवं प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।
- वर्ष 2007 तक 6-11 वयवर्ग तथा वर्ष 2010 तक 11-14 वयवर्ग के शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है:-

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनयी गयी विधा

जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं जनगणना 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में वृद्धि हुई है यह नीपा नयी दिल्ली की माडयूल से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गयी जनपद बागपत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.53 प्रतिशत है इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002-2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या अपेक्षित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं अतः जनगणना 1991 की आयुवर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की अपेक्षित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 14.9 प्रतिशत तथा 11-14 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 6.2 प्रतिशत का अनुपात लिया गया है नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए नीपा नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेंट रेश्यो मैथड से 2002-2010 तक का जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया है वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से

उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है प्राथमिक स्तर पर 6-11 वर्ष के लिए 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 2004 तक शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2004 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने नामांकन में भी बढ़ेंगे।

जनपद बाबपत में 6-11 वयवर्ग के बालगणना के अनुसार 169244 हैं जिसके सापेक्ष परिषदीय विद्यालयों का कुल नामांकन 77003 तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों का कुल नामांकन 42421, अनुसूचित जाति के बच्चों की कुल जनसंख्या 30090 है।

जनपद में 2001 की बालगणना के अनुसार कुल बच्चों की संख्या 169244 है इसमें से कुल नामांकित बच्चों की संख्या 166890 है 89887 बच्चे मान्यता प्राप्त/ गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकृत हैं। इसी प्रकार 77003 छात्र/छात्रा जनपद के परिषदीय विद्यालय में नामांकित हैं। सारिणी 4.1 के अनुसार कुल 2354 बच्चे विद्यालय से बाहर है वर्ष 2001 का एन0ई0आर0 98.60 है। इन बच्चों के विद्यालय में लाने के प्रयास किये जायेंगे। वर्ष 2002-2003 में छात्रों का एन0ई0आर0 शतप्रतिशत करने के प्रयास होंगे। फिर निरन्तर इस एन0ई0आर0 को बनाये रखा जायेगा।

तालिका संख्या 4.2 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालगणना के अनुसार 11-14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या 72398 है जिसमें से मान्यता प्राप्त तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 70310 बच्चे नामांकित है। 2088 बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालयों से बाहर इन बच्चों को विद्यालयों की सुविधा प्रदान करके विद्यालयों में लाया जायेगा। वर्ष 2001 में एन0ई0आर0 97.11 है जिससे वर्ष 2002-2003 में 98.63 करने हेतु प्रयास किये जायेंगे। वर्ष 2003-2004 में इस एन0ई0आर0 को शतप्रतिशत प्राप्त करके 2009-2010 तक इसे शतप्रतिशत बनाये रखा जायेगा।

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक की ड्रापआउट प्रतिशत

(वर्ष 2001-2007 तक ड्रापआउट शून्य करते हुए) सारिणी-4.3

वर्ष	ड्रापआउट प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट प्रतिशत
2001-2002	28.36	14
2002-2003	24	10
2003-2004	20	8
2004-2005	13	6
2005-2006	8	4
2006-2007	4	2.5

जनपद के तीन ब्लाकों के पांच-पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आंकड़े एकत्र किये गये उनके विश्लेषण के

उपरान्त उच्च प्राथमिक का ड्रापआउट प्राप्त किया गया है।

उच्च प्राथमिक का ड्रापआउट

जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2000-2001 में कक्षा-6 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2031 थी जिनमें से वर्ष 2002-2003 में कक्षा-8 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 1747 रही अतः तालिका में वर्णित आंकड़ों के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की ड्रापआउट दर 14 प्रतिशत रही। इस दर को प्रतिवर्ष कम करते हुए वर्ष 2006-2007 तक शून्य करने का प्रयास किया जायेगा।

प्राथमिक विद्यालय सारिणी-4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6-11 वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर (जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं)	एम0ई0आर0
1	2	3	4	5	6	7
2001-2002	169244	166890	89887	77003	2354	98.60
2002-2003	171837	171837	92361	79476	-	100
2003-2004	174521	174521	93703	80818	-	100
2004-2005	177247	177247	94703	22544	-	100
2005-2006	180015	180015	95403	84612	-	100
2006-2007	182829	182829	95403	87426	-	100
2007-2008	185643	185643	95403	90240	-	100
2008-2009	188457	188457	95403	92854	-	100
2009-2010	191271	191271	95403	95468	-	100
11-14 वयवर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन के लक्ष्य- तालिका-4.2						
2001-2002	72398	70310	63408	6902	2088	97.11
2002-2003	73478	72478	651492	7986	1000	98.63
2003-2004	74595	74595	65551	9044	-	100
2004-2005	75729	75729	66118	9611	-	100

2005-2006	76881	76881	66694	10187	--	100
2006-2007	78052	78052	67279	10773	-	100
				13392	-	100
				10773	-	100
				10773	-	100

(वर्ष 2001-2007 तक ड्राप आउट शून्य करते हुए) सारिणी-4.3

वर्ष	नामांकन	ड्राप आउट	प्रभावी परिषदीय
2001-2002	77003	28.36	55164
2002-2003	79476	24	60401
2003-2004	80818	20	64654
2004-2005	82544	13	71813
2005-2006	84612	8	77843
2006-2007	87426	4	83928
2007-2008	91186	-	81111
2008-2009	93845	-	81111
2009-2010	96504	-	81111

अध्याय-5

समस्याएँ व रणनीतियां

सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है इस अभियान को 2001-2002 से 2009-2010 तक चलाया जाना है यह एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे

1. विद्यालय से बाहर 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना
2. बच्चों को विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश के बाद स्कूली शिक्षा को पूर्ण कराने हेतु ठहराव सुनिश्चित करना
3. शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अध्यक्ष प्रशिक्षण/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण, निर्धारित पैरामीटरों के आधार पर विद्यालयों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण कराया जाना

जनपद में अलग अलग समूहों में किये गये विचारों का व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गयी है इनमें छात्र नामांकन अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, नवीन भवनों का निर्माण जीर्ण भवनों की लघु व वृहत मरम्मत हैन्डपम्पों की व्यवस्था, शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का आकर्षीकरण, विद्यालय का सुदृढीकरण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

1. (अ)पहुंच के विस्तार सम्बन्धी

आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन

बच्चों और अभिभावकों की सोच में परिवर्तन लाने के लिये प्रयास किये जाएंगे इस कार्य के लिये महिला मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र, ए० एन० एम० (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र), जन समपर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय सहभागिता तथा जागरूक नागरिकों के सहयोग से सुधार लाने के प्रयास किये जाएंगे ऐसा करने से बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी होगी और शालात्यागी बच्चों की संख्या में कमी आएगी

शिक्षा की उपादेयता के सन्दर्भ

उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यमों को

में समाज में भ्रान्ति

जोड़ा जायेगा जिससे विद्यार्थियों को स्वावलम्बन एवं करके

1 समाजोपयोगी कार्यों का न होना

सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो सके विशेषकर ग्रामीण अंचल

2 जीवन कौशल हेतु किशोरी

की बालिकाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई, फल

केंद्रों का

अभाव

संरक्षण, बुनाई, स्थानीय काफट, (टोकरी व आसन बनाना), नगर

क्षेत्र के निकट मेंहदी, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चटाई

निर्माण, जूटकपड़ेके बैग आदि सिखाने का प्राविधान किया जायेगा।

असेवित एवं मलिन बस्तियों में 1.5 कि०मी० तथा 300 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों / बस्तियों

विद्यालय सुविधा का न होना

में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायेंगे

1 भट्टों पर शिक्षा सुविधा का

न होना भट्टों पर बच्चों के लिए मानक अनुसार ई0जी0एस0 केन्द्र

2 घुमन्तु परिवारों का खोले जायेंगे तथा 9-14 वयवर्ग तक के बच्चों के लिए ए0आई0ई0

एक स्थान पर न ठहर पाना केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्रों में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हें असेवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुनर्स्थापित किया जायेगा। विद्यालय की पुनर्स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए (डी0आर0डी0ए0) का सहयोग लिया जायेगा।

भौगोलिक कठिनाई जैसे भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार नदी, नाले, जंगल आदि के शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक /नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले कारण शिक्षा में अवरोध जायेंगे तथा कालान्तर में शिक्षा की मुख्य धारा से उन्हें जोडा

जायेगा

विद्यालयों में भौतिक संसाधनों छात्रों की संख्या के आधार पर विद्यालय में वांछित अतिरिक्त कक्षा का अभाव कक्षाओं का निर्माण कराया जायेगा जिन विद्यालयों में पेयजल, शौचालय

1 चाहर दीवारी का न होना चाहर दीवारी की व्यवस्था करायी जायेगी उच्च प्राथमिक विद्यालयों

2 शौचालय का अलग-2 न होना में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जायेगी

3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी

(ब) नामांकन सम्बन्धी 6-11 वयवर्ग तथा 11-14 वयवर्ग के नये बच्चों को सम्बन्धित

1 आर्थिक कारण प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के

2 प्रचलित सांस्कृतिक कारक माध्यम से नामांकित कराया जायेगा बालिकाओं के नामांकन पर

व अन्ध विश्वास

विशेष बल दिया जायेगा

3 बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण शालात्यागी एवं कामकाजी बच्चों को विद्याकेन्द्रों के माध्यम से वापस

व्यवहार

विद्यालयों में लाया जायेगा

4 बालिकाओं का घरेलु कामकाज में बालिकाओं को कार्य अनुभव राग्वन्धी कोर्सा विद्यालय में करागे

लगे

रहना

जायेंगे

(स) ठहराव सम्बन्धी

1 विषयदक्ष अध्यापकों की कमी महिला अध्यापकों (विषय दक्ष) को रखा जायेगा

2 शिक्षा के प्रति अभिभावकों में

ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा व्यापक जनसम्पर्क करके अभिभावकों

जागरुकता का अभाव

को शिक्षा के प्रति जागरुक बनाया जायेगा जिससे कि अभिभावक

जान सके कि प्राथमिक शिक्षा को अब मौलिक अधिकार बना दिया

गया है इसके अभाव में अभिभावक के विरुद्ध की जाने वाली किसी

भी कार्यवाही का दायित्व स्वं अभिभावक का होगा

विद्यालय का शैक्षिक वातावरण

बच्चों को विद्यालय में पढाई रोचक लगे इसके लिए विद्यालय का

का दूषित होना

शैक्षिक वातावरण शिक्षणअधिगम सामग्री के माध्यम से आसान व

बोधगम्य बनाया जायेगा

शिक्षक का व्यवहार सम्बन्धी

विद्यालय में अध्यापकों का व्यवहार अभिभावक व रागाज के प्रति

1 अभिभावकों के साथ व्यवहार

सौम्य हो इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा

अच्छा न होना

2 छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार

अध्यापकों को जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा

अध्यापकों की कमी सम्बन्धी

विद्यालयों में अध्यापकों की छात्र संख्या के अनुसार कमी दूर की

1 विषयदक्ष अध्यापकों का न होना

जायेगी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी

2 उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक

दूर की जायेगी

अभाव सम्बन्धी

(द) गुणवत्ता सम्बन्धी समस्या

अध्यापकों को पाठ्यवस्तु को कक्षा में प्रभावपूर्ण तरीके से छात्रों के

1 समयासारिणी के अनुसार शिक्षण

समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा

का न होना

2 सहपाठोत्तर क्रियाकलापों के

अध्यापक को अधिकतम शैक्षिक कार्यदिवसों में कायै करने के लिए

समयसारिणी में स्थान कम देना

प्रेरित किया जायेगा तथा अध्यापक डायरी अध्यापन के अनुसार

3 शिक्षण प्रगति का नियमित रिकार्ड

लिखना अनिवार्य बनाया जायेगा तथा अधिक से अधिक शैक्षिक

न रखना

कार्य करने वाले अध्यापकों को शिक्षा समिति के माध्यम से पुरस्कृत

4 अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से

कराया जायेगा

अवगत न कराना

5 सतत मूल्यांकन का अभाव

अध्यापकों को मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा

(घ) संस्थागत क्षमता सम्बन्धी समस्या

एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 के समन्वयकों को प्रति विद्यालय

1 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का

निरीक्षक, स0बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट मेन्टर एवं अन्य विभागीय

दक्ष न होना

अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों को उच्च श्रेणी में वर्गीकृत कर

2 विद्यालयों का 'ए' श्रेणी में न होना

3 सतत मूल्यांकन हेतु अध्यापकों का

अप्रशिक्षित होना

निरन्तर उसी श्रेणी में बनाय रखा जायेगा ताकि विद्यालयों में शैक्षिक

सम्प्राप्ति का स्तर अच्छा बना रहे अन्त में यह भी सूच्य है कि

जनपद की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें समय के

साथ परिवर्तन किया जायेगा

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

जनपद में शिक्षा की पहुँच का विस्तार करने के लिये शैक्षिक प्रावधान करना आवश्यक होता है जनपद में डी0पी0ई0पी0 के माध्यम से वर्ष 2000-01 में चार नवीन प्राथमिक विद्यालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा चालीस जर्जर विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। वर्ष 2001-2002 में तीन प्राथमिक विद्यालय तथा वर्ष 2002-03 में पांच प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। वर्ष 2003-04 में 11 प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु स्थल चयन किया जा रहा है।

नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना - जनपद में सभी 287 बस्तियां प्राथमिक विद्यालयों से सेवित हो चुकी है इसलिए वर्ष 2003-04 के बाद कोई नवीन प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला जायेगा

तालिका-6.2

वर्ष	2002-2003	2003-2004	योग
प्राथमिक विद्यालय	5	11	16
उच्च प्राथमिक विद्यालय	13	25	38

नवीन उच्च विद्यालय स्थापना

मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियाँ जहाँ की आवादी 800 से अधिक तथा दूरी 3 कि0मी0 से अधिक है पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे जनपद में माईकोप्लानिंग के आधार पर 38 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों

की सुविधा उपलब्ध नहीं है सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार कक्षा-8 तक की शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से दो प्राथमिक विद्यालयों में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है जनपद में कुल 38 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना प्रस्तावित है। इनमें से वर्ष 2002-03 के 13 विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है तथा वर्ष 2003-04 के 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थल चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। सभी बस्तियां सेवित हो जाने के कारण नवीन उच्च विद्यालयों की मांग नहीं की गयी है।

विद्यालय स्थल चयन के साथ ही भूमि की व्यवस्था उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सर्वशिक्षा अभियान के मानक के अनुसार दो प्राथमिक विद्यालयों में से एक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में कराया जायेगा जिसमें भूमि उपलब्ध होगी जहां बच्चे सुविधानुसार पहुंच सकें निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी भवन के साथ-साथ विद्यालय के प्रांगण में शौचालय हैंड पम्प चाहर दीवारी की व्यवस्था भी की जायेगी

शिक्षक व्यवस्था

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक व एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो छात्र संख्या के अनुपात में बढ़ाई जायेगी

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक सहित कुल पांच अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है इन अध्यापकों में से विषय अध्यापक व दो महिला अध्यापिका होंगी।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

तालिका-6.4

क्र०सं०	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक		योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6	7
1	2001-2002	77003	1845	0	1845	1925	80
2	2002-2003	80081	1885	40	1925	2002	77
3	2003-2004	82563	1924	78	2002	2064	62
4	2004-2005	84214	1955	109	2064	2105	41
5	2005-2006	85899	1976	129	2105	2147	42
6	2006-2007	87617	1997	150	2147	2190	43
7	2007-2008	89369	2019	171	2190	2234	44
8	2008-2009	91156	2041	193	2234	2279	45
9	2009-2010	92979	2063	216	2279	2324	45

तालिका-6.5

क्र०सं०	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा०वि० के शिक्षक (प्रा०अ०+शिक्षा मित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	कमागत शिक्षक	कमागत शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	7

1	2001-2002	80	0	40	40	40	40
2	2002-2003	77	20	29	28	79	78
3	2003-2004	62	10	26	26	110	109
4	2004-2005	41	0	21	20	131	129
5	2005-2006	42	0	21	21	152	150
6	2006-2007	43	0	22	21	174	171
7	2007-2008	44	0	22	22	196	193
8	2008-2009	45	0	22	23	218	216
9	2009-2010	45	0	23	22	241	238

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

तालिका-6.6

क्र०सं०	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6
1	2001-2002	75	0	375	370	5
2	2002-2003	75	10	425	375	50
3	2003-2004	85	10	475	425	50
4	2004-2005	95	10	525	475	50

5	2005-2006	105	12	585	525	60
6	2006-2007	117	0	585	585	0
7	2007-2008	117	0	585	585	0
8	2008-2009	117	0	585	585	0
9	2009-2010	117	0	585	585	0

तालिका-6.7

क्र०स०	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 शिक्षक	वर्तमान कक्षा-कक्ष	आवश्यक कक्षा-कक्ष
	1	2	3	4	5	6
1	2001-2002	75	0	300	284	16
2	2002-2003	75	10	340	300	40
3	2003-2004	85	10	380	340	40
4	2004-2005	95	10	420	380	40
5	2005-2006	105	12	468	420	48
6	2006-2007	117	0	468	468	0
7	2007-2008	117	0	468	468	0
8	2008-2009	117	0	468	468	0
9	2009-2010	117	0	468	468	0

विद्यालय साजसज्जा

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के लिएमानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी इस धनराशि से निम्न सामग्री को कय किया जायेगा मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, टाट पट्टी, अलमारी, संदूक, श्यापट, कूडादान, म्यूजिकल ईक्यूपमेंट, खेल सामग्री, क्लास रुम, अध्यापन सामग्री उपरोक्त की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के लिए मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी इस धनराशि का उपभोग 30प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना की भांति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा इसी प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साजसज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा करायी जायेगी इस धनराशि से निम्न सामग्री को कय किया जायेगा मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, टाट पट्टी, अलमारी, संदूक, श्यापट, कूडादान, म्यूजिकल ईक्यूपमेंट, खेल सामग्री, क्लास रुम, अध्यापन सामग्री उपरोक्त की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काष्टोपकरण शिक्षण सामग्री खेल सामग्री पुस्तकालय, हेतु पुस्तकों की व्यवस्था सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

पेयजल, शौचालय एवं चाहरदीवारी

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क-11 हैन्डपम्प स्थापित कराया जायेगा प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए प्रथक-प्रथक निर्माण कराया जाएगा बालिकाओं

की सुरक्ष को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित रखने के उद्देश्य से चहार दीवारी का निर्माण कराया जाएगा इन सुविधो की लागत नवीन विद्यालयो की यूनिट काष्ट में शामिल किया गया है।

निर्माण कार्यदायी संस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विद्यालय का सम्पूर्ण निमाण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जाएगा इसके अतिरिक्त भी सामूदायिक सहभागिता एवं विद्यालय के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनो के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सौपा जाएगा । प्रतिवर्ष रावेक्षण करा कर कम लागत के भवनों के निर्माण को वरीयता देकर पूर्ण कराया जायेगा। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही कराया जायेगा। ऐसा करने से निर्माण लागत में कमी आयेगी

वर्ष 2005-06 में०५..... प्राथमिक एवं०५..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। २००२-०३ में १५ शौचालय प्राप्त हो चुके हैं कुल लक्ष्य २१५ का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	100	
2005-06	50	
2006-07	50	
योग	२००	

अध्याय -7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार- ॥

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा योजना एवं शैक्षिक नवाचार

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करते हुये शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है ।

अनौपचारिक शिक्षा की संक्षिप्त रूपरेखा

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने के लक्ष्य को शतप्रतिशत प्राप्त करने के लिये पिछले कई वर्ष से सरकार ने विशेष प्रयास किये थे तथा देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औपचारिक प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ वर्ष 1997-80 से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया इसके अन्तर्गत 6-11 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नहीं जा पाए हैं या उनके क्षेत्र में विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं या किन्हीं कारण वश विद्यालय छोड़ देना (ड्राप आउट होना) पडा हो तथा कुछ बाधों वश विद्यालय न जा सकी बालिकाओं को और कामकाज बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा उपलब्ध करायी गयी । यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्य में, शहरी मलिन बस्तियों, पर्वतीयों जन जातियों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रूप से चलाई गई । अनौपचारिक शिक्षा योजना सहशिक्षा वाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु 60 :40 तथा बालिकाओं के लिये केन्द्रों को संचालित करने हेतु 10:10 के अनुपात में केन्द्र और समबन्धित राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से चलाई गयी

30 प्र0 में यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया प्रदेश में कुल 591 परियोजनाएँ संचालित रही। प्रत्येक परियोजना में 100 अनौपचारिक प्रतिवर्ष संचालित किये गये। जिसको पूरा करने के पश्चात बालक कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में प्रवेश ले कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित किये गये जिनमें बालिकाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया।

जनपद बागपत के 6 विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये।

उपलब्धि—

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से उपलब्धिया रही हैं परन्तु जिस आशा से यह कार्यक्रम संचालित किया गया था उतनी उपलब्धिया नहीं रही।

विश्लेषण—

प्रति योजना 100 केन्द्र संचालित किये गये। प्रत्येक केन्द्र में 25 बच्चों के नामांकन का लक्ष्य था।

इस प्रकार एक परियोजना में 2500 छात्रों का नामांकन 2 वर्षों के लिये किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डापआउट बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। जो कि इतने व्यय के बाद भी सम्भव नहीं हो सका।

जनपद में संचालित डी.पी.ई.पी. III/सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित ई.जी.एस. केन्द्र

जनपद में डी.पी.ई.पी. III में स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 130 है जिनमें से ई.जी.एस. के 57 केन्द्र तथा ए.आई.ई. उच्च प्राथमिक स्तर के 18 केन्द्र स्वीकृत हैं वर्ष 2003-04 में 57 ई.जी.एस. केन्द्र तथा 73 ए.एस. प्राथमिक स्तर के हैं इनमें मकतव/मदरसा भी सम्मिलित हैं। संचालित केन्द्रों का विवरण निम्नवत है।

विद्या केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं ए.आई.ई. केन्द्र की स्थिति वर्ष 2003-04

क्र०स०	वर्ष	रवीकृत संख्या			संचालित संख्या			कार्यरत संख्या	
		विद्या के०	वै०शि०के०	ए.आई.ई.	विद्या के०	वै०शि०के०	ए.आई.ई.	आचार्य	अनुदेशक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2000-2001	33	7	-	33	7	-	33	7
2	2001-2002	24	66	-	24	66	-	24	66
3	2002-2003	57	73	-	57	73	-	57	73
4	2003-2004	57	73	18	57	73	18	57	73+18

नोट- 18 ए.आई.ई. केन्द्र उच्च प्राथमिक स्तर के हैं।

माइक्रोप्लानिंग-

जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के द्वारा ज्ञात हुआ की बागपत में ईट भट्टो की संख्या लगभग 300 हैं जिनमें बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है तथा अल्पसंख्यक समुदाय में भी अधिकतर बच्चे विद्यालय नहीं जाते। नियोजन हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्राथमिकता दी जाए।

- 1 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
- 2 ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो
- 3 ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ड्रापआउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो
- 4 ऐसे क्षेत्र जहाँ स्टीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, घुमंतू एवं खतरनाक / गैर खतरनाक उद्योगों में

लगे बच्चों की संख्या सर्वा अधिक हो।

शिक्षा गारण्टी योजना ;म्ळैद्धरू.

इस योजना के अन्तर्गत 6-8 वयवर्ग में पंजीकृत कराया जायेगा । ऐसे ग्राम/बस्ती/मजरो/

टोले/मुहल्ले जो विद्यालय से 1 किमी 0की परिधि के बाहर है तथा 6-8 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध हों । वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जाएगी । इन केन्द्रों में कक्षा 01 से कक्षा 02 तक की पढाई होगी । इन केन्द्रों का संचालन 'सर्वशिक्षा अभियान' के अन्दर चिन्हित 'स्टेट सोसाइटी' उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद निशतगंज लखनउ द्वारा किया जायेगा । इन केन्द्रों पर 01 अनुदेशक प्रति केंद्र प्रस्तावित है ।

वर्ष-2003-2004 में विद्याकेन्द्रों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, मकतव/मदरसा की स्थापना की गयी जिनमें लाभान्वित होने वाले

6-11 वयवर्ग के बच्चों की संख्या

वर्ष 2003-2004 में 6-14 वयवर्ग के केन्द्रों में नामांकित बच्चों का विवरण

क0स0	केन्द्र का प्रकार	स्वीकृत संख्या	संचालित संख्या	नामांकित बच्चों का विवरण		
				बालक	बालिका	योग
1	ई.जी.एस.	57	57	876	791	1662
2	वै.शि.केन्द्र	38	38	416	425	841
3	मकतव	35	35	824	790	1614
4	ए.आई.ई.	18	18	-	-	-

स्रोत-वी0एस0ए0 कार्यालय बागपत

ब्लाक वार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2003

आधार-परिवार सर्वेक्षण

31.08.2003 की स्थिति

जनपद-बागपत

विकास खण्ड	चिन्हित बच्चे	नामांकित बच्चे	अवशेष बच्चे
बागपत	5909	5421	488
बडौत	7847	7085	762
बिनौली	6006	5193	813
छपरौली	5434	4968	466
खेकडा	5875	5369	506
पिलाना	4318	3563	755
योग	35399	31593	3806

विद्यालय न जाने वाले बच्चों तक शिक्षा की पहुंच के लिए ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, विद्या केन्द्रों का

संचालन किया जा रहा है।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा ; अर्द्ध कार्यक्रम -

डापआउट होने के पलस्वरु तथा अधिक आयु हो जाने के कारण ड्रॉप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण

प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर काम काजी तथा बालश्रमिक एवं नवाचार शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/बस्ती/मजरो/टोले मुहल्ले में 15

बालक/बालिका शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित होंगे वहीं पर ए0 आइ0 ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। ये केन्द्र प्राथमिक

एवं उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर चलाये जायेंगे । प्राथमिक स्तर के केन्द्र में 01 अनुदेशक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित है

शिक्षा गारंटी केन्द्र (ई0 जी0 एस0), वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का स्वरूप –

उपरोक्त असेवित बस्तियों एवं शालात्यागी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणबद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित हैं ।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि में नहीं रखा जायेगा । ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घंटे संचालित किये जायेंगे ।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र –

जिन ग्राम/वस्ती/मजरो/टोले मुहल्ले में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है । ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी । इसमें सामुदायिक सहभागिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल माँ-बेटी मेल्ला, किशोरी संघ, आदि के सहयोगी से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा में रुचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा तथा न्यूनतम महिला साक्षरता के आधार पर शिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे ।

अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र—

जनपद का अधिकांश 6-14 वर्ग का निरक्षर बच्चा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतव में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है । इस कार्यक्रम में मकतवों मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । इन मकतवों/मदरसों में उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप चिह्नित किया जाए और वहां पर निःशुल्क बेसिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा । इनका चयन

मक़तव क़मेटी/आग़ शिख़ा राग़िति के अनुग़ोदन से किया जायेगा । अल्पसंख्यक आवादी बाले विकारा खण्डों में केन्द्र खोले जायेगे । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में 40 तथा 2003-2004 में 10 मक़तव/मदरसा का सुद्वीकरण किया जाना प्रस्तावित है विकास खण्डवार सूची इस प्रकार है

मक़तव/मदरसों की सूची तालिका-7.5

क़ोसो	विकारा खण्ड	मक़तव/मदरसों का नाम
1	बागपत	मसीहुल उलूम बागपत
2	बागपत	जामी उलूम अशरफियां बागपत
3	बागपत	पीरवाला मदरसा बागपत
4	बागपत	राजपूतों वाला मदरसा बागपत
5	बागपत	मदरसा निवाडा
6	बागपत	मदरसा दोझा
7	बागपत	मदरसा सरुरपुर
8	बागपत	मदरसा टटीरी
9	खेकडा	इस्लामिया मदरसा खेकडा
10	खेकडा	बडी मस्जिद मक़तव खेकडा
11	खेकडा	मक़तव काठा
12	खेकडा	मक़तव ललियाना
13	खेकडा	हरचन्दपुर मक़तव
14	खेकडा	मदरसा मुबारिकपुर

15	खेकडा	मदरसा सरफाबाद
16	खेकडा	मदरसा विनयपुर
17	बडौत	मदरसा नूरिया बडौत
18	बडौत	मदरसा कासिम उलूम बडौत
19	बडौत	मदरसा इदारा बडका रोड बडौत
20	बडौत	मदरसा इदरीशपुर
21	बडौत	मदरसा ओसिका
22	बडौत	मदरसा पठानकोट
23	बडौत	मदरसा हरीमस्जिद बडौत
24	बडौत	मदरसा स्टेशन बडौत
25	बिनाली	मदरसा बिनाली
26	बिनाली	मदरसा बिनाली पलडा
27	बिनाली	मदरसा बरनावा
28	बिनाली	मदरसा दाहा
29	बिनाली	मदरसा टीकरी
30	बिनाली	मदरसा दोघट
31	बिनाली	मदरसा फौलाद नगर
32	बिनाली	मदरसा मिलाना
33	बिनाली	मदरसा बोपुरा
34	बिनाली	मदरसा पिचोकरा
35	बिनाली	मदरसा शेखपुरा

36	थबनौली	मदरसा मालमाजरा
37	पिलाना	मदरसा बिलौचपुरा
38	पिलाना	मदरसा बसौद
39	पिलाना	मदरसा डौला
40	पिलाना	मदरसा गौसपुर
41	पिलाना	मदरसा अमीनगर सराय
42	पिलाना	मदरसा ढिकौली
43	पिलाना	मदरसा लुहारा
44	पिलाना	मदरसा दौलतपुर
45	पिलाना	मदरसा सिधावली
46	छपरौली	मदरसा आदर्श नगला
47	छपरौली	मदरसा छपरौली
48	छपरौली	मदरसा बराल
49	छपरौली	मदरसा असारा
50	छपरौली	मदरसा टांडा

विकलांग बच्चो के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र—

जनपद बागपत में न पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिये सर्वे कराया जा रहा है इसके आँकड़े कुछ ही समय में प्राप्त हो जायेगे तथा उनके लिये विकास खण्डवार चिन्हांकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई0 जी0 एस0 एवं ए0 आई0 ई0 केन्द्र की स्थापना की जायेगी ।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है । इसमें न्यूनतम छात्र संख्या को 15 से कम भी किया जाने का प्रस्ताव है । जिस ग्राम/बस्ती/मजर/टोले/मुहल्ले में विकलांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्रा संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिया जाये प्रस्तावित है कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रह जाय असं बात का पूर्ण प्रयास किया जायेगा । चलने में यदि असमर्थ है तो या तो उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगा अथवा साइकिल अथवा वैसाखी उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है ।

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स :-

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/क्षेत्र आधारित शिविर:-

मडक/प्लेटफार्म, मलीन बस्तियों, दुकानों, धुमान्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अन्निभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिको/खतरे के उद्योगों में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग 9-14 है, के ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेंगे । जनपद बागपत में भट्टो की संख्या सर्वाधिक है अतः 42 ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है । जनपद बागपत के 6 विकास खण्डों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में प्रत्येक विकास खण्ड की प्रत्येक न्यायपंचायत में एक-एक ब्रिज कोर्स वर्ष 2006 तक संचालित किया जायेगा ।

प्रस्तावित ब्रिज कोर्स की सूची-

तालिका-7.6

क्र० सं०	विकास खण्ड	प्रस्तावित संख्या
1	बागपत	7
2	बडौत	9

3	बिनौली	10
4	पिलाना	8
5	खेकडा	7
6	छपरौली	5

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरो का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

प्रत्ये ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर में 9-14 वर्ष तक के न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे । इन शिविरो में बच्चो के रहने,खाने-पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी । जनपद की चार न्यायपंचायतों में ब्रिज कोर्स हेतु छात्र/छात्राएँ उपलब्ध नहीं हैं इस लिए 42 न्यायपंचायतों में ब्रिज कोर्स संचालित किये जा रहे हैं ।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिजकोर्स/शिविरो के लिए एक (01) केयर टेकर, दो (02)पैरा टीचर, एक (01) कुक तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होंगी और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा । जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि-हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्रा के लिये निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिये वित्तीय मानक प्राइमरी एवंअपर प्राइमरीकी भांति रखी जायेगी । केवल आवासीय व्यवस्था, खाने-पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं राज-राज्या आदि के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी । अतिरिक्त धन की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति/जन रामुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किये जायेगे । ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी

जायेगी जहाँ पर निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय में स्थापित हों ।

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालय में किया जायेगा । आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाये तो उस क्षेत्र/स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी ।

ब्रिज कोर्स/शिविरो की अवधि 2 माह से 18 माह तक रखी जायेगी । इस हेतु 3,000/-रु0प्रति

छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी ।

परिवार स्कीम में नामांकन से दूरे छात्रों हेतु ब्रिज कोर्स

क0स0	विकास खण्ड	न्यायपंचायत	ग्राम/मजरा
1	बागपत	नौरोजपुर गुर्जर	निवाडा
2	बागपत	सरुरपुर	सरुरपुर
3	बागपत	बागपत नगर	माता कालोनी
4	बागपत	बागपत नगर	पुराना कस्बा
5	बागपत	बागपत नगर	वार्ड -14,15
6	पिलाना	पिलाना	दौलतपुर
7	पिलाना	ढिकौली	ढिकौली
8	पिलाना	खटटा प्रहलादपुर	खटटा प्रहलादपुर
9	पिलाना	अमीपुर बालैनी	बस स्टैंड अमीपुर
10	पिलाना	डौला	गौसपुर
11	खेकडा	फुलेरा	छोटी सिधैली

12	खेकडा	रटौल	शीशमहल रटौल
13	खेकडा	ललियाना	गौना
14	खेकडा	फिरोजपुर	फिरोजपुर
15	खेकडा	खेकडा नगर	वार्ड -5,6
16	खेकडा	काठा	हरिजन बस्ती काठा
17	खेकडा	बडा गांव	बडा गांव
18	छपरौली	रमाला	रमाला
19	छपरौली	चांदन हेडी	आर्य समाज बदरखा
20	छपरौली	सूप	सूप
21	छपरौली	रठौडा	शिव मन्दिर रठौडा
22	छपरौली	छपरौली टाउन	पानी की टंकी
23	बिनौली	बिनौली	पिचौकरा
24	बिनौली	टीकरी	टीकरी
25	बिनौली	बामनौली	सिरसली
26	बिनौली	दोघट	हरिजन बस्ती दोघट
27	बिनौली	बिनौली	हरिजन बस्ती बिनौली
28	बिनौली	मुलसम	हरिजन बस्ती मुलसम
29	बिनौली	बिजवाडा	बिजवाडा

30	बिनौली	गांगनौली	सूजती
31	बडौत	बरवाला	बरनावा
32	बडौत	लुहारी	जौनमाना
33	बिनौली	मवीकला	मवीकला
34	पिलाना	अमी० सराय	अमी० सराय हरि०बरती
35	पिलाना	मुकारी	मुकारी
36	पिलाना	बुढसैनी	पुरा महादेव
37	पिलाना	हिसावदा	खिदौडा
38	बडौत	बिजरोल	वाजिदपुर
39	बडौत	अगदपुर	बढावद
40	बडौत	बडका	बडौली
41	बडौत	लुहारी	जागौस
42	बागपत	मीतली	महनवा

नोट . इन ब्रिज कोर्स के आयोजन से 2520 छात्र/छात्रा लाभान्वित होगी

अनुसूचित छात्र छात्राओं हेतु ७८ मासिक ब्रिज कोर्स स्थल चयन सूची

क्र०सं०	विकास खण्ड	स्थल चयन
1	बागपत	टटीरी
2	बागपत	फैजपुर निनाना

3	पिलाना	अमीनगर सराय
4	खेकडा	खेकडा
5	खेकडा	मवीकला
6	खेकडा	मवीकला
7	बिनौली	मुल्सम

उक्त ब्रिज कोसों के माध्यम से लगभग 280 बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े जायेंगे।

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प)

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनसूचित जाति की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दानों के लिये ही चलाये जाने हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में होगा इन शिविरों के माध्यम से शालात्यागी बच्चों को शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा शिविर की अवधि 10 दिन की होगी इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर हैं और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहे हैं इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों भी आमन्त्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा जगपत बागपत में कुल 24 सागर कैम्प प्रस्तावित थे वर्ष 2001-2002 में 25 समर कैम्पों के माध्यम से 1007 बच्चे तथा वर्ष 2002-2003 में 8 समर कैम्पों के माध्यम से 288 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया

विद्यालय वापस चलो समर कैम्प विवरण--

क्र० सं०	समर केम्प	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04
1	समर केम्प	25	8	—

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक लगातार 6-6 समर केम्प आयोजित किये जायें

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन--

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे--

- 1 जिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2 मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष
- 3 विशेषज्ञ बे० शि० अ०/जि० बे० शि० अ० सदस्य सचिव
- 4 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (ई० जी० एस०) सदस्य
- 5 प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य
- 6 जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी सदस्य
- 7 जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य
- 8 वित्त एवं लेखाधिकारी (कार्यालय बे० शि० अ०) सदस्य

9 स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि सदस्य

(जिलाधिकारी द्वारा नामित)

ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका—

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा योजना (ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0) के लिये ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित है ।

6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइकोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना ।

- कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना ।
- अनुदेशकों का चयन करना ।
- केन्द्रों का समय निर्धारित करना ।
- केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार कय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना ।
- अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौंपना ।
- अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन एवं प्रतिदिन निरीक्षण करना ।
- केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना ।
- नियमित रूप से अनुदेश के मानदेय का भुगतान करना ।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका—

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकासखण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है ।

- ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना ।
- ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना ।
- कलस्टर रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुक्षण की व्यवस्था करना ।
- जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :-

जनपद में सफल (ई0 जी0 एस0 और ए0 आई0 ई0) हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित है ।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना ।

केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन क्षेत्राविशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना ।

कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराना ।

अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर ब्यवसाय/व्यवसाय कार्यक्रमों का संचालन करना ।

कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशलाओं का आयोजन करना ।

स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना ।

अनुदेशक चयन:-

अनुदेशक यथासम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहां पर शिक्षा गारंटी केंद्र/वैकल्पिक शिक्षा केंद्र स्थापित किया जाना है । उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गाँव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है ।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी । इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी । अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंको को प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा । तत्पश्चात् अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा । किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है । ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा ।

नगरक्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड एवं नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा ।

आवश्यकतानुसार मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतवो/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बंधित मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतवों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मलित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहाँ पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्चर के साथ सलंगन किया जायेगा।

बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तम होगा।

नगरक्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड एवं नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक योग्यता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतवों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बंधित मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो , को मकतवों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है । ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी । चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षातकार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मलित किया जायेगा । उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी । जहां पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यार्थी का चयन किया जा सकता है ।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्चर के साथ सलंगन किया जायेगा ।

अनुदेशक का प्रशिक्षण:-

अनुदेशक का 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेंटर पर आयोजित किया जायेगा । प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण का जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई0/ब्लाक प्रोग्राम आफिसर/ ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रु०

1500/- प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा । प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

अनुदेशक मानदेय वितरण :-

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक को मान देय की धनराशि रु0 1000/- प्रति अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी । जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा । मानदेय की एक बार में 6 माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी ।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/प्रोग्राम आफिसर/प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोष जनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा । इस प्रकार की धनराशि कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी । यह धनराशि नगरक्षेत्र के सम्बन्धित सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खातों में स्थानान्तरित की जायेगी तत्पश्चात् चैक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा ।

पर्यवेक्षण :-

शिक्षा गारंटी एंड वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई0 /ब्लाक प्रोग्राम आफिसर/ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ब्लाक रिसोर्स सैक्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा/नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/नगर प्रोग्राम आफिसर/नगर रिसोर्स पर्सन/सहायक शिक्षा अधीक्षक/जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । न्याय

पंचायत संसाधन – केन्द्र प्रभारी/बी0 आर0 सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशको की वार्षिक बैठकें भी ली जायेंगी । जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लाक आफिसर/रिसोर्सर्स पर्सन/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेंगे । निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे । न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेंगे ।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय-समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी । डायट में डी0 आर0 यू0 प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे । पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोलर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सकें ।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :-

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे सीन्तरित की जायेगी । ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार कय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी । शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रु0 845/- प्राथमिक तथा 1200/- उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा । शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु कय किया जायेगा ।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य, सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेगी !

छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन :-

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों में पढने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा । इसके लिये अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी । बच्चों का तिमाही, छमाही, वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा । तथा यह प्रयास किया जायेगा की वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जायें । अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें । इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा ।

अनुदेशको से बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावको एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा । केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चें जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्य क्रम पूर्ण कर लेंगे, उनकी वार्षिक परीक्षा वेशिक शिक्षा परिषद् 30 प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी ।

प्रबन्धन लागत :-

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्रबंधन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित हैं ।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम लागत निम्नवत् रखी जायेगी ।

तालिका-7.8

80-100 केन्द्रों के मध्य	2५50 लाख रु0 प्रति वर्ष
50-80 केन्द्रों के मध्य	2५00 लाख रु0 प्रति वर्ष
25-50 केन्द्रों के मध्य	1५5 लाख रु0 प्रति वर्ष
25 केन्द्रों के कम	रु0 100५०0 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

अध्याय –8

ठहराव में वृद्धि

प्रथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की लक्ष्य प्राप्ति में अबतक के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता है कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं।

तालिका-8.1

क्रम सं०	सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	विद्यालय पुनर्निर्माण	45	20
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	150	15
3	पेयजल सुविधा	30	15
4	शीटालय	150	62
5	चहारदीवारी	—	—

निर्माण कार्य :—जनपद में 11 प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2003-04 में संचालित किये जायेंगे तथा 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2002-03 में निर्माण हो रहे हैं तथा वर्ष 2003-04 के 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय शीघ्र ही निर्मित करा कर संचालित किये जायेंगे। पूर्व में डी० पी० ई० पी० द्वारा 328 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया गया। जनपद में वर्ष

2004-05 से 2006-07 तक 45 प्राथमिक जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण 20 उच्च प्राथमिक जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 150 अधिक कक्षा कक्ष तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा 30 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी प्राथमिक विद्यालयों में 150 शौचालय, तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 62 शौचालय बनवाये जायेंगे ।

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता:-

सर्व शिक्षा अभियान में 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों में शतप्रतिशत नामांकन तथा 2007 तक ड्रापाउट दर 0 करने के लिये 40 :1 के छात्र-अध्यापक अनुपात पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी । जो निम्न सारणी में दी गयी है

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की गणना

(वर्ष 2001-2007 तक)

वर्ष	नामांकन	प्राभावी परीषदीय	सृजित पद (1845)			
	परीषदीय	नामांकन	40:1 के आधार पर आवश्यकता			
					एस.एस.ए. में प्रस्तावित	
					अध्यापक	शिक्षा मित्र
				

			स्वीकृत शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग	AD:1 से अनुपस्थिति	अति-अल्प-व्यक्ति	अति-परिष्कार	शिक्षा मित्र
2003-04		82212	1845	196	2041	2055	14	7	7
2004-05	82544	84267	1852	203	2055	2107	52	26	26
2005-06	84612	86374	1878	229	2107	2159	52	26	26
2006-07	87426	88533	1904	225	2159	2213	54	27	27
					-	-			
					-	-			
					-	-			

उक्त तालिका के अनुसार विद्यालयों में अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की तैनाती की जायेगी ।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र०सं०	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक		योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक एस. एस. ए. में प्रस्तावित
	1	2	3	4	5	6	7
1	2001-2002	77003	1845	0	1845	1925	-
2	2002-2003	80081	1885	40	1925	2002	17
3	2003-2004	82563	1924	78	2002	2064	78

4	2004-2005	84214	1955	109	2064	2105	21
5	2005-2006	85899	1976	129	2105	2147	21
6	2006-2007	87617	1997	150	2147	2190	22
7							-
8							-
9							-

क्र०स०	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा०वि० के शिक्षक (प्र०अ०+शिक्षा मित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	कमागत शिक्षक	कमागत शिक्षा मित्र एस.एस. ए. में प्रस्तावित
	1	2	3	4	5	6	7
1.							-
2	2002-2003	77	20	29	(28)	79	(17)
3	2003-2004	62	10	26	(26)	110	(7)
4	2004-2005	41	2	21	97	131	20
5	2005-2006	42	0	21	21	152	21
6	2006-2007	43	0	22	21	174	21
7							-
8							-
9							-

उक्त वर्षों के नदय
को वर्ष 2004-05
माना गया है।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गाववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। आंकड़े प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र०स०	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6
1						
2	2002-2003	75	10	425	375	50
3	2003-2004	85	10	475	425	50
4	2004-2005	95	10	525	475	50
5	2005-2006	105	12	585	525	60
6	2006-2007	117	0	585	585	0
7						
8						
9						

क्र०सं०	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 शिक्षक	वर्तमान कक्षा-कक्ष	आवश्यक कक्षा-कक्ष
	1	2	3	4	5	6
1	2002-2003	75	0	300	300	0
2	2003-2004	85	10	380	340	40
3	2003-2004	85	10	380	340	40
4	2004-2005	95	10	420	380	40
5	2005-2006	105	12	468	420	48
6	2006-2007	117	0	468	468	0
7						
8						
9						

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु अतिरिक्त शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान 2002-2007 में प्रस्तावित नहीं हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क्र०सं०	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्षाकक्ष	नवीन विद्यालय के कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा कक्ष एस.एस.ए. में प्रस्तावित

1							
2							23
3	2003-2004	82563	2064	2002	10	2012	222
4	2004-2005	84214	2105	2064	0	2064	250
5	2005-2006	85899	2147	2105	0	2105	79
6	2006-2007	87617	2190	2147	0	2147	43

प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों हेतु वर्ष 2000-2001 में 228 तथा वर्ष 2001-2002 में 100 इस प्रकार डी.पी.ई.पी.।।। द्वारा कुल 328 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है 2003 की छात्र संख्या तथा उपरोक्त तालिका में प्रोजेक्टड संख्या के अनुसार 2004-2005 से 2006-2007 तक कुल 150 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। इस हेतु 2004-2005 से 2006-2007 तक 50-50 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित कराने का प्रस्ताव किया गया है।

विद्यालय सुविधाएँ

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक

जनपद में प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को विद्यालय की मरम्मत /रख रखाव हेतु अनुदान रु0 5000 प्रतिवर्ष दिया जायेगा ।

जनपद में प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को विद्यालय विकास हेतु अनुदान रु0 2000 प्रतिवर्ष दिया जायेगा । जनपद के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालयों ,राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी विद्यालय विकास हेतु अनुदान रुपये 2000 प्रति विद्यालय दिया जायेगा ।

जनपद में आवश्यकता वाले प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय की लघु मरम्मत के लिये रु0 20000 तथा वृहत मरम्मत के लिये रु0 70000 दिया जायेगा । इन विद्यालयों की संख्या 76 है ।

जनपद में टी.एल.एम. निर्माण हेतु परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 3-3 शिक्षकों को (अधिकतम) भी 500 रु0 प्रति अध्यापक के रूप में दिया जायेगा जिससे विद्यालय में शिक्षण कार्य व अधिगम अधिकतम हो सके ।

रखरखाव टी.एल.एम. अनुदान

वर्ष	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
रखरखाव - 5000 प्रति वर्ष	75	92	116	प्रा0-454 उ0 प्रा0 - 116 योग-570	प्रा0-454 उ0 प्रा0 - 116 योग-570
विद्यालय विकास अनुदान 2000 प्रति वर्ष	75	92	प्रा0-454 उ0 प्रा0 - 116 स0प्रा0- 76 कुल - 646	प्रा0-454 उ0 प्रा0 - 116 स0प्रा0- 76 कुल - 646	प्रा0-454 उ0 प्रा0 - 116 स0प्रा0- 76 कुल - 646
टी.एल.एम. अनुदान	प्रा0- 75 स0 प्रा0 454	92 454	192 470	192 470	192 476
लघु मरम्मत	-	-	-	-	-
वृहत मरम्मत	-	-	-	-	-

टी.एल.एम. अनुदान वितरण - अध्यापक विवरण

क्र.सं.	परिषदीय प्रा0 अध्यापक	परि0 उच्च प्रा0 अध्यापक	सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापक	योग
1.	1667	285	228	2180

नोट- जनपद में सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालयों की संख्या 76 है इस प्रकार 76 विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान तथा टी.एल.एम. अनुदान 76 गुना 3 – 228 अध्यापकों को दिया जायेगा।

बालिका शिक्षा

पृष्ठभूमि

प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना किसी भी राष्ट्र की उन्नति का प्रमुख स्रोत आंका जाता है। भारत के संविधान में इसी महत्वपूर्ण विचार धारा को स्वीकार करते हुए 6-14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं हेतु अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा कर दी गयी है। संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों के हर प्रकार के भेद भाव एवं धर्म जाति लिंग या जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीडन की रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति बचन बद्धता का समर्थन किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ साथ बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 है महिला एवं पुरुषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर (प्रतिशत में)

तालिका-8.4

क्र० सं०	वर्ष	महिला	पुरुष
1	1991	25.31	70.23
2	2000	42.38	75.55

साक्षरता दर सारणी

साक्षरता दर

तालिका-8.5

अनुसूचित जाति

क सं०	विकास क्षेत्र	पु०	महिला	योग	पु०	महिला	योग
1	छपरौली	61८20	32८55	46८87	40८24	27८55	33८89
2	बडौत	63८45	37८99	50८72	42८52	29८45	35८98
3	बगपत	66८43	42८40	54८41	42८12	30८98	36८45
4	पिलाना	63८23	40८24	51८73	40८73	29८76	35८27
5	खेकडा	66८47	41८95	54८21	41८54	30८23	35८88
6	श्वर्नौली	61८47	34८45	47८93	41८45	28८72	35८08
नगर क्षेत्रवार साक्षरता							
1	छपरौली	65.25	48.23	56.74	45	30.2	37.6
2	टीकरी	62.78	45.46	52.12	47.28	30.47	38.87
3	दोघट	63.76	44.37	54.06	44.34	31.23	37.78
4	बडौत	64.74	47.48	56.11	47.24	32.73	39.98

5	बागपत	63.47	46.27	54.87	46.28	31.24	38.76
6	टटीरी	64.75	47.34	56.04	47.38	30.45	38.91
7	सराय	61.76	45.73	53.74	46.54	31.23	38.88
8	खेकडा	63.78	44.27	54.25	45.23	30.46	37.84

इस बात से यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। कि साक्षरता तथा नामांकन दोनो दृष्टि से महिला वर्ग पुरुष वर्ग की तुलना में पीछे हैं। किररी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और बालको का नामांकन शत प्रतिशत करने के साथ सभी वर्ग की शत प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना। नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गाँव स्तर पर बैठक में आए विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्याएँ उभर कर आयी हैं जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। महिला निरक्षरता को दूर करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की प्राथमिकता दी जायेगी।

इसको दृष्टिगत रखते हुये बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। इसमें 3-6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। जिसके परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा से नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई। क्योंकि बालिकाएँ प्रायः इस वय वर्ग को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं

कें लिए कार्यानुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायें जिससे बालिकाएँ भविष्य में स्वालम्बी बन सकें । इससे बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्धि होगी एवं डाप आउट की दर में कमी आयेगी

बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याएं:-

बालिकाओं की सबसे जटिल समस्या नामांकन एवं शलात्याग की हैं । इसका विशेष कारण महिला शिक्षिकाओं का अभाव, आर्थिक समस्या, समाज में प्रचलित सांस्कृतिक एवं अन्ध विश्वासिता मुख्य कारण हैं । बालिकाओं के लिये शिक्षा कि माँग न होना कम नामांकन होना प्रमुख कारण हैं । साथ ही बालिका के लिये शैक्षिक सुविधाओं की भी कमी है । साथ ही साथ बालिकाओं के अभिभावकों और जन समूह में इनकी शिक्षा के लिए सोच नकारात्मक है ।

एफ0जी0डी0

जनपद में अल्प संख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की लड़कियों का पंजीकरण कम पाया जाता है । तथा जनसंख्या में कुछ भाग में शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं क्योंकि शिक्षा रोजगार को सुनिश्चित नहीं करती है । इसके अतिरिक्त शिक्षक एवं अभिभावक के बीच सम्पर्क एवं सहयोग के अभाव से समस्या और जटिल हो जाती है । मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी बालिकाओं को मदरसों में पढाना ही अधिक बेहतर समझते हैं । जेण्डर भेद भाव के कारण बालिकाओं के नामांकन एवं धारण में गिरावट आयी है । यही नहीं शिक्षित बालिकाओं को विवाह सम्बन्धी मुद्दों में एक बोझ समझा जाता है । बालिका की शिक्षा का महत्व केवल उसके विवाह के सम्बन्ध में ही नापा जाता है स्कूल का वातावरण भी ऐसा है जो बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित नहीं करती है । और न ही उनकी विशेषताओं को उभारता है । कटाई, शादी, त्यौहार, मेलों के अवसर पर भी इनको घर पर रोक लिया जाता है ।

प्राकृतिक रुकावटें जैसे स्कूल की दूरी अकेले रास्ते, जंगल नदी, नहर तथा बाढ की अनियमितता की स्थिति समस्याओं का और भी उत्प्रेरित कर देती है ।

बालिका शिक्षा हेतु अब तक किये गये कार्यक्रम:-

जनपद बागपत में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मीना फिल्म का प्रदर्शन किया गया । वर्ष 2000-01 में पॉच माडल कलस्टर की 29 ग्राम सभाओं में फिल्म का प्रदर्शन किया गया है । 2001-02 में दस और नये माडल कलस्टर का चयन किया गया है । ये माडल कलस्टर अनुसूचित जाति, अल्प-संख्यक, और कम नामांकन अधिक शालात्याग वाले क्षेत्रों की न्याय पंचायत पर किया गया है । डी0 पी0 ई0 पी0 ससस में अन्य कलस्टरों का भी चयन किया जायेगा

नों बेटी मेलों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जा रहा है । नामांकन वृद्धि हेतु शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है ।

ग्रोष्म कालीन 10 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया जिससे में जिसमें वातावरण निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा कबाड से जुगाड बनाने में विशेष ध्यान दिया गया । साथ ही साथ छूट गई पढ़ाई का अभ्यास कर पुनः योग्यतानुसार कक्षाओं में नामांकित कराये । प्रत्येक विकास खण्ड के उन ग्राम सभाओं में आयोजित किये गये जहाँ पर शालात्यागी बालिकाओं की संख्या 30 से 40 तक थी । 10 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त इन बालिकाओं का नामांकन कराया गया इससे अभिभावक इतने प्रभावित हुये कि विद्यालय में छात्राओं का अपेक्षा कृत अधिक नामांकन हुआ । 25 ग्रामों 2001-02 में प्रशिक्षण कराया गया तथा 1007 बालक/बालिकाओं का नामांकन हुआ । वर्ष 2002-2003 में 3 ग्रोष्म कालीन शिविर लगाये गये जिससे 288 बालक बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में हुआ ।

ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जिससे बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया गया उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने वर्तमान में गृह विज्ञान विषय बालिकाओं को पढ़ाया जा रहा है तथा कार्यानुभव का कार्यक्रम अनौपचारिक ढंग से प्रदान किया जा रहा है । ताकि बालिकाएँ स्वालम्बी बन सकें तथा शिक्षा के प्रति इनमें सम्मान उत्पन्न हो

सकें । ग्राम शिक्षा समितियों एम0 टी0 ए0, महिला प्रेरक समूह, अभिभावक शिक्षक संघ का गठन हो चुका है । तथा वर्ष 2002-03 में 23 एम.टी.ए. समूहों का प्रशिक्षण कराया गया है । इन समूहों की बैठके हो चुकी हैं ।

दूरियां(गैप्स)

अनेक प्रयास करके शालात्यागी बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करा दिया जाता है किन्तु महिला शिक्षिकाओं के अभाव में बालिकायें बीच में ही विद्यालय छोड़ने लगती हैं अतः ठहराव की समस्या उत्पन्न होती है इसके निदान के लिए भविष्य में महिला शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता दी जायेगी

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सामुदायिक सहभागिता/गतिशीलता के कार्यक्रम—

मीना कैम्पेन:—

इसके माध्यम से प्रत्येक गाँव स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, फिल्म प्रदर्शन , बैनर चार्ट पोस्टर आदि के माध्यम से माता पिता अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा मीना कैम्पेन के आरम्भ में पूर्व परियोजना अधिकारीयो एवं क्षेत्रीय कार्य कर्त्ताओ को मीना फिल्म से अवगत कराया जायेगा ।

मीना कैम्पेन के कार्यक्रम विवरण— तालिका-8.7

क्र०सं०.	वर्ष	चयनित न्यायपंचायत
1	2000-2001	—
2	2001-2002	29
3	2002-2003	10
4	2003-2004	40

5	2004-2005	46
6	2005-2006	46
7	2006-2007	46

उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 तक के कम्पेन कराये जा चुके हैं तथा 5 से 7 तक के कराये जाने प्रस्तावित हैं

माँ बेटी मेला आयोजन :-

ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेला आयोजन किया जायेगा । बालिकाओं की शिक्षा के विशेष में महिलाओं को संगठित होना आवश्यक है । इस उद्देश्य से माँ बेटी मेला और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है इन मेलों का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को उनकी माताओं के साथ लाना एवं उन्हें बालिकाओं की शिक्षा, स्कूल में की गई गतिविधियों एवं बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, से जुड़े हूये विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी देना है इस आयोजन के प्रमुख निम्न उद्देश्य हैं :-

- नामांकन वृद्धि हेतु शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना तथा बालिकाओं की पहुँच तथा ठहराव में वृद्धि करना ।
- बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में माताओं को जानकारी देना ।
- बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करना ।
- शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच किया शील सम्बन्ध की स्थापना करना ।
- स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहित करना ।
- बेटों और बेटियों के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारित वातावरणों का आयोजन करना ।
- वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर वातावरणों का आयोजन करना

मां-बेटी मेले का आयोजन निम्न प्रकार से होगा- तालिका-8.8

क्र०स०	वर्ष	चयनित न्यायपंचायत
1	2000-2001	-
2	2001-2002	-
3	2002-2003	2
4	2003-2004	44
5	2004-2005	46
6	2005-2006	46
7	2006-2007	46

उपरोक्त न्यायपंचायतों की प्रत्येक ग्राम स्तर में मां-बेटी मेला कराया जायेगा

ग्राम शिक्षा समितियों को न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला प्रशिक्षण :-

प्रत्येक स्तर पर एम० टी० ए० , आर० टी० ए० महिला प्रेरक समूह ब्लॉक तथा एन० पी० आर० सी० समन्वयक केन्द्रों के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे । माडल न्याय पंचायत केंद्र सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र तथा शिक्षा केंद्र के रूप में विभाजित किये जायेंगे वर्ष 2002-2003 में 23 एम.टी.ए. का गठन किया गया 2003-2004 में 23 तथा वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक लगातार एम.टी.ए. समूहों का गठन किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों एम० टी० ए० महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण :-

बालिकाओं को शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं और उनके नामांकन विद्यालय में ठहराव एवं सम्प्रति स्तर में वृद्धि हेतु वी० ई० सी०, एम० टी० ए०, डब्ल्यू० एम० जी० को संवेदनशीलता बनाना विद्यालय में एवं विद्यालय से बाहर की गतिविधियों में उनका

योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । वर्ष 2002-2003 में 10 महिला प्रेरक समूहों का गठन किया जा चुका है ।

सेवारत अध्यापक बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० समन्वयको का प्रशिक्षण :-

जनपद के समस्त अध्यापको एवं बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० समन्वयको को बा० शि० को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं को गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

विशेष नामांकन अभियान :-

चयनित कलस्टर में पी० आर० ए० (पार्टीसिपेटरी रुरल एप्रैजल) के आधार पर सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा । प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नामांकन अभियान चलाया जायेगा ताकि सभी लक्ष्य गत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके सम्बन्धित दृश्य श्रव्य सामग्री एवं कुछ विशिष्ट उपाख्यान से परिचित करया जाता है ताकि बालिकाओं के लिए शिक्षा के संदेश को विकसित कर दर्शन फिल्म को देखने के बाद मुद्दों पर अर्थ पूर्ण वार्ता कर सकें ।

कला जत्था:-

जनपद में प्रचलित रागनियों, लोक गीत का आयोजन किया जायेगा स्वैच्छिक संगठनों एवं कला जत्थों के सहयोग से पोपेट शो का आयोजन किया जायेगा और इसके द्वारा महिलाओं के शिक्षा को प्रति जागरूक किया जायेगा । प्रत्येक वर्ष 46 न्यायपंचायतों पर कलाजत्थों का आयोजन किया जायेगा । वर्ष 2002-2010 तक

रैलियां तथा नारे लेखन

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु प्रत्येक गांव में रैलियां तथा नारे लेखन कराये जायेंगे

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :-

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जा रही है जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थिति रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चों को विद्यालय जाने के लिए दबाव बनाया जायेगा।

बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए बच्चों का हरा, पीला, एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा उपस्थिति के आधार पर तारांकन किया जा रहा है।

माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति	हरा निशान
माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति	पीला निशान
माह में 6 दिन या उसकी कम उपस्थिति	लाल निशान

बाल मेला

बाल मेला प्रतिवर्ष 46 न्यायपंचायतों पर आयोजित किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्द्धन के कार्यक्रम :-

जिला संदर्भसमूह का गठन एवं प्रशिक्षण

जनपद स्तर पर समुदाय को शिक्षा से जोड़ने हेतु जिला संदर्भ समूह के 8 सदस्यों का गठन किया जायेगा एवं 8

सदस्यीय टीम को डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

1. दो प्रवक्ता डायट
2. दो सेवानिवृत्त अध्यापक

3. चार स्वयं सेवी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य

ब्लाक संदर्भ समूह का गठन एवं प्रशिक्षण:—

प्रत्येक विकास खण्ड में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु 25 से 30 स्वयं सेवी सदस्यों की एक टीम गठित की जायेगी जिसका प्रशिक्षण जिला संदर्भसमूह के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा डायट स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रशिक्षण की व्यवस्था डायट द्वारा की जायेगी

ग्राम संदर्भसमूह का गठन एवं प्रशिक्षण:—

प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में 25 सदस्यों की एक शिक्षा समिति गठित की जायेगी।

ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण:—

जनपद बागपत में 237 ग्राम शिक्षा समितियों एवं अन्य नगरीय शिक्षा समितियों का गठन कर प्रशिक्षित किया जायेगा प्रशिक्षण त्रिदिवसीय होगा तथा प्रशिक्षण के तृतीय दिवस विद्यालयीय छात्रों द्वारा ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे।

परिवार सर्वेक्षण:—

सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष 2002-2003 में 50 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण सम्पन्न होने के पश्चात उनका परिवार सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा आकड़ों को संकलित कर कम्प्यूटरीकरण होगा शेष समितियों का प्रशिक्षण अग्रिम वर्ष सम्पन्न होगा।?

ग्राम शिक्षा योजना का पंजिका का निर्माण:—

परिवार सर्वेक्षण के पश्चात प्रत्येक ग्राम सभा एवं नगरक्षेत्र में ग्राम शिक्षा योजना पंजिका तैयार की जायेगी इस पंजिका में बच्चे के पूरे परिवार का विवरण होगा तथा गांव की शिक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जानकारी अंकित रहेगी और यह

पंजिका ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय-1 में उपलब्ध रहेगी समस्त आंकड़ों को संकलित कर प्राथमिक विद्यालय के भवन पर अंकित किया जायेगा। जनपद में 237 ग्राम शिक्षा समितियों तथा 28 नगरवार्ड शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

वी०ई०सी० पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

समिति प्रकार	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
ग्रा०शि०स०	150	87	-	150	87	-	-
नगरवार्ड समि	-	28	-	28	-	-	-

वर्ष 2002-03 में सभी ग्राम शिक्षा समितियों तथा 28 नगरवार्ड शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

ग्राम शिक्षा समितियों की बैठके

- जिले की समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदन शील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगे।
- महिला प्रेरक समूह का गठन हो चुका है तथा प्रशिक्षण प्रस्तावित है।
- जनपद के समस्त विद्यालय के सेवारत अध्यापकों, अध्यापिकाओं का बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रस्तावित है। उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मदर टीचर एसोसिएसन :-

प्रत्येक ग्राम मे मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा के प्रति जागरुक अधिकतम 10 महिलायें इसकी सदस्या होंगी । ब्लाक/न्याय पंचायत/स्कूल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है । इस कार्यशाला में बालिकाओं में शिक्षित होने के लाभ तथा हानियों से अवगत कराया जायेगा ।

अभिभावक अध्यापक संघ :-

अभिभावकों को शिक्षा विशेषकर बालिकाओं के प्रति सजग करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय मे अभिभावक संघ की स्थापना की जायेगी तथा प्रत्येक माह पी0 टी0 ए0 की बैठक ग्राम शिक्षा समिति के साथ की जायेगी । जिससे बालिका शिक्षा तथा विद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उसका निराकरण किया जायेगा । प्रति कक्षा के 2 बालिकाओ के अभिभावक जिसमें से एक गत परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एवं 1 कम अंक उत्तीर्ण करने वाले बालिका के अभिभावक सदस्य होंगे । इन अभिभावको को दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।

एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 का प्रशिक्षण— तालिका-8.9

क्र0स0	वर्ष	चयनित विद्यालय
1	2000-2001	—
2	2001-2002	—
3	2002-2003	—
4	2003-2004	92

5	2004-2005	108
6	2005-2006	562
7	2006-2007	562
8	2007-2008	—
9	2008-2009	—

कैसेट/वीडीओ निर्माण:-

सर्द शिक्षा अभियान के कार्यकर्मों को प्रत्येक विकास खण्ड में प्रति वर्ष एक-2 कैसेट/वीडीओ तैयार की जायेगी .

माता शिक्षक संघ :-

ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं । उन गाँवों की 10-11 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदन शील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

महिला प्रेरक दल:-

ऐसे गाँव तथा मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर हों वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व टहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र विद्या केन्द्र तथा विद्यालय की विभिन्न गति विधियों का अनुश्रवण कर समुदया तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे ।

शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियाँ:-

बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ विद्यालय में अपनी बालिकाओं को भेजने से कतराते हैं । अतः कमशः 3/2 किमी० की परिधि से कम प्रत्येक 300 आबादी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है । प्रत्येक विद्यालय में बालिका केंद्र के ठहराव हेतु शौचालय तथा पेय जल की व्यवस्था की जायेगी । सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुये प्राथमिकता पर विद्यालय की चहारदीवारी की जायेगी । प्रा० वि० में बालिकाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा अभिभावकों को भरोसा दिलाने की दृष्टि से कम से कम 1 महिला शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । जिसको धीरे धीरे बढ़ाकर 50 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ।

30 प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से तथा विशेष कर अल्प संख्यक अभिभावक की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में चिन्हित उच्च प्रा० वि० में द्विपाली योजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अन्तर्गत केवल बालिकाओं को शिक्षा दी जायेगी । इस पाली में अधिकाधिक शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जायेगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान प्रा० वि० के भौतिक संसाधनों को लाभ लेते हुये दोपहर के समय उ० प्रा० वि० की कक्षाएं संचालित की जायेगी । इस व्यवस्था का लाभ बालिकाओं की शिक्षा पर अवश्य होगा बालिका शिक्षा की वृद्धि के लिये माडल कलस्टर विकसित करने की रणनीति अपनायी जायेगी इन सब स्कूलों में माता शिक्षा संघ, अभिभावक शिक्षक समूह तथा महिला प्रेरक समूह का गठन कर बालिका शिक्षा में वृद्धि लाने के की सम्पूर्ण रणनीति अपनायी जायेगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत समुदाय एवं अभिभावक को प्रेरित करना तथा विद्यालय में अध्यापकों को प्रेरित करना तथा विद्यालय में अध्यापकों व शिक्षण विधियों में बालिकाओं के प्रति शिक्षा में सजगता उत्पन्न करना उल्लेखीय है

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था की जायेगी बालिका शिक्षा की रणनीति के विशेष क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक पूर्ण कालिक जिला समन्वयक (बे० शि०) की व्यवस्था जि० परि० कार्यालय में की जायेगी । इस विशेषाधिकारी का दायित्व होगा कि बालिका शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों तथा प्रस्तावित रणनीतियों का क्रियान्वयन कराये तथा जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा कि विभिन्न गतिविधियों में बालिका शिक्षा सम्बन्धी बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता का वातावरण सृजित करें । समन्वयक (बा० शि०) को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था सामुदायिक सहभागिताओं तथा शिक्षण अधिगम कार्य कर्मों से जुड़ना भी आवश्यक होगा जिससे कि (बा० शि०) की आवश्यकताओं का समावेश उन कार्यक्रमों में भी पूर्ण रूप से कर सकें ।

सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समिति सदस्यों को बा० शि० हेतु विशेष रूप से अभिकेंद्रित कराया जायेगा । इस कार्य में विशेष कर महिला सदस्यों/महिला प्रधानों/महिला वार्ड सदस्यों को लिंग संवेदनशीलता के प्रति अभिकेंद्रित किया जायेगा । यही नहीं महिला समाख्या से इस लगातार सम्पर्क रखा जायेगा और उनके अनुभवों के मार्गदर्शन का लाभ लेते हुये सामुदायिक सहभागिता एवं अध्यापक प्रशिक्षणों में सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।

बालिका शिक्षा पर वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों का सीधा प्रभाव होगा क्योंकि घरेलू जिम्मेदारियों में जकड़ी हुयी बालिकाओं को लचीली शैक्षिक प्रणालियों से जुड़ने में आसानी होती है । और लचीली समय सारणी से शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकती है । समय समय पर होने वाले विशेष कार्य कर्मों में बालिका शिक्षा को प्रचार प्रसार से प्रभावी बनाया जायेगा । बालिकाओं की शिक्षा वृद्धि के लिये सर्व शिक्षा अभियान में शिशु शिक्षा केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है । अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्र एवं अनुजाति के क्षेत्र तथा जहां पर बालिकाओं का नामांकन कम

है और बालिका औपचारिक प्रा० वि० में नहीं है के लिये प्रतिमाह एक जन जागरण अभियान चलाया जायेगा

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है । पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लॉक शिक्षा समितियों को सुदृढीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा । शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यों एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा ।

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु मुख्य रूप से बच्चों बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों ,उनके निराकरण संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है ।

रेमेडियल टीचिंग एवं उपचारात्मक शिक्षण:-

2002-2010 तक 46 न्यायपंचायतों का शिक्षण प्रतिवर्ष । इसके साथ-2 अनुसूचित जाति के 70 बच्चों को प्रति वर्ष रेमेडियल टीचिंग दी जायेगी ।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी प्रशिक्षण:-

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संपादित करने हेतु प्रति वर्ष एन0पी0आर0सी0 /बी0आर0सी0 को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण:-

बालिकाओं का विद्यालयों में शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित की जा रही है ।

सामुदायिक गतिशीलता की बैठकें :-

सामुदायिक गतिशीलता बढ़ाने हेतु जनपद स्तर पर जिला संदर्भ समूह ब्लाक स्तर पर ब्लाक संदर्भ समूह एवं ग्राम स्तर ग्राम शिक्षा समितियों-की प्रत्येक माह में एकबार बैठक आयोजित की जायेगी ।

पुरस्कार:-

प्रत्येक वर्ष दो ग्राम शिक्षा समितियों को उनके अच्छे कार्य के लिए पुरुषकृत किया जायेगा इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष एक-2 शिक्षा मित्र को उनके अच्छे योगदान के लिए पुरुषकृत किया जायेगा ।

ई0जी0एस/बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

जिन ग्राम/बस्ती/मजरो/टोले मुहल्ले में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है। ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायें तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल मॉ-बेटी मेंला, किशोरी संघ, आदि के सहयोगी से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा में रुचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा तथा न्यूनतम महिला साक्षरता के आधार पर शिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे।

महिला अध्यापकों/शिक्षामित्रों की व्यवस्था:-

विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन के पश्चात ठहराव हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक महिला शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी

स्कूल पूर्व शिक्षा/शिशु शिक्षा केन्द्र :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। जनपद बागपत में नॉन सी0 डी0 एस0 के अन्तर्गत एक विकास खण्ड में 15 शिशु केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है। ये केन्द्र उस विकास खण्ड में खोले जायेंगे जहां की साक्षरता दर महिलाओं की सबसे कम होगी। जनपद में स्कूल पूर्व शिक्षा/शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित नहीं है।

विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों की समस्याओं हेतु रणनीतियां-

माडल कलस्टर:-

2000-01 के माडल कलस्टर बडका, रमाला, मुलसम, ललियान, गाधी

2001-02 मे हिसावदा, डोला, खट्टा प्रहलादपुर, नॉरोजपुर, मीतली सूप, साकरौंध, काठा, सूजरा, रटोल को चयनित किया गया है। वर्ष 2002-2003 में 10 माडल कलस्टर 2003-2004 में 6 तथा 2004-2005 से 2006-2007 तक पांच-पांच माडल कलस्टरों का चयन किया जायेगा।

माडल कलस्टर डेवलपमेंट :-

विकास खण्ड की ऐसी न्याय पंचायत का चयन किया जायेगा जिसमें बालिकाएं अधिक निरक्षर हों। चयनित न्याय पंचायत को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। इन कलस्टर के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित किये जायेगे ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम सभाओं में 6-11 वय वर्ग की बालिकाओं की शत प्रतिशत नामांकन उहराव सुनिश्चित हो सकें। साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व उनकी भागीदारी भी निश्चित हो सके चयनित न्याय पंचायतों में बालिकाओं में आत्मविश्वास को विकसित करके उनके नेतृत्व गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्म कालीन शिविरो, किशोरी संघों के गठन आदि आयोजित होंगे। धीरे धीरे माडल कलस्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

ग्रीष्म कालीन शिविर:-

शालात्यागी बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोडने हेतु कार्यक्रम:-

शालात्यागी बालिकाओं को पुनः विद्यालय की मुख्य धारा में लाने के लिये 10 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर चलाया जायेगा। उनकी रक्षा विशेष में पुनः समेकित कराया जायेगा। वे नियमित रूप से विद्यालय आये और उनकी शैक्षिक समप्रति में वृद्धि हो इसके लिये चिन्हित बच्चों के घर घर पहुँचना आवश्यक है। इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक

संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला समूह का सहयोग लिया जायेगा । इसी के साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे

सामूहिक जन जागृति /ब्रिज कोर्स:-

शीघ्र कालीन शिविर एवं ब्रिज कोर्स सत्र चलाये जायेंगे । लिंग भेद समाप्ति एवं बालिका शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व बोध सुनिश्चित कराने हेतु सामुदायिक न जागृति के लिये चयनित विकास खण्ड में विशेष तौर पर अन्य जनपद में सामान्य तौर पर निम्न कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जायेगे ।

- ❖ नुक्कड़ नाटक/ग्राम/न्यायपंचायत स्तर पर
- ❖ प्रभात फेरी ग्राम स्तर पर
- ❖ माँ बेटी मेला आयोजन ग्राम सभा/न्यायपंचायत स्तर पर
- ❖ प्रतियोगिताएँ – खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम

पद यात्रा :-

ग्राम सभा एवं न्याय पंचायत स्तर पर पद यात्रा का आयोजन किया जायेगा । इसमें मुख्य महिला सामाजिक कार्य कर्मियों को सम्मिलित किया जायेगा इसका उद्देश्य महिलाओं में सामाजिक चेतना का विकास करना होगा ।

किशोरी केन्द्रों की स्थापना-

बाल केन्द्र बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है किन्तु एसी किशोरियां जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया है उनके ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नहीं कर सके हैं संघ की महिलाओं, समुदायों एवं

किशोरियों से विचार विमर्श के पश्चात इस आयु वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किशोरी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव—

सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं को स्वभिलम्भी बनाने के लिए विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्यक्रम कराये जायेंगे जिनके माध्यम से बालिकाओं में करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होगा ताकि बालिकायें आत्मनिर्भर हो सकेंगी। एवं उनका विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा।

तालिका—8.13

क्र०सं०	वर्ष	ग्राम सभायें
1	2002--2003	12
2	2003--2004	24
3	2004--2005	24
4	2005--2006	24

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :-

जनपद बागपत के 454 प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनु०जाति के बालक एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में भी यही प्रक्रिया दोहरायी जायेगी। वर्तमान में सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालक बालिकाओं को भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपरोक्तानुसार वितरित की जायेंगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण

क्र०सं०	वर्ष	अनुसूचित जाति के बालक एवं सभी बालिकायें					
		प्रा०वि०			उ०प्रा०वि०		
		परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग
1	2002-2003	—	—	—	5054	—	5054
2	2003-2004	—	—	—	5762	—	5762
3	2004-2005	48091	—	48091	3738	10025	13763
4	2005-2006	52900	—	52900	4141	10622	14763
5	2006-2007	58190	—	58190	4522	11241	15763

नोट— परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित बालक व सभी बालिकाओं की संख्या 3738 है अशासकीय

सहायता प्राप्त विद्यालयों के उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अनुसूचित बालक व सभी बालिकाओं की संख्या 10025 है।

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा (विकलांग बच्चों के लिए) :-

विकलांगता से ग्रसित बच्चों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत है। सभी के लिये शिक्षा या सर्व शिक्षा का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जबतक इन विकलांग बच्चों को भी समुचित शिक्षा प्रदान नहीं की जाए।

विकलांगता का प्रभाव न केवल बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है बल्कि माता पिता, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, सगे संबंधी और अंततोगत्वा पूरे समाज पर पड़ता है। जब ये सभी इससे प्रभावित हैं तो इन सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित किये बगैर सफलता नहीं मिल सकती।

विद्यालय समाज की एक ईकाई है जहाँ प्रारम्भ से ही विकलांगता के प्रति स्वस्थ एवं आदर्श मानसिकता एवं दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिये मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यही है कि समाज के उपेक्षित इस वर्ग को मुख्य धारा में लाया जाय तथा एक स्वस्थ एवं समान अवसरवादी समाज का विकास हो। अंततः एक प्रभावी विद्यालय की स्थापना है, जिसमें विकलांग बच्चे भी समुचित शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा विकलांग बच्चों के मन में आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान को बढ़ता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भी विकलांग बच्चों की सम्मिलित शिक्षा पर बल दिया गया है अनुभव तथा अनुसंधान यह दर्शाता है कि विकलांग बच्चों की विशेष विद्यालयों में शिक्षा देने से उनका सर्वांगीण विकास होता है थोड़ी देर के लिये ऐसा अनुभव होता है कि विशेष विद्यालय से उनका अधिक विकास होगा लेकिन यह लाभ अल्प कालीन है। दीर्घ कालीन लाभ सामान्य विद्यालय में ही सम्भव है

अतः ऐसे बच्चों का सामान्य स्कूल में रहना तथा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है स्कूल तथा शिक्षकों को निरन्तर सहयोग करते रहना ही हमारा प्रयत्न है।

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार :-

विकलांगता/अक्षमता मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है।

- ❖ दृष्टि विकलांगता
- ❖ श्रवण विकलांगता
- ❖ अस्थि विकलांगता

❖ मानसिक विकलांगता

❖ अधिगम विकलांगता

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार (समय आधारित):-

❖ जन्म के समय से ही विकलांगता होती है ।

❖ जन्म के बाद से ग्रहित यह विकलांगता जन्म लेने के बाद से किसी भी समय बीमारी, दुर्घटना या रासायनिक प्रभाव के कारण होती है । जैसे सडक दुर्घटना के बाद दृष्टिहीन होना ।

नेत्र/दृष्टि विकलांगता :-

अन्धापन तथा अल्प दृष्टि नेत्र विकलांगता के प्रकार है । कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं देख सकते तथा जिनकी देखने की शक्ति 6/60 या 20/200 स्नेलन से कम है । जब सारे उपचार कर दिये हों तथा दृष्टि क्षेत्र 20° या कम हो । जब स्नेलन चार्ट उपलब्ध न हो, तो व्यक्ति अगर प्रकाश की संवेदना नहीं कर सकता तथा 3 मी0 की दूरी तक अंगूलियां नहीं गिन सकता है तो यह अन्धापन की अवस्था है । सहायक उपकरणों तथा उपचार के बाद ऐसे व्यक्ति जीवन निर्वाह के सभी काम कर लें तो यह अल्प दृष्टि की अवस्था है ।

श्रवण एवं वाणी किलांगता :-

यदि बच्चे में सुनने और बोलने में दोनो खामियाँ है तो उसे श्रवण एवं वाणी विकलांगता कहते है । यदि बालक श्रवण विकलांग है तो वह स्वाभाविक रूप से वाणी विकलांग हो जाता है । अर्थात बधिर बच्चो को सुनने के साथ- साथ बोलने में भी कठिनाई आ जाती है । सामान्यः कोई भी बच्चा स्टोन डेफ नहीं होता अर्थात ऐसा नहीं होता कि बालक को बिलकुल भी सुनाई न दे और वो पत्थर हो । कुछ न कुछ सुनाई अवश्य देता है ।

अतः शेष बची हुई श्रवण शक्ति का विकास श्रवण विशेषज्ञों द्वारा जाँच करके तथा उचित

श्रवण यंत्र की सहायता से श्रवण प्रशिक्षण द्वारा पुनः विकसित किया जा सकता है । लगातार 2-3

वर्ष के श्रवण प्रशिक्षण एवं वाणी चिकित्सा (स्पीच थैरेपी) के माध्यम से बालक सामान्य बालकों की तरह सुन बोल सकता है ।

अस्थि विकलांगता :-

अस्थि जोड़ या मांसपेशियों के विकार जो हाथ पैर की सामान्य गति में निश्चित रूप से रूकावट पैदा करते हैं अस्थि विकलांगता के अन्तर्गत आता है । इसमें शारीरिक प्रारूप में असामान्यता या वकता, जन्म संबन्धी असामान्यता, दुर्घटनाएं जो हाथ पैर को अलग करती हैं अथवा रूप में परिवर्तन करती हैं ।, बीमारी के कारण या पोलियो के कारण व्यक्ति की रोजगार कार्य में बाधा डालती है ये सभी इस विकलांगता के अन्तर्गत आते हैं । सामान्यतः ऐसे बच्चों का दिमाग औसत बच्चों की तरह होता है । ऐसे बच्चों की स्थानांतरण के लिए उपकरण तथा यंत्र लेख यंत्र तथा अन्य सहायक यंत्रों की मदद से सहायता मिलती है ।

मानसिक मंदता :-

कुछ बच्चों का मानसिक विकास अपूर्ण होता है इसका प्रभाव मानसिक तीव्रता ,सामाजिक व्यवहार तथा अन्य व्यवहारों पर पड़ता है । जन्म से पहले ,जन्म के समय तथा जन्म के बाद के कारणों से यह अवस्था 18 वर्ष तक ही मान्य है जिसे विकास की आयु कहते हैं । ऐसे बच्चों को बोलने ,चलने ,अपना काम करने तथा सोचने समझने में परेशानी आती है । ऐसे बच्चे अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में बहुत धीमी गति से सीखते हैं । ऐसे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता

का विशेष रूप से योगदान होता है। इस तरह शिक्षक के मार्गदर्शन में ऐसे बच्चों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है।

अधिगम विकलांगता :-

जिन बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने तथा गणितीय क्रिया करने में कठिनाई होती है। उसे अधिगम विकलांगता की अवस्था कहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होता है।

सामान्यतः यदि बच्चे की तीव्रता तथा उसकी शैक्षणिक उपलब्धता में अधिक अंतर है तो वह इस विकलांगता की श्रेणी में आता है।

यह ध्यान में कभी संवेदना में विकार, स्मरण में विकार आदि के कारण होता है। ऐसे बच्चों का उपचार कुछ सही निर्देशों का उपयोग कर कुछ हद किया जा सकता है।

सर्वेक्षण –विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण :-

सर्व शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तथा उसमें विकलांग बच्चों के शिक्षा को सुदृढ़ एवं समृद्ध करने के लिये सबसे पहली सीढ़ी विकलांग बच्चों का चिहनीकरण है। सर्वेक्षण के द्वारा ऐसे विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चों की पहचान अति आवश्यक है। इसके लिए स्कूल के अंदर तथा स्कूल के बाहर अर्थात् पूरे क्षेत्र में रहने वाले विकलांग बच्चों की पहचान किया जाना है।

वातावरण सृजन :-

समाज तथा शिक्षकों में विकलांगता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार माध्यमों का उपयोग किया जाता है इसके लिये समाचार पत्र, टी0 वी0, विडियो, रेडियो, पोस्टर, चार्टस, पम्पलेट, श्लोगन आदि का उपयोग किया जाता है। समाज में गोष्ठियों को सम्बोधित करना, ग्राम पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर संगोष्ठी

कर इसके बारे में प्रचार एवं प्रसार दिया जाता है। विकलांगता के बारे में क्या, कब, क्यों, कैसे तथा इससे सम्बन्धित भ्रम तथा भ्रातियों पर विचार-विमर्श किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में विकलांग बच्चों की शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों में समान अवसर प्रदान करने के लिये सभी को प्रेरित करना है।

स्कूल के अन्दर विकलांग बच्चों की पहचान :-

यह कार्य शिक्षकों को थोड़ा प्रशिक्षण तथा विकलांगता की जानकारी देकर सम्पन्न दिया जाता है।

इसके लिये विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण पत्र या चेंक लिस्ट का प्रयोग किया जाता है तथा विभिन्न विकलांगता की पहचान की जाती है।

स्कूल के बाहर विकलांग बच्चों की पहचान :-

इस कार्य के लिये शिक्षकों या स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर थोड़े भत्ते देकर यह कार्य पूर्ण कराया जा सकता है। इस कार्य में क्षेत्र अन्वेषक की भी मदद ली जा सकती है जो घर घर जाकर ऐसे बच्चों की पहचान कर सकें।

समुदाय में, विद्यालय जानने के योग्य उम्र के बच्चे को जो किसी विकलांगता से ग्रसित होने के कारण विद्यालय न जा रहे हों। ऐसे बच्चे अपने स्टूडेंट्स के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण रखते हैं या वे विद्यालयों को अपने रुचि के अनुसार नहीं पाते अथवा स्कूल उनकी आवश्यकताओं को किसी कारण वश नहीं पूरा कर पा रहा है। ऐसे बच्चों की पहचान कर विद्यालय में उन्हें तैयार करके लाना जरूरी है।

बहुविभागीय टीम के द्वारा विकलांग बच्चों का मूल्यांकन:-

शिक्षकों द्वारा तथा सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त बच्चों का परीक्षण अनुभवी चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, विशेष शिक्षक द्वारा दिया जाता है। ऐसे बच्चों की संख्या, प्रकार तथा इसकी प्रभाव का ज्ञान प्राप्त किया जाता है यह योजना के निर्माण तथा विकलांग बच्चों की सही व्यवस्था करने में सुविधा प्रदान करते हैं।

शिक्षको का संवेदीकरण/प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा हो इसके लिये यह बहुत जरूरी है कि शिक्षकों को अपने पढ़ाने एवं सीखाने के तरीके, कक्षा की प्रणाली, योजना, अपनी जानकारी तथा कुशलता में बदलाव लायें। इसके साथ साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम वे अपने दृष्टिकोण में विकलांगता के प्रति बदलाव लाएँ जिससे कि शिक्षा प्रदान करने में अनेकों बाधाओं का निवारण हो सके। यह तभी सम्भव है जब विकलांग बच्चों की शिक्षा से पहले हमें सभी शिक्षको को प्रशिक्षण दिलाया जाये। यह प्रशिक्षण 5 दिन का होगा तथा इसमें प्रति विकास खण्ड 3 मास्टर ट्रेनर बनाने होंगे जो बाद में अन्य शिक्षको को प्रशिक्षण दे सकें। स्वयं सेवी संगठनों से भी मास्टर ट्रेनर बनाये जाएंगे।

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, अमर ज्योति रिहैब्लिटेशन से रिसर्च सेक्टर कडकडडुम्मा विकास मार्ग दिल्ली में होगा।

शैक्षिक सामग्री :-

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा सामग्री पहले से ही प्राप्त हो गई है। तथा सामग्री को सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराना है।

उपकरण तथा यंत्र :-

विभिन्न विकलांगता में उपयुक्त एवं उपयोगी उपकरण तथा यंत्र विकलांगतावार निम्नलिखित है।

नेत्र विकलांगता:-

लम्बी/नुडी क्रेन, स्टाइलस, टेलर फ्रेम, एबकस, ज्यामिति सीखने की ब्लाक, गणित किट, मानचित्र, ब्रेल में किताब, टेप रिकार्डर एवं कैसेट, खिलौने, टॉकिंग बुक्स, टॉकिंग कैलकुलेटर, ब्रेल प्रिंटिंग कम्प्यूटर, आंशिक दृष्टि

तथा अल्प दृष्टि विकलांगता :-

हस्त सूक्ष्म दर्शी, बड़ी छपाई की सामग्री, बहुरंगी चार्ट, खिलौने विभिन्न प्रकार की सतह, बाईनाकुलर, दृष्टि परीक्षण चार्ट, केयन्स।

वाक् एवं श्रवण विकलांगता :-

व्यक्ति श्रवण यंत्र, फ्लैश कार्ड, दर्पण, स्पीच ट्रेनर।

मनसिक मंदता :-

रंगीन खिलौने, फ्लैश कार्ड, बहुरंगी चार्ट, पोस्टर, शिक्षण खिलौने, खेल-कूद के सामान, टेप रिकार्डर एवं कैसेट, टी0 वी0 / वी0 सी0 आर0, अकूपेशनल चिरेपी उपकरण, कम्प्यूटर

अस्थि विकलांगता -

आवश्यकता के अनुसार कलम के आकार में बदलाव, कचेज, विशेष प्रकार के निर्मित जूता, तिपहिया, साइकिल, आवश्यकतानुसार फर्नीचर, स्पलीट ब्रेस, साइकिल कॉलर, फिजियोथिरेपी के यंत्र तथा उपकरण आदि।

अधिगम विकलांगता :-

विभिन्न प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएँ, शैक्षिक खिलौने, ब्लॉक, अक्षर, सख्याएँ प्रोजेक्टर, टेप रिकार्डर, प्लारस्टीसीन, रंगीन पेन्सिल, पेन, कम्प्यूटर।

स्वैच्छिक संगठनों की सहायता :-

विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षा तथा सम्बन्धित सेवा एवं तकनीकी सहायता तथा सहायक उपकरणों के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता एवं भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। ऐसे संगठनों में विशेष प्रकार की विकलांगता के विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध रहती हैं। बहु विभागीय टीम के द्वारा ऐसे बच्चों का मूल्यांकन, परीक्षण, उपचार, थिरेपी, मार्गदर्शन इत्यादि प्रदान किया जाता है बहु विभागीय टीम के अन्तर्गत चिकित्सक, बाल चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, नाक,-कान-गला विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, अस्थि चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, फिजियोथिरेपिस्ट, स्पीच थिरेपिस्ट एवं ओडियोलोजिस्ट, विशेष शिक्षा विशेषज्ञ एक साथ कार्य करते हैं तथा ऐसे बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं सेवाओं की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, तथा अनुसंधान के भी कार्यों का निर्वाह करते हैं, ऐसी संस्था व्यवसायिक प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चलाती है। सेमीनार, कार्यशाला के आयोजन में भी ये मुख्य भूमिका निभाती है। सरकार की नीति निर्धारण करने में भी यह महत्वपूर्ण योगदान देती है।

स्वैच्छिक संगठनों के निम्नांकित प्रात्रता की शर्तें हैं :-

- ❖ संस्था विशेष बच्चों की आवश्यकताओं, शिक्षा एवं पुर्नवास के क्षेत्र में कार्यरत हो।
- ❖ संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम 3 वर्ष का रजिस्ट्रेशन हो या उसका नवीनीकरण हुआ हो।
- ❖ संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।
- ❖ विकलांगता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो।
- ❖ संस्था विकलांगता जन अधिनियम 1995 की धारा -5 के अधीन पंजीकृत हो।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है । विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने तथा प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं । इस कार्य क्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी सस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी है । इस अभियान के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति , अभिभावकों तथा शिक्षकों का संवेदीकरण , विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल तथा जानकारी विकसित करने , छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों के संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने में विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर सहयोग दिया जा सकता है

स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था एवं मापदण्ड स्थापित है । जिसके तहत जनपद के अनुभवी ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारों की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा ।

जनपद बागपत में समेकित शिक्षा का कार्यक्रम:-

नव सृजित जनपद बागपत में कुल 6 विकास खण्ड है —

- ❖ बिनौली
- ❖ बडौत
- ❖ बागपत
- ❖ छपरौली
- ❖ खेकडा
- ❖ पिलाना

जनपद में समेकित शिक्षा का कार्यक्रम विशेष चयनित ब्लाक बागपत एवं खेकडा में चलाया जा रहा है।

5 प्रकार की विकलांगताओं से युक्त 6-11 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण किया गया।

कुल चिन्हीकरण

6-11वय वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया गया जिसमें 1212 विकलांग बच्चों चिन्हीत हुये। इसी प्रकार 11से 14 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण किया जायेगा। क्योंकि अभी तक डी0 पी0 ई0 पी0 में जूनियर हाईस्कूल को नहीं लिया गया था।

प्राप्त सूचना के आधार पर विकलांगता वाले 0-14 वर्ष की संख्या निम्नप्रकार से दर्शायी गयी है।

सम्पूर्ण जनपद सार प्राथमिक वर्ष-2003-2004

विकलांगता	बालक	बालिका	योग
दृष्टिअक्षमता	57	45	102
वाक-श्रवण अक्षमता	114	50	164
शारीरिक अक्षमता	523	492	1015
मानसिक मदता	127	70	197
अधिगम अक्षमता	132	75	207
योग	953	732	1685

सम्पूर्ण जनपद सार उच्च प्राथमिक वर्ष-2003-2004

विकलांगता	बालक	बालिका	योग
दृष्टिअक्षमता	11	7	18
वाक-श्रवण अक्षमता	21	7	28
शारीरिक अक्षमता	131	79	210
मानसिक मंदता	12	5	17
अधिगम अक्षमता	20	12	32
योग	195	110	305

DETAILS OF INTEGRATED CHILDREN (DISABILITY WISE)

District- Baghpat year 2000-2001

Table-8-15

Name of Block	No. Of School	CLASS I		CLASS II		CLASS III		CLASS IV		CLASS V		Total		
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T
BARAUT	85	66	29	46	26	25	14	27	19	25	08	189	96	285
CHAPRAULI	61	27	15	19	10	15	11	09	10	15	03	85	49	134
KHEKRA	62	16	10	12	09	11	05	11	05	11	07	61	36	97
PILANA	68	45	30	55	37	55	35	55	50	50	30	260	182	442
BINOLY	87	32	12	31	06	14	02	16	03	10	05	103	28	131
BAGHPAT	77	38	15	20	10	08	05	05	07	10	05	81	42	123
TOTAL	450	224	111	183	98	128	72	123	94	121	58	779	433	1212

DETAILS OF INTEGRATED CHILDREN (DISABILITY WISE)

District- Baghpat year 2000-2001

Table-8-16

Name of Block	No. Of School	VI		HI		OH		MR		LD		Total		
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T
BARAUT	85	01	02	32	19	152	71	-	-	04	04	189	96	285
BINOLI	87	13	05	10	02	68	20	01	-	11	01	103	28	131
KHEKRA	62	01	02	06	01	51	33	-	-	-	-	61	36	97
PILANA	68	30	31	46	30	84	58	20	10	80	53	260	182	442
CHAPRAULI	61	10	06	08	03	60	36	02	01	05	03	85	49	134
BAGHPAT	77	06	05	15	06	40	23	20	08	-	-	81	42	123
TOTAL	450	64	61	117	61	455	241	43	19	100	61	779	433	1212

मैडिकल असेसमेंट कैम्प:-

जनपद बागपत के विकास खण्ड खेकड़ा एवं बागपत में मैडिकल असेसमेंट कैम्प मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत द्वारा नामित चिकित्सको द्वारा लागाया गया जिसमें विकलांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वर्ष 2002-2003 में 9 मैडिकल कैम्प आयोजित कराये गये जिसमें 356 बालक तथा 205 बालिकायें कुल 561 बच्चों का मैडिकल एसेसमेंट किया गया।

वर्ष 2002-2003 में विकलांग 206 छात्र छात्राओं को सहायक उपकरण स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये। जिनका विवरण निम्नवत है।

वर्ष 2002-2003/2003-2004

मेडिकल एसेसमेंट केम्प का विवरण 2003-2004

जनपद - बागपत

विकास क्षेत्र			चिन्हित बच्चों का विवरण														
क्र०स०	केम्प की तिथि	आच्छादित न्यायपंचायतों की संख्या	दृष्टि			श्रवण			शारीरिक			मानसिक मदता			कुल बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	17.07.03	3	1	1	2	2	2	4	35	10	45	1	-	1	39	13	52
2	18.07.03	3	2	1	3	4	2	6	96	44	142	6	2	8	108	52	160
3	19.07.03	3	-	-	-	6	4	10	86	32	118	3	1	4	95	37	132
4	31.07.03	3	-	-	-	5	2	7	55	25	80	6	2	8	66	29	92
5	04.08.03	3	-	-	-	3	1	4	43	20	63	5	1	6	51	22	73
		योग	3	2	5	20	11	31	315	131	446	21	6	27	359	153	512

माडेकल एसेसमेंट केम्प का विवरण 2002-2003

जनपद -बागपत

माह-

विकास क्षेत्र			चिन्हित बच्चों का विवरण														
क्र०सं०	कैम्प की तिथि	आच्छादित न्यायपंचायतों की संख्या	दृष्टि			श्रवण			शारीरिक			मानसिक नदता			कुल बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	26.10.02	3	3	10	13	8	5	13	50	36	86	5	1	6	66	52	118
2	31.10.02	3	-	-	-	5	3	8	25	9	34	2	1	3	32	13	45
3	02.11.02	2	1	-	1	3	1	4	30	19	49	5	1	6	39	21	60
4	02.02.03	3	4	1	5	9	3	12	30	12	42	7	5	12	50	21	71
5	20.02.03	2	-	-	-	3	1	4	36	24	60	-	2	2	39	27	66
6	13.03.03	3	1	-	1	3	1	4	41	28	69	9	4	13	54	33	87
7	15.03.03	2	3	1	4	2	1	3	22	13	35	3	4	7	30	19	49
8	26.03.03	2	-	-	-	2	1	3	19	7	26	-	1	1	21	9	30
9	27.03.03	2	3	-	3	3	2	5	15	6	21	4	2	6	25	10	35
		योग	15	12	27	38	18	56	238	154	416	35	20	56	356	205	561

स्वास्थ्य उपलब्ध जिल्ला

उपकरण का नाम	टाई साईकिल	हीलचेयर	कच	हियरिंग ऐड	वाकिंग स्टिक	ब्लाइंड स्टिक
लाभन्वित छात्र 2002-03	96	6	71	28	2	3
2003-2004	20	11	48	13	-	-

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण:-

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ब्लाक के पी० ए० सी० (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) में कार्यरत ए० एन० एम० सप्ताह में एक बार विद्यालय में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है । साधारण रूप से ग्रसित बच्चों को वहीं पर उपचार कर दिया जाता है । तथा गंभीर रूप से ग्रसित बच्चों को जिला अस्पताल को प्रेषित कर दिया जाता है । वर्ष 2002-2003 में 80186 बच्चों में से 60773 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जो कुल छात्रों का 75.79 प्रतिशत था

भविष्य में विकलांग बच्चों के लिये किये जाने वाले कार्य-

विवरण	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान	1840	2392	2990	3588	4126
स्वैच्छिक सस्थाओं की सहायता	1840	2392	2990	3588	4126
विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण	84	93	101	578	586
पुनर्बोधोत्तमक प्रशिक्षण (आई०ई०डी०)	2095	2138	2170	2202	2234
आर०सी० का आई०ई०डी० मे 45 दिन का प्रशिक्षण	6	6	6	6	6

अध्याय -९

गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु नियोजन

एक समृद्ध व प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान के मानकों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। शिक्षा नीति १९८६ के अन्तर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की संकल्पना भी इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये की गई।

इसी क्रम में जनपद मेरठ के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की सीपना दिनांक २, मई १९८९ को उत्तर प्रदेश के बीस जनपदों में प्रथम चरण की डायट के रूप में स्थान छोटा मवाना में की गई। सीपना के उपरान्त ही डायट अपने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न है। इसके लिए डायट जिले भर के शैक्षिक अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन करता है।

बागपत जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में अपेक्षित सुधार के लिए अप्रैल २००० में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (तृतीय चरण) का शुभारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत जनपद बागपत में १९९९ में बेस लाईन सर्वे किया गया। इसके लिए रेन्डम् सैम्पलिंग द्वारा जनपद के ५० विद्यालयों का चयन किया गया। सर्वे कराने हेतु डायट प्राचार्य एवं चार प्रवक्तवियों को प्रशिक्षित किया गया, इस कार्य में सहयोग के लिए जनपद के १४ बी०एड०/एल०टी० प्रशिक्षित बेरोजगार उत्साही युवकों को डायट स्तर पर चयनित कर उन्हें दिनांक ७.१.९९ से १३.१.९९ तक ७ दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। पूरी टीम द्वारा दिनांक १२.१.९९ से २२.२.९९ तक जनपद के चयनित विद्यालयों में निर्धारित ७ प्रकार के टूल्स द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान विद्यालय में कक्षा-२ के कुल ८४७ छात्रों तथा कक्षा-५ के ५८६ छात्रों का भाषा व गणित विषय का परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम इस प्रकार थे—

आशट का उद्देश्य

1. दक्ष एवं प्रभावी सेवापूर्ण शिक्षक तैयार करना
2. विभाग के अध्यापकों तथा सगरत अधिकारियोंको प्रशिक्षित करना
3. वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना
4. ग्राम शिक्षा समितियों, स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा समुदाय के योग्य कार्यकर्ताओं को शैक्षिक क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रशिक्षण देना
5. सगरत शैक्षिक सूचनाओं का सगरत विश्लेषण व समाधान करना
6. बेसिक तथा प्रौढ शिक्षा की समस्याओं पर प्रयोग तथा क्रियात्मक शोध
7. जनपद में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करना
8. जनपद के शैक्षिक अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन करना
9. जिले की आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम का ज्ञान एवं विकास

आशट के विभाग

1. सेवापूर्व विभाग—भावी प्राथमिक अध्यापकों को वी.टी.सी. का द्विवर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करना
2. सगरत विभाग— सगरत अध्यापकों का प्रनरस्थापन प्रशिक्षण, पुनर्व्योधात्मक प्रशिक्षण, गुणवत्ता संवर्धन प्रशिक्षण
3. शैक्षिक तकनीकी विभाग— शिक्षा के क्षेत्र में दूरसंचार के उपकरणों का शिक्षण में प्रयोग एवं प्रशिक्षण

4. कार्यानुभव विभाग- प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा हेतु मार्ग दर्शन एवं प्रयोगात्मक कार्य करना
5. पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग- प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम का गुणवत्ता संवर्धन, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण एवं सर्वेक्षण का मूल्यांकन
6. जिला संसाधन एकक- स्थानीय महत्व के बिन्दुओं पर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन
अनौपचारिक शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण एवं केन्द्रों का अनुश्रवण
समग्र साक्षरता कर्मियों का प्रशिक्षण एवं शैक्षिक मूल्यांकन
7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग- शैक्षिक शोध, शैक्षिक लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु आंकड़े एकत्र करना तथा तर्किक रूप से कमबद्ध करना
लैब एरियाके विद्यालयों में विभिन्न विधाओं का उपयोग, अनुश्रवण तथा शैक्षिक क्रियाकलापों पर दृष्टि रखना

मध्यावधि सर्वेक्षण अध्ययन

जनपद में डी.पी.ई.पी. III के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में गुवत्ता संवर्धन हेतु विभिन्न निवेशों को लागू किया गया जैसे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (साधन माडयूल) आधारित, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रशिक्षण, जेण्डर समवेदीकरण प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण, शिक्षा मित्रों का आधारभूत प्रशिक्षण, शिक्षा मित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, ई.सी.सी. अभिकर्मियों का प्रशिक्षण, रुचिपूर्ण प्रशिक्षण, टी.एल.एम. निर्माण, टी.एल.एम.मेला, शैक्षिक सपोर्ट हेतु बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की पदस्थापना व प्रशिक्षण, अनुदान, साजसज्जा हेतु अनुदान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, विद्यालयों को विद्यालयों को साधन समपन्न किया गया

इन विभिन्न निवेशों की प्रभावोत्पादकता के आकलन हेतु विश्व बैंक रिपोर्ट न. 13072, पृष्ठ पर पैरा 323 (1) नवम्बर 1994 के अनुसार परियोजना के तृतीय व छठे वर्ष में मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया जाना आवश्यक है अतः इस कार्यक्रम की उपलब्धि को जानने हेतु मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया गया जिसमें कक्षा-2 के 863 और कक्षा-5 के 738 छात्रों का चयन हुआ।

परिणाम निम्नलिखित हैं

कक्षा	बालक	बालिका	ग्रामीण	शहरी	अनु0जाति	पि0 जाति	अन्य	योग
2 सं0	438	425	685	178	202	336	325	863
प्रति.	50.8	49.2	79.4	20.6	23.4	38.9	37.4	100
5 सं0	386	352	578	160	204	299	235	738
प्रति.	52.3	47.7	78.3	21.7	27.6	40.5	31.8	100

कक्षा-2 के छात्रों की भाषा व गणित में औसत उपलब्धि क्रमशः 90.42 प्रतिशत व 91.07 प्रतिशत है कक्षा-5 के छात्रों की भाषा व गणित में औसत उपलब्धि क्रमशः 65.43 प्रतिशत व 71.08 प्रतिशत है । कक्षा-2 में 1.4 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तरअसम्प्राप्त, 4.4 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त, 12.2 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर, 82 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त हैं ।

कक्षा-2 गणित में 0.93 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर असम्प्राप्त,3.24 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त, 10.44 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर, 81.69 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त हैं । कक्षा-5 भाषा में 7 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर असम्प्राप्त, 37 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त, 33.3 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर, 22.6 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त हैं । कक्षा-5 गणित में 5.77 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर असम्प्राप्त, 15.5 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त, 44.4 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर, 34.33 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त हैं ।

Table 8.100.56: Distribution of sample of class-I students by gender, area and caste-wise

	Boys	Girls	Rural	Urban	SC/ST	OBC	Others	Total
N	443	365	662	146	169	411	228	808
%	54.8	45.2	81.9	18.1	20.9	50.9	28.2	100.0

Table 8.108.56: Percentage distribution of class-I students on different levels of achievement on MLL scale in language (Gender-wise).

Levels	Boys(N=443)	Girls (N=365)	Total (N=808)
No MLL	69 (15.6)	69 (18.9)	138 (17.1)
Achieving MLL	80 (18.1)	73 (20.0)	153 (18.9)
Approaching Mastery	93 (21.0)	97 (26.6)	190 (23.5)
Achieving Mastery	443 (54.8)	365 (45.2)	808 (100.0)

Note: Figures in parenthesis are the percentages

Table 8.109.56: Percentage distribution of Class - I students on different levels of achievement on MLL scale in language (Caste-wise)

Levels	SC/ST (N=169)	OBC (N=411)	Others (N=228)	Total (N=808)
No MLL	36 (21.3)	71 (17.3)	31 (13.6)	138 (17.1)
Achieving MLL	35 (20.7)	80 (19.5)	38 (16.7)	153 (18.9)
Approaching Mastery	41 (24.3)	105 (25.5)	44 (19.3)	190 (23.5)
Achieving Mastery	57 (33.7)	155 (37.7)	115 (50.4)	327 (40.5)
Total	169 (20.9)	411 (50.9)	228 (28.2)	808 (100.0)

Note: Figures in parenthesis are the percentages

Table 8.109.56: Percentage distribution of Class - I students on different levels of achievement on, MLL scale in language (Area -wise)

Levels	Rural (N=662)	Urban (N=146)	Total (N=808)
No MLL	104 (15.8)	34 (23.3)	138 (17.1)
Achieving MLL	121 (18.3)	32 (21.9)	153 (18.9)
Approaching Mastery	167 (25.2)	23 (15.8)	190 (23.5)
Achieving Mastery	270 (40.8)	57 (39.0)	327 (40.5)
Total	662 (81.9)	146 (18.1)	808 (100.0)

Note: Figures in parenthesis are the percentages

Table 8.105.56 : Percentage distribution of Class-I students on different levels of achievement on MLL scale in mathematics (Gender - wise).

Levels	Boys (N=443)	Girls (N=365)	Total (N=808)
No MLL	26 (5.9)	53 (14.5)	79 (9.8)
Achieving MLL	59 (13.3)	72 (19.7)	131 (16.2)
Approaching Mastery	99 (22.3)	95 (26.0)	194 (24.0)
Achieving Mastery	259 (58.5)	145 (39.7)	404 (50.0)
Total	443 (54.8)	365 (45.2)	808 (100.0)

Note : Figures in parenthesis are the percentages.

Table 8.106.56 : Percentage distribution of class-I students on different levels of achievement on MLL scale in mathematics (Area-wise).

Levels	Rural (N=662)	Urban (N=146)	Total (N=808)
No MLL	61 (9.2)	18 (12.3)	79 (9.8)
Achieving MLL	107 (16.2)	24 (16.4)	131 (16.2)
Approaching Mastery	167 (25.2)	27 (18.5)	194 (24.0)
Achieving Mastery	327 (49.4)	77 (52.7)	404 (50.0)
Total	662 (81.9)	146 (18.1)	808 (100.0)

Note : Figures in parenthesis are the percentages.

Table 8.107.56 : Percentage distribution of class-I students on different levels of achievement on MLL scale in mathematics (Caste-wise).

Levels	SC/ST (N=169)	OBC (N=411)	Others (N=228)	Total (N=808)
No MLL	20 (11.8)	42 (10.2)	17 (7.5)	79 (9.8)
Achieving MLL	30 (17.8)	70 (17.0)	31 (13.6)	131 (16.2)
Approaching Mastery	52 (30.8)	94 (22.9)	48 (21.1)	194 (24.0)
Achieving Mastery	67 (39.6)	205 (49.9)	132 (57.9)	404 (50.0)
Total	169 (20.9)	411 (50.9)	228 (28.2)	808 (100.0)

Note : Figures in parenthesis are the percentages.

Table 9.105.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in language (Gender-wise).

(N=714)

Levels	Male		Female		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	131	29.4	92	34.2	223	31.2
Achieving MLL	191	42.9	119	44.2	310	43.4
Approaching Mastery	87	19.6	43	16.0	130	18.2
Achieving Mastery	36	8.1	15	5.6	51	7.1
Total	445	62.3	269	37.7	714	100.0

Table 9.106.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in language (Area-wise).

(N=714)

Levels	Rural		Urban		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	166	27.9	57	47.5	223	31.2
Achieving MLL	267	44.9	43	35.8	310	43.4
Approaching Mastery	112	18.9	18	15.0	130	18.2
Achieving Mastery	49	8.2	2	1.7	51	7.1
Total	594	83.2	120	16.8	714	100.0

Table 9.106.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in language (Area-wise).

(N=714)

Level	SC/ST		OBC		Others		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	39	27.9	110	35.3	74	28.2	223	31.2
Achieving MLL	73	52.1	129	41.3	108	41.2	310	43.4
Approaching Mastery	23	16.4	51	16.3	56	21.4	130	18.2
Total	140	19.6	312	43.7	262	36.7	714	100.0

Table 9.205.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in mathematics (Gender-wise).

(N=714)

Levels	Boys		Girls		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	343	77.1	221	82.1	564	79.0
Achieving MLL	78	17.5	40	14.9	118	16.5
Approaching Mastery	23	5.2	8	3.0	31	4.3
Achieving Mastery	1	0.2	0	0.0	1	0.1
Total	445	62.3	269	37.7	714	100.0

Table 9.206.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in mathematics (Area-wise).

(N=714)

Levels	Boys		Girls		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	456	76.8	108	90.0	564	79.0
Achieving MLL	106	17.8	12	10.0	118	16.5
Approaching Mastery	31	5.2	0	0.0	31	4.3
Achieving Mastery	1	0.2	0	0.0	1	0.1
Total	594	83.2	120	16.8	714	100.0

Table 9.207.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in mathematics (Caste-wise).

(N=714)

Levels	SC/ST		OBC		Others	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	113	80.7	252	80.8	190	76.0
Achieving MLL	23	16.4	51	16.3	44	16.8
Approaching Mastery	4	2.9	9	2.9	18	6.9
Achieving Mastery	0	0.0	0	0.0	1	0.4
Total	140	19.6	312	43.7	262	36.7

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के अकादमिक नेतृत्व में डायट की प्रवक्ताओं को ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किया है, जो अपने-अपने ब्लॉक में शैक्षिक बिन्दुओं की पहचानकर कार्ययोजना बनाते हैं तथा किस प्रकार छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो, इससे लिए प्रयासरत रहते हैं। मैन्टर्स द्वारा अध्यापकों, विद्यालयों, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को विभिन्न प्रकार से शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है। शैक्षिक गुणवत्ता हेतु जनपद में स्थापित बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता की इकाई के रूप में बी०आर०सी० की स्थापना की गयी है, जहाँ एक समन्वयक तथा दो सह-समन्वयकों की नियुक्ति की गयी है। बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को उनके कार्य एवं कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए दिनांक १.४.२००१ से २३.४.२००१ तक आधारभूत प्रशिक्षण (सात दिवसीय) दो फेरों में डायट पर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, कार्यशालायें, गोष्ठियाँ, मासिक बैठकों आदि के नियोजन, आयोजन प्रबन्धन मूल्यांकन विद्यालय भ्रमण, श्रेणीकरण की दक्षता विकसित करना रहा। इन प्रशिक्षणों का अनुश्रवण करके यह अनुभव किया गया कि इस कार्यक्रम से प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सगी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनान्द्राहित रहे, जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा -

१- उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षक की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।

- २- अशासकीय हाईस्कूल , इण्टर कॉलेज के साथ संचालित कक्षा ६-८ तथा कक्षा-१-५ के बच्चों की शैक्षिक आवस्यकताओं - कठिनाईयों का निवारण , शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों कठिनाईयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
- ३- मकतब, मदरसे में अध्ययनरत बच्चों तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं हो सके।

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य :-

क्र०सं०	संस्था का नाम	कुल संख्या
1-	जनपद में प्राथमिक परिपदीय विद्यालय	454
2-	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	200
3-	परिपदीय जूनियर हाईस्कूल	75
4-	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल	133
5-	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	06
6-	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	46

ग्राम शिक्षा समिति

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है।

डी०पी०ई०पी० में जनपद बागपत में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जनपद बागपत में शैक्षिक उन्नयन हेतु जिला सन्दर्भ समूह (डी०आर०जी०) तथा ब्लॉक संसाधन समूह (बी०आर०जी०) का गठन किया गया। जिला सन्दर्भ समूह में डायट प्रवक्ताएं, नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयंसेवक, सेवानिवृत्त ए०बी०एस०ए०, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सम्मिलित है। दिनांक २२.१.२००१ से १३.३.३००१ तक बागपत के छः ब्लॉक के १५७ प्रतिभागियों को ब्लॉक सन्दर्भ समूह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनपद स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन हेतु ए०आर०जी० (एकादमिक सन्दर्भ समूह) का गठन किया गया है, जिसमें डायट प्रान्चार्य के आतिथ्य में शैक्षिक विद्वान्, जिला सन्दर्भ समूह के सदस्य शिक्षक, बी०आर०सी०सी०, ए०पी०आर०सी०, जिला समन्वयक महिला समाख्या को सम्मिलित किया गया है। उपाका उद्देश्य है -

- १- प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन करना।
- २- प्राथमिक शिक्षकों तथा विद्यालयों में क्षमता संवर्धन करना।
- ३- ग्रा०शि०स० तथा विकास खण्ड स्तरीय सलाहकार समितियों एवं जिला परियोजना समिति की बैठक हेतु शैक्षिक एवं अकादमिक पहलुओं से सम्बन्धित विचारणीय बिन्दुओं की पहचान।
- ४- शिक्षा हेतु वातावरण सृजन तथा सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सम्पादित कार्यक्रम :-

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	अवधि	सम्मिलित	फेरे	प्रतिभागी संख्या
१-	स्कूल विजिनिंग कार्यशाला	२७.९.२००१ से ७.१२.२००१	५३		२ (बागपत)
२-	स्कूल विजिनिंग कार्यशाला	१२.९.२००० से २०.३.२००१	७५		२(मेरठ)
३-	बी०आर०जी० प्रशिक्षण	२२.१.२००१ से १७.३.२००१	३७४		८ (मेरठ ६(बागपत)
४-	ई०सी०सी०ई० प्रशिक्षण	१४.३.२००१ से २.४.२००१	६३		२ (मेरठ)
५-	टी०ओ०टी० प्रशिक्षण	६.१.२००१ से ३.२.२००१	२०९३		(मेरठ)(बागपत
सहारनपुर, बु०शहर गौतमबुद्धनगर।					
६-	आधार भूत प्रशिक्षण (बी.आर.सी.सी., एन.पी.आर.सी.सी.)	९.४.२००१ से २३.४.२००१ १०९			२ मेरठ, १बागपत
७-	बी.आर.सी.सी., एन.बी.आर.सी.सी. (टी०ओ०टी० प्रशिक्षण) दस दिवसीय	११.५.२००१ से २०.५.२००१ ६३			१ मेरठ १ बागपत
८	टी०ओ०टी० पुनः बोधात्मक प्रशिक्षण	२०.५.२००१ से २१.५.२००१ ६६			एक मेरठ, बागपत
९-	शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन कार्यशाला।	६.८.२००१ से १.९.२००१ १९०	६,		४ मेरठ २ बागपत
१०-	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रशिक्षण	२०.८.२००१ से ६.९.२००१ ७२			२ मेरठ, बागपत
११-	सर्माकित शिक्षा सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण	११.१०.२००१ से २०.१०.२००१ ३९			१ मेरठ
१२-	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	२९.९.२००१ से २५.१०.२००१ ११२			४ नगर क्षेत्र मेरठ व

मवाना ब्लॉक

13.	नगरक्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण	10.10.01 से 17.10.01 तक	29	1
14	समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	11.10.01 से 20.10.01	29	1
15	नगर क्षेत्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	18.10.01 से 25.10.01	30	1
16	दो द्विवसीय वर्कशाप	23.10.01 से 24.10.01	86	2
17	नगर क्षेत्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	29.10.01 से 05.11.01	57	2
18	नगर क्षेत्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	06.11.01 से 13.11.01	66	2
19	सतत, व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण	21.11.01 से 23.11.01	39	1
20	आई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण	19.11.01 से 28.11.01	40	1
21	नगर क्षेत्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	20.11.01 से 27.11.01	31	1
22	अवशेष शिक्षक/शिक्षा मित्र का सेवारत प्रशिक्षण	05.01.02 से 12.01.02	71	1
23	वै0शि0 अन्तर्गत एन.पी.आर.सी. सी. का प्रशिक्षण	07.01.02 से 08.01.02	33	1
		09.01.02 से 10.01.02	49	1
24	नगर क्षेत्र शिक्षा मित्रों का सेवारत प्रशिक्षण	15.01.02 से 22.01.02	67	1
25	जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण	19.02.02 से 22.02.02	42	1
26	शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण कार्यशाला	25.02.02 से 27.02.02	13	1
27	आई.सी.सी. प्रशिक्षण	25.02.02 से 04.03.02	34	1
28	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	04.03.02 से 07.03.02	23	1
29	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	04.03.02 से 07.03.02	08	1
30	टी.एल.एम कार्यशाला	06.03.02 से 08.03.02 तक	16	1

31	जनपद स्तरीय टी.एल.एम. मेला	26.04.02	200	1
32	बी.आर.सी. स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु संदर्भदताओं का प्रशिक्षण	01.06.02 से 08.06.02	54	1
33	बी.आर.सी. स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु संदर्भदताओं का प्रशिक्षण	01.06.02 से 08.06.02	27	1
34	वित्तीय प्रशिक्षण	11.06.02 से 12.06.02	97	1
35	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	25.06.02 से 24.07.02	49	1
36	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	25.06.02 से 24.07.02	42	1
37	आचार्य प्रशिक्षण	25.06.02 से 24.07.02	18	1
38	अनुदेशक	25.06.02 से 24.07.02	23	1
39	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोध्यात्मक)	01.08.02 से 15.08.02	60	1
40	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोध्यात्मक)	01.08.02 से 15.08.02	10	1
41	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोध्यात्मक)	01.08.02 से 30.08.02	41	1
42	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोध्यात्मक)	01.08.02 से 30.08.02	23	1
43	अनुदेशक प्रशिक्षण	01.08.02 से 30.08.02	38	1
44	अवशेष अनुदेशक	01.08.02 से 30.08.02	02	1
45	अवशेष आचार्य	01.08.02 से 30.08.02	07	1

बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्यवकों का प्रशिक्षण :-

बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन के सक्रिय केन्द्र हैं। इसलिए इन के समन्यवकों को अपने क्षेत्र की विधिवत् जानकारी हो तथा वे अपने कार्यों और दायित्वों से भली-भाँति परिचित हो यह आवश्यक है। इसके लिए डायट स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य :-

- १- क्षमता संवर्द्धन करना।
 - २- शिक्षकों के शिक्षण मार्ग के सुगमकर्ता के रूप में बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० को समन्यवकों को विकसित करना।
 - ३- विद्यालय भ्रमण के तरीकों से परिचित कराना।
 - ४- विद्यालय समस्याओं से परिचित होकर उनके समाधान कर सकने की क्षमता का विकास करना।
 - ५- डायट और विद्यालय के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना।
 - ६- शिक्षकों में सेवारत प्रशिक्षण के प्रभाव को सुनिश्चित कराना।
 - ७- शैक्षिक अनुसमर्थन एवं आदर्श पाठ्य प्रस्तुति की क्षमता विकसित करना।
 - ८- आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन प्रबन्धन एवं आयोजन की क्षमता का विकास करना।
- उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु डायट स्तर पर आयोजित कार्यक्रम -

अ- विजनिंग कार्यशालाएँ :- (मुख्य बिन्दु)

- १- विद्यालय भ्रमण के दौरान एक आदर्श विद्यालय में क्या-क्या देखना पसन्द करते हैं।
- २- विद्यालय से बाहर तथा विद्यालय के अन्दर के अधिगम तथा खेलों में निहित दक्षता।
- ३- विभिन्न क्रिया-कलापों का शैक्षिक महत्व।
- ४- बच्चों, अध्यापकों /कक्षा शिक्षण की कठिनाईयों पर चर्चा।
- ५- बच्चों के अनुसार विद्यालय कैसा हो।

जनपद मेरठ में दिनांक १२.९.२००० से १५.९.२००० तथा १७.३.२०००१ से २०.३.२००१ तक दो विजिनिंग कार्यशालाएँ आयोजित की गयी जिसमें ७९ बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक तथा ए०बी०एस०ए० ने प्रतिभाग किया।

ब- आधार भूत प्रशिक्षण :-

दिनांक १.४.२००१ से २३.४.२००१ तक बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को आधारभूत प्रशिक्षण (सात दिवसीय) दो फ़रों में डायट पर आयोजित किया गया। इसके प्रमुख बिन्दु :-

- १- बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्वयकों को उनके कार्य एवं कर्तव्यों की जानकारी देना।
- २- उनमें विभिन्न कार्यक्रमों प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, गोष्ठियाँ, मासिक बैठकों आदि के नियोजन, आयोजन, एवं प्रबन्धन तथा मूल्यांकन की क्षमता का विकास करना।
- ३- गतिविधियों तथा टी०एल०एम० के निर्माण विकास एवं प्रयोग की दक्षता विकसित करना।
- ४- पुस्तकालय, रखरखाव, एवं उपयोग की क्षमता का विकास करना।
- ५- विद्यालय भ्रमण एवं श्रेणीकरण की दक्षता विकसित करना।
- ६- अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग तथा पंजिकाओं की रख-रखाव की क्षमता विकसित करना।

सेवारत प्रशिक्षण :-

शिक्षकों के शिक्षण कौशल में वृद्धि तथा कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा रूचिकर बनाने के उद्देश्य से समस्त शिक्षकों के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था डायट द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर करायी गयी है।

प्रशिक्षकों का चयन:-

प्रत्येक विकास खण्ड से १५-१५ योग्य कर्मठ एवं समर्पित शिक्षकों का चयन ब्लॉक स्तर पर कर डायट पर लिखित एवं मौखिक परीक्षण उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक के ५-५ शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में चयनित किया गया।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण :-

जनपद के ६ विकास खण्डों के चयनित शिक्षक प्रशिक्षकों का आठ दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तरीय सन्दर्भ समूह द्वारा दिनांक ६.१.२००१ से ३.२.२००१ तक कराया गया। इन प्रशिक्षकों को पुर्नर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर दिनांक २०.५.२००१ से २१.५.२००१ तक आयोजित किया गया। तदोपरान्त दिनांक २५.५.२००१ से ३.७.२००१ तक

(१४) फेरों में शिक्षकों को विकास खण्ड स्तर पर "साधन" मॉडल के आधार पर आठ दिवसीय प्रशिक्षण (४६ गजों में) प्रदान किये जाने की व्यवस्था का आयोजन प्रबन्धन तथा

मूल्यांकन डायट द्वारा किया गया। प्रशिक्षण मुख्यतः इन बिन्दुओं पर आधारित था।

- १- नवीन पाठ्य-पुस्तकों का परिचय एवं प्रयोग विधि।
- २- गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके।
- ३- बहुउद्देश्य शिक्षण अधिगम साग्री।
- ४- बहु कक्षा/बहु स्तरीय कक्षा शिक्षण।
- ५- समय प्रबन्धन।
- ६- विद्यालयों का श्रेणीकरण।
- ७- सीखने का मूल्यांकन।
- ८- वर्तनी की अशुद्धियाँ ।
- ९- सुलेख ।
- १०- साप्ताहिक समय सारिणी।
- ११- समेकित शिक्षा।

उक्त प्रशिक्षण शिवरों का डायट प्राचार्य एवं मैन्टर्स द्वारा अनवरत् भ्रमण

अवलोकन एवं मूल्यांकन किया गया जिसकी विश्लेषण आख्या निम्नवत्

है :-

विश्लेषण आख्या :-

- १- प्रशिक्षण में प्रतिभागी निर्धारित संख्या में उपस्थित रहे।
- २- प्रशिक्षकों में प्रशिक्षण के प्रति उत्साह था तथा वे आशावान थे।
- ३- प्रशिक्षण मॉड्यूल "साधन" के अनुसार संचालित किये जाने का प्रयास किया गया।
- ४- वास्तविक कक्षाओं में कक्षा शिक्षण का अभ्यास कराया गया। किन्तु ग्रीष्म अवकाश के कारण छात्र संख्या न्यून रहीं।
- ५- गाठय-पुस्तकें तथा शिक्षक संदर्शिकाएं केन्द्र पर उपलब्धि किन्तु उन पर व्यापक चर्चा नहीं की सकी।
- ७- शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कराया गया किन्तु समय कम प्रतीत हुआ।
- ८- प्रशिक्षण कक्षा में बैठने की समुचित व्यवस्था थी कहीं-कहीं गतिविधियाँ कराने हेतु स्थान कम था।
- ९- प्रतिभागी प्रशिक्षणोपरान्त नवीन शिक्षा सदस्य शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन के लिये आशावान थे।
- १०- प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया गया।
- ११- डायट प्राचार्य एवं मेन्टर्स द्वारा समय-समय पर उचित मार्गदर्शन एवं सपोर्ट भी प्रदान किया गया।

शिक्षकों को सहयोग / समर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता संवर्धन हेतु परम्परागत शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता को अनुभव किया गया। इस परिवर्तन में शिक्षक एक अहम् भूमिका का निर्वाह करता है। आधुनिक गतिविधि आधारित शिक्षण विद्या से परिचित कराने के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लॉक स्तर पर बी०आर०सी० समन्वयकों की व्यवस्था है। शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट द्वारा बी०आर०सी०, ए०बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी०सी० को तीन दिवसीय "शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं" का आयोजन किया गया। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डिकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों, बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० को श्रेणीबद्ध किया जाना सुनिश्चित है। जनपद में स्कूलों की श्रेणीवार स्थिति निम्नवत् है:-

जनपद में स्कूलों की श्रेणीवार स्थिति

विद्यालय श्रेणीकरण

श्रेणी	अगस्त	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई
A	—	—	—							
B	10	85	110	120						
C	224	159	166	155						
D	226	206	184	175						
योग	450	450	450	450						

स्रोत : डायट, छोटा मवाना, मेरठ।

उपरोक्त श्रेणीकरण से स्पष्ट है कि यद्यपि 'ए' श्रेणी में जनपद का कोई विद्यालय नहीं आ पाया है, तथापि 'डी' श्रेणी के विद्यालयों की संख्या उत्तरोत्तर घटती जा रही है। एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी०सी० समन्वयकों, मैन्टर्स द्वारा विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जाता है। इस दौरान जो शैक्षिक समस्याएं चिन्हित की जाती हैं, उनका निस्तान मासिक बैठकों, कार्यशालाओं में किया जाता है।

मैन्टर द्वारा प्रदान किये जाने वाले शैक्षिक सहयोग :-

शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि हेतु डायट के प्रवक्ताओं को ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किया गया है जो अपने-अपने ब्लॉक में शैक्षिक बिन्दुओं की पहचान कर कार्ययोजना बनाते हैं तथा किस प्रकार छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिये प्रयासरत रहते हैं। मैन्टर्स द्वारा अध्यापकों, विद्यालयों, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को विभिन्न प्रकार से शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

१.- बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० मासिक बैठकों में प्रतिभाग एवं शैक्षिक मार्गदर्शन ।

- २- विद्यालय भ्रमण के दौरान आदर्श पाठ प्रस्तुति।
- ३- शैक्षिक विन्दुओं की पहचान एवं भावी कार्य योजना का निर्माण ।
- ४- शिक्षक संदर्शिकाओं का शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित करना।
- ५- टी०एल०एम० निर्माण हेतु मार्गदर्शन ।

बी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले शैक्षिक सहयोग :-

ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता की इकाई के रूप में बी०आर०सी० की स्थापना की गयी है जहाँ एक समन्वयक तथा दो सह-समन्वयकों की नियुक्ति की गयी है। यह समन्वयक माह में एक बार प्रत्येक न्याय पंचायत के दो स्कूलों का भ्रमण करते हैं तथा शैक्षिक समस्याओं चिन्हीं करण व चयन करते हैं। इन्हें डायट स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षणों द्वारा अपने दायित्वों से भली-भाँति परिचित करा दिया गया है। इनके शैक्षिक दायित्व इस प्रकार हैं :-

- १- विद्यालय भ्रमण
- २- आदर्श पाठों की प्रस्तुति।
- ३- कक्षा - शिक्षण में आने वाली समस्याओं की पहचान व निराकरण हेतु प्रयास ।
- ४- शैक्षिक अनुसमर्थन ।
- ५- शिक्षण अधिगम (सामग्री निर्माण एवं प्रयोग)
- ६- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव को सुनिश्चित करना।
- ७- शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन ।
- ८- शैक्षिक मुद्दों का डायट को प्रेषण।


एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले शैक्षिक सहयोग :-

जिले की प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक न्याय पंचायत समन्वयक नियुक्त किया गया है जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन हेतु जवाब देह है। यह विद्यालय की सबसे निकटतम व सशक्त इकाई है। इस कारण विद्यालय उन्नयन में इसका दायित्व सबसे अहम है। एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा निम्नवत अपने दायित्वों की निर्वहन किया जाता है।

- १- विद्यालय भ्रमण एवं श्रेणीकरण
- २- शैक्षिक अनुसमर्थन
- ३- आदर्श पाठ प्रस्तुति
- ४- विद्यालय भ्रमण के दौरान शैक्षिक बिन्दुओं का चिन्हीकरण तथा समाधान न होने वाले बिन्दुओं का बी०आर०सी० पर प्रेषण ।
- ५- अध्यापकों में शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग की क्षमता का विकास।

डायट बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० सह-सम्बन्ध :-

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु जनपद की शीर्षस्थ संस्था डायट है । डायट का सम्बन्ध किस प्रकार विद्यालय से हो इसके लिये ब्लॉक स्तर पर बी०आर०सी० तथा न्याय पंचायत स्तर पर एन०पी०आर०सी० इकाईयों की संकल्पना की गयी है। इन इकाईयों में परस्पर जीवन्त सम्बन्ध होना आवश्यक है। एन०पी०आर०सी० विद्यालय की सबसे निकटतम् तथा सशक्त इकाई है इसलिए उसके द्वारा प्रत्येक विद्यालय का माह के दो बार भ्रमण किया जाना है। भ्रमण से प्राप्त शैक्षिक मुद्दों/समस्याओं को तथा भ्रमण की आख्या प्रतिमाह उसके द्वारा बी०आर०सी० को प्रेषित की जानी है बी०आर०सी० द्वारा प्रतिमाह अपनी समस्त सूचनाएं एवं शैक्षिक मुद्दे डायट को प्रेषित किये जाने हैं तथा डायट पर होने वाली मासिक बैठक में प्रतिभाग कर विचारविमर्श व समाधान खोजना है। इस प्रकार जिला/ब्लॉक तथा न्याय पंचायत की तीनों इकाईयाँ परस्पर जीवन्त सम्बन्ध रखते हुये विद्यालय स्तरोन्नयन तथा शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु प्रयासरत रहेगी।



डाइट में आयोजित बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठक प्रमुख चर्चा बिन्दु :-

- १- बी०आर०सी०सी० एन०पी०आर०सी०सी० के चयन व प्रशिक्षणों की स्थिति
- २- बी०आर०सी०सी० एन०पी०आर०सी०सी० के द्वारा किये गये शैक्षिक कार्या की समीक्षा।
- ३- विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति।
- ४- जी०ई०आर० एन०ई०आर० शाला त्याग की दर।
- ५- ई०एम०आई०एस० डाटा जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषण की स्थिति।
- ६- बी०आर०सी० व एन०पी०आर०सी० पर लगाये जाने वाले चार्टस।
- ७- एन०पी०आर०सी० द्वारा किये गये विद्यालय भ्रमण की विश्लेषण आख्या।
- ८- बी०आर०सी० ग्तर्रीय एन०पी०आर०सी० की बैठक का एजेण्डा।
- ९- बी०ई०सी० प्रशिक्षण की स्थिति।
- १०- बालिका शिक्षा के कैम्प की स्थिति।
- ११- बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० डायरी की पूर्ति ।
- १२- एन०पी०आर०सी० द्वारा प्राप्त शैक्षिक मुद्दे /समस्यायें।
- १३- बी०आर०सी० के आगामी ३ माह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का कलैण्डर।

- १४— सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की आख्या तथा व्यय विवरण और प्रशिक्षण से वंचित अध्यापकों की स्थिति।
- १५— शिक्षक सन्दर्शिकाओं की उपलब्धता , वितरण व प्रयोग की स्थिति।
- १६— अध्यापक नवाचार।
- १७— क्रियात्मक शोध।
- १८— अध्यापक सन्दर्भ समूह का चिन्हीकरण।

सुझाव :-

- १— विद्यालय श्रेणीकरण से सम्बन्धित पंजिकाओं को तैयार करने सम्बन्धी जानकारी ।
- २— बी०आर०सी० को केन्द्र पर रखे जाने वाले ऑकड़ों के बारे में जानकारी।
- ३— ई०एम०आई०एस० डाटा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी।
- ४— एन०पी०आर०सी० पर होने वाली मा० बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
- ५— पाठ्य पुस्तकों/ शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की जानकारी।
- ६— अध्यापक सन्दर्भ समूह की पहचान कैसे करें, अध्यापक द्वारा किये जाने रहे अभिनव प्रयोग व क्रियात्मक शोध पर चर्चा।
- ७— बी०आर०सी०सी० द्वारा किये गये विद्यालय भ्रमण तथा श्रेणीकरण की स्थिति।
- ८— विद्यालय को आदर्श बनाने सम्बन्धी मार्गदर्शन ।
- ९— शैक्षिक भूदों की पहचान कैसे की जाये इस सन्दर्भित जानकारी।

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी०पी०ई०पी० योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व स्थिति का विवरण

क्र०सं०	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा०स्तर
१-	शिक्षकों की कुल संख्या	1790	261
२-	हाईस्कूल में कम योग्यताधारी	—	—
३-	हाईस्कूल से अधिक योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षक	40	—
४-	प्रशिक्षित शिक्षक	1750	261

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी जनपद में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है। उच्च प्रा०वि० में भाषा, गणित, विज्ञान के विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए तभी वह इन विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

प्रभावी शिक्षण में सहायक सामग्री के उपयोग का बहुत महत्व है। जहाँ तक शिक्षक — सामग्री के माध्यम से शिक्षण की बात है देखना में आया है कि इसका प्रयोग कम हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर तो सहायक सामग्री का प्रयोग देखने को मिलता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग नहीं हो पाता है अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता है, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा विकास खण्ड के किसी माध्यमिक विद्यालय को स्कूल विद्यालय बनाकर उसमें प्रयोगशाला की सामग्री दी जायेगी और इन्हीं विद्यालयों में विकास विकास खण्ड के विद्यालयों को प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जायेगी।

एस०एस०ए० के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणात्मक, गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त दीर्घकालीन, महत्वकॉक्षी कार्यक्रम है। वर्ष २०१० तक सभी बालक — बालिकाओं के लिए गुणवत्ता परक व जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना इसका विशिष्ट लक्ष्य है। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

- १- ६ से १४ वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल , ई०सी०एस० केन्द्र व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
- २- २००७ तक सभी बच्चों की कक्षा-५ तक की तथा २०१० तक कक्षा -८ तक की शिक्षा प्रदान करा दी जायेगी।
- ३- छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाना।
- ४- प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं, समुदायाओं और समूहों के मध्य अन्तर को २००७ तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर २०१० तक समाप्त कर लिया जायेगा।
- ५- लक्ष्य समूह (६-१४) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य २०१० तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा, जिसमें जनपद — विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु ४ दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा, जिसमें एक विजन विकसित करने का प्रयास किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण

प्रथम वर्ष :-

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम		शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१-	प्रशिक्षण		शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (निर्धारित मॉड्यूल आधारित)	नयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२-	प्रशिक्षण		सहायक शिक्षकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक शिक्षक	३० दिवस
		क-	शिक्षक संदर्शिका प्रयोग		०५ दिवस
		ख-	बहुकक्षा शिक्षण		०३ दिवस
		ग-	गन्त एवं व्यापक मूल्यांकन		०३ दिवस
		घ-	शिक्षण अभिगम सामग्री निर्माण एवं विकास		०३ दिवस
		ङ-	उपचारात्मक शिक्षण		०३ दिवस
		च-	भाषा, गणित, विज्ञान, सा० अध्ययन की पाठ - योजना निर्माण		०३ दिवस
		छ-	प्रश्न-पत्र - निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
		ज-	भाषा वर्तनी सुधार सम्बन्धी प्रशिक्षण		०३ दिवस
३-	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		क-	विद्यालय प्रबन्धन, नेतृत्व विद्यालयीय अभिलेख का प्रयोग व रख-रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ख-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		ग-	शिक्षक-संदर्शिका प्रयोग आधारित प्रशिक्षण		०५ दिवस
		घ-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		ङ-	बहुकक्षा शिक्षण		०३ दिवस

		च-	गणित व विज्ञान विषय को रोचक बनाने हेतु प्रशिक्षण		०३ दिवस
४-	प्रशिक्षण		रोचक शिक्षक— प्रशिक्षण	रोचक शिक्षक	२० दिवस
		क-	गणित व विज्ञान विषयक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ख-	'साधन' मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण		०८ दिवस
		ग-	शिक्षक—संदर्शिका प्रयोग प्रशिक्षण		०३ दिवस
		घ-	अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण ए वं प्रयोग कार्यशाला		०३ दिवस
		ङ-	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्ष ण		०३ दिवस
५-	प्रशिक्षण		रोचक शिक्षक का पुनर्बोधप्रदात्मक प्रशिक्षण	रोचक शिक्षक	२० दिवस
		क-	शिक्षक—संदर्शिका प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
		ख-	भाषा, गणित, विषयक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ग-	उपचारात्मक शिक्षण		०३ दिवस
		घ-	आदर्श पाठ—प्रस्तुतिकरण		०३ दिवस
		ङ-	शिक्षण—अधिगम सामग्री — निर्माण एवं प्र योग कार्यशाला		०३ दिवस
		च-	बहुकक्षा शिक्षण व प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
६-	प्रशिक्षण		वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों व अनुदेशकों का पुनर्बोधप्रदात्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभि कर्मी व अनुदेशक	२० दिवस
७-	प्रशिक्षण		ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी नेतृत्व, समय प्रबन्धन, विद्यालय अभिलेखों	ए०बी०एस०ए०/ ए स०डी०आई०	०५ दिवस

			का रख-रखाव, मूक पर्यवेक्षण आधारित प्रशिक्षण		
८-	प्रशिक्षण		संगठित शिक्षा	सहायक अध्यापक	०५ दिवस

द्वितीय वर्ष :-

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१--	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२--	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	नियुक्त स०अध्यापक	३० दिवस
		क- शिक्षक सन्दर्शिका प्रयोग		०५ दिवस
		ख- बहुकक्षा शिक्षण		०५ दिवस
		ग- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन		०३ दिवस
		घ- साधन माड्यूल आधारित सेवारत प्रशिक्षण		०८ दिवस
		ङ.- शिक्षण अभिगम सामग्री निर्माण		०३ दिवस
		च- उपन्यात्मक शिक्षण		०३ दिवस
		छ- क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३-	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	
		क- प्रभावी नेतृत्व एवं अभिलेखों का रख-रखाव		०४ दिवस
		ख- विद्यालय श्रृंखलीकरण		०३ दिवस
		ग- शिक्षक-सन्दर्शिकाओं का प्रयोग		०५ दिवस
		घ- प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		ङ.- क्रियात्मक शोध		०२ दिवस
		च- आदर्श पाठ-योजना निर्माण		०३ दिवस

४-	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क- विज्ञान व गणित पर आधारित सोपान मॉड्यूल आ धारित प्रशिक्षण		१० दिवस
		ख- आदर्श पाठ योजना		०५ दिवस
		ग- उपचायत्मक शिक्षण		०५ दिवस
५-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
६-	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अधिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोध त्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अधिकर्मी/अ नुदेशक	२० दिवस
७-	प्रशिक्षण	बी०आर०समन्वयकों का पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक	
		क- शैक्षिक सपोर्ट व सुपरविजन		०३ दिवस
		ख- शिक्षक -संदर्शिका प्रयोग		१० दिवस
		ग- आधारभूत का समर्थन मॉड्यूल आधारित पुनर्बोध		०७ दिवस
८-	प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	२० दिवस
		क- शैक्षिक सपोर्ट व सुपरविजन		०३ दिवस
		ख- शिक्षक -संदर्शिका प्रयोग		१० दिवस
		ग- आधारभूत का समर्थन मॉड्यूल आधारित पुनर्बोध		०७ दिवस
९-	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी निरीक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आ ई०	०५ दिवस
१०-	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	बी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस

तृतीय वर्ष :-

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२-	प्रशिक्षण	सहायक शिक्षकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
३-	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४-	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	२० दिवस
		क- शिक्षक संदर्शिका प्रयोग	सहायक अध्यापक	०८ दिवस
		ख - साधन मॉड्यूल आधारित गेवारत प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	०८ दिवस
		ग- शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण	सहायक अध्यापक	०४ दिवस
५-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित)	कार्यरत शिक्षामित्र	२० दिवस
६-	प्रशिक्षण	वैकल्पिक अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	वैकल्पिक अभिकर्मी/ अनुदेशक	३० दिवस
७-	प्रशिक्षण	वैकल्पिक अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक अभिकर्मी/ अनुदेशक	२० दिवस
८-	प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (समर्थन मॉड्यूल आधारित)	बी०आर०सी० / समन्वयक	०५ दिवस
९-	प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को समर्थन मॉड्यूल आधारित आधारभूत पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस
१०-	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए० / एस०डी०आई० प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए० / एस०डी०आई०	०५ दिवस
११-	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस

चतुर्थ वर्ष :-

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२-	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	नियुक्त सहायक अध्यापक	३० दिवस
३-	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४-	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क- भाषा व सा० अध्यापक		१० दिवस
		ख- आदर्श पाठयोजना		०५ दिवस
		ग- शिक्षण-अभिगम सामग्री - निर्माण, प्रयोग व वि काग		०५ दिवस
५-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
६-	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्तियों/अनुदेशकों का पुनर्बोध त्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी व अनुदेशक	२० दिवस
७-	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक सपोर्ट का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आ ई०	०५ दिवस

पंचम वर्ष :

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२-	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
३-	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४-	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क- अंग्रेजी व संस्कृत विषय प्रशिक्षण		१० दिवस
		ख-शिक्षक सदस्यिका प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस

		ग- पाठ-योजना निर्माण व प्रयोग		०५ दिवस
५-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रम)	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
६-	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी/अनुदेशक	२० दिवस
७-	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक रजिस्ट्रार प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई०	०५ दिवस
८-	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	चयनित सहायक अध्यापक	०५ दिवस

षष्ठ वर्ष

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२-	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रम)	नियुक्त सहायक अध्यापक	३० दिवस
३-	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४-	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क- छात्रों की रतारानुरूप पाठ-योजना	शिक्षक	०५ दिवस
		ख- सहायक सामग्री-निर्माण विषयक कार्यशाला		०५ दिवस
		ग- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन		०५ दिवस
		घ- वर्तनी सुधार विषयक प्रशिक्षण		०५ दिवस
		ङ- उपनारात्मक शिक्षण प्रशिक्षण		०२ दिवस
५-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार)	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस

६-	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधन मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मा/अ नुदेशक	२० दिवस
७-	प्रशिक्षण	ए०वी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक सपोर्ट का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आ ई०	०५ दिवस
८-	प्रशिक्षण	संयुक्त शिक्षा	चयनित सहायक अध्यापक	०५ दिवस

सप्तम वर्ष.

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शॉर्पक	प्रतिभागी	अवधि
१-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२-	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्राथमिक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित जन कार्यक्रम)	नियुक्त सहायक अध्यापक	३० दिवस
३-	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४-	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क- आदर्श प्रश्न-पत्र निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
		ख- गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ग- शैक्षिक मापन व मूल्यांकन		०३ दिवस
		घ- पर्यावरणीय संरक्षण		०३ दिवस
		ड- अंग्रेजी, संस्कृत, भाषा शिक्षण प्रशिक्षण		०६ दिवस
		च- आदर्श-पाठ प्रशिक्षण		०२ दिवस
५-	प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयकों का पुनर्बोधन प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस
६-	प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का पुनर्बोधन प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस
७-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधन प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित का)	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस

		र्यक्रमानुसार)		
८-	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधत मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी/अ नुदेशक	२० दिवस
९-	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए० एस०डी०आई० का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक गणार्थ का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आ ई०	०५ दिवस
१०-	प्रशिक्षण	समर्पित शिक्षा	चयनित सहायक अध्यापक	०५ दिवस

अष्टम् वर्ष

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२-	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रम)	नियुक्त सहायक अध्यापक	३० दिवस
३-	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४-	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क- आदर्श प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला		०५ दिवस
		ख- वर्तनी सुधार विषयक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ग- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन		०५ दिवस
		घ- राह्यक सामग्री निर्माण विषयक कार्यशाला		०५ दिवस
		ङ- उपचारात्मक प्रशिक्षण		०२ दिवस
५-	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार)	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
६-	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधत मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी/अ नुदेशक	२० दिवस

७-	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक सपोर्ट का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आ ई०	०५ दिवस
८-	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	चयनित सहायक अध्यापक	०५ दिवस

उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण

प्रथम वर्ष :-

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१-	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१-	मौलिक प्रशिक्षण एवं		१० दिवस
		२-	विज्ञान प्रशिक्षण		०६ दिवस
		३-	अंग्रेजी, संस्कृत भाषा शिक्षण प्रशिक्षण शैक्षिक म ापन व मूल्यांकन		०३ दिवस
		४-	शिक्षक संदर्शिका प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
		५-	पर्यावरण संरक्षण		०३ दिवस
		६-	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग प्रशिक्षण		०३ दिवस
२-	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक जूनियर	२० दिवस
		१-	विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव व प्रभावी ने तृत्व		०३ दिवस
		२-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३-	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग की सुनिश्चिता		०५ दिवस
		४-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
		६-	व्यक्तिगत प्रशिक्षण		०३ दिवस
३-	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	सेवारत अध्यापक	२० दिवस
					०७ दिवस
		२-	हिन्दी भाषा वर्तनी सुधार (मानक वर्तनी)		०३ दिवस
		३-	आदर्श पाठ निर्माण प्रशिक्षण		०५ दिवस
		४-	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग		०५ दिवस
४-	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	चयनित अध्यापक	०५ दिवस

द्वितीय वर्ष :-

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१-	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१-	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२-	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३-	शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५-	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६-	शिक्षण अभिगम समन्वय निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२-	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१-	विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३-	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५-	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३-	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	सेवारत अध्यापक	२० दिवस
		१-	सेवारत शिक्षक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०७ दिवस
		२-	कम्प्यूटर का शिक्षण में उपयोग प्रशिक्षण		०३ दिवस
		३-	गणित/विज्ञान विषय का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०६ दिवस
		४-	बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण		०४ दिवस

तृतीय वर्ष :-

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१-	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१-	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२-	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३-	शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५-	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६-	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२-	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१-	विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३-	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५-	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३-	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण	सेवारत अध्यापक	२० दिवस
		१-	बहुकक्षा शिक्षण पुनर्बोधत्मक		०३ दिवस
		२-	उपचारात्मक शिक्षण		०३ दिवस
		३-	कम्प्यूटर का शिक्षण में उपयोग पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण		०२ दिवस
		४-	शिक्षक संदर्शिका आधारित पाठ-संकेत निर्माण अ		०५ दिवस

			लाव्ययी		
		५-	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
		६-	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण		०४ दिवस
४-	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	नयनित अध्यापक	०५ दिवस

चतुर्थ वर्ष :-

क्र०सं०	कार्यक्रम		शोर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१-	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१-	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२-	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३-	शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५-	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६-	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२-	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१-	विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३-	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५-	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस

३-	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण	सेवारत अध्यापक	२० दिवस
		१-	हिन्दी भाषा शिक्षण		०४ दिवस
		२-	संस्कृत भाषा शिक्षण		०३ दिवस
		३-	अंग्रेजी भाषा शिक्षण		०३ दिवस
		४-	परिवेशीय अध्ययन शिक्षण प्रशिक्षण		०३ दिवस
		५-	आदर्श पाठ निर्माण व प्रस्तुति		०४ दिवस
		६-	गणत एवं व्यापक मूल्यांकन पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस

पंचम वर्ष :-

क्र.सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१-	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१-	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२-	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३-	शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	शिक्षक मर्यादाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५-	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६-	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२-	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१-	विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३-	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५-	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस

3-	प्रशिक्षण	६-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
			सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण		
		१-	संस्कृत, अंग्रेजी भाषा पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	०५ दिवस
		२-	हिन्दी भाषा पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		३-	परिवेशीय अध्ययन पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		५-	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग कार्यशा ला		०३ दिवस
		६-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
४-	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा	चयनित अध्यापक	०५ दिवस

छटवाँ वर्ष :-

क्र.सं.	कार्यक्रम	शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस	
१-	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस	
		१-	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२-	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३-	शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाळा	५-	पर्यावरण का प्रशिक्षण कार्यशाळा		०३ दिवस
	कार्यशाळा	६-	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाळा		०३ दिवस
२-	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस	
		१-	विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव व प्रभावी ने		०३ दिवस

			तृत्व प्रशिक्षण		
		२-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३-	शिक्षक सदसिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५-	बहुवक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३-	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण		
		१-	गणित विज्ञान प्रशिक्षण		०६ दिवस
		२-	शिक्षक सदसिकाओं का प्रयोग पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण		०६ दिवस
		३-	नवाचार प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	कम्प्यूटर, का शिक्षण में उपयोग पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण		०५ दिवस
४-	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	चयनित अध्यापक	०५ दिवस

सप्तम् वर्षः—

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१-	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१-	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२-	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३-	शैक्षिक गानन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	शिक्षक सदसिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५-	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस

	कार्यशाला	१-	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२-	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१-	विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३-	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५-	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३-	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण		२० दिवस
		१-	आदर्श प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला		०५ दिवस
		२-	सामाजिक विज्ञान व गणित शिक्षण प्रशिक्षण		०५ दिवस
		३-	पाठ्यवार शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग कार्यशाला		०३ दिवस
		४-	उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था		०३ दिवस
		५-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		६-	क्रियात्मक शोध		०२ दिवस

अष्टम वर्ष:-

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१-	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१-	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२-	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३-	शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५-	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६	शिक्षण अभिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२-	प्रशिक्षण		प्रभावनाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१-	विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव व प्रभावी ने तृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२-	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३-	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४-	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५-	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६-	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३-	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण		२० दिवस
		१-	विज्ञान व भाषा का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०६ दिवस
		२-	शिक्षक संदर्शिकाओं का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०६ दिवस
		३-	नवाचार प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४-	परिचालनीय अध्ययन पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		५-	मापन एवं मूल्यांकन		०२ दिवस

अन्य प्रशिक्षण

(१) ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :-

०-६ वय वर्ग के बच्चों के लिए ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की व्यवस्था का प्रावधान है। इनके लिए कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में ४० प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास लगाया जायेगा और इसके अतिरिक्त ५ केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जायेगा।

(२) इसके अतिरिक्त शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गाँव के ८ सदस्यों को, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसका अनुमानित बजट ३० रुपये प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित होगा।

एस०एस०ए० परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा।

शिक्षण — समय— प्रबन्धन :-

नई पाठ्य —पुस्तकों की रचना शिक्षकों एवं विशेषज्ञों ने व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टि में रखकर की है। यदि हम यह मान लें कि हमारे स्कूल लगभग २२० दिन खुलते हैं अतिरिक्त कार्यों हेतु लगभग ६० दिन निकल जाते हैं तो भी १६० कार्य दिवस मिल ही जाते हैं। इसका कुल विवरण इस प्रकार है।

कक्षा १ से ५ तक कुल पाठ लगभग (भाषा किरण, गणित, ज्ञान—विज्ञान, हमारा समाज, हमारा परिवेश)	२५४ पाठ	
कक्षा— ३ से ५ तक अंग्रेजी और संस्कृत लगभग	७२ पाठ	
	३२६ पाठ	

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
कुल कार्य दिवस (अवकाश के बाद)	२२० दिन	२२० दिन
आतिथ्यित कार्य दिवस (बैंक, अन्य सरकारी कार्य आदि)	६० दिन	६० दिन
कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्ध दिन	१६० दिन	१६० दिन
कक्षा शिक्षण हेतु कुल वादन	१६० ग ८ वादन	१६० ग ८ वादन
अब प्रत्येक पाठ के लिए मिलने वाला समय	१२८० इ३२६	१२८० इ३२६
	४ वादन लगभग	४ वादन

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत

शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन में डायट की भूमिका :-

१- अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :-

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत, विद्यालय अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण अनुश्रवण तथा मूल्यांकन द्वारा विभिन्न स्तरीय कर्मियों की क्षमता का विकास डायट द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्रियात्मक शोध नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, शिक्षण अभिगम सामग्री विकास, ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का विश्लेषण आदि दायित्वों का निर्वहन डायट द्वारा किया जायेगा।

२- क्रियात्मक शोध :- डायट द्वारा बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि

शिक्षक स्वयं अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूढ़ने में सफल हो सकें। जनपदीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप डायट विभिन्न क्षेत्रों जैसे पाठ्यक्रम,

कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंध, एवं मूल्यांकन आदि में वास्तविक स्थिति का आकलन कर व्यवहारिक कठिनाईयों के परिपेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियान्वयक शोध करके प्राथमिक शिक्षकों को क्षेत्रीय कार्यकताओं, शिक्षक प्रशिक्षक, समन्वयकों तक पहुंचाया जायेगा। डायट की भूमिका मुख्यतः एगेशन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं को मूल्यांकन रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

३- कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन :-

विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएं व गोष्ठियां डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी, अकादमिक केंद्र टीम की बैठक भी प्रतिमाह २ बार उप-प्राचार्य की अध्यक्षता में डायट पर आयोजित होंगी। जिसमें बी०आर०सी०, ए०पी०आर०सी० स्तर से प्राथमिक शिक्षक मुद्दों पर विरोध रूप से विचार विमर्श व समाधान सुझाया जायेगा।

४- वरिष्ठ प्रवक्ताओं / प्रवक्ताओं को ब्लॉक प्रभारी बनाकर उन्हें अपने कार्य के प्रति जवाब

देह बनाना :-

डायट द्वारा शैक्षिक गैरों व अनुसूचित वर्ग प्रदान करने हेतु अपने वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ताओं को मंत्र्य नियुक्त किया गया है जो अपने-अपने ब्लॉक में शैक्षिक मुद्दों का पहचान कर शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करते हैं। बी०आर०सी० का मूल्यांकन व श्रेणीकरण भी उन्हें पर्याप्त आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

५- शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास :-

शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण प्रयोग व विकास हेतु डायट स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षा-गुणवत्ता उन्नयन वर्ग को उसके उच्चतम श्रेणियों की प्राप्ति के लिए डायट प्रत्येक स्तर पर प्रयासरत है। इस हेतु प्रत्येक शैक्षिक वर्ष ५००

वर्ष	२००३-०४	२००४-०५	२००५-०६	२००६-०७	२००७-०८	२००८-०९	२००९-१०	—	—
प्रारंभिक शिक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उच्च शिक्षण	—	—	—	—	—	—	—	—	—

विद्यार्थियों के अभाव को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विषयों को निरस्त किया जायेगा / शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर गलेगी /

६- मूल्यांकन :-

बच्चों में शैक्षिक , सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी एक प्रणाली का विकास किया गया है। डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर इसका प्रयोग सुनिश्चित कराया जा रहा है।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्था

क्र०सं०	नाम पुरस्कार/प्रोत्साहन प्राप्तकर्ता	धनराशि
१-	जनपद में सर्वश्रेष्ठ दो बी०आर०सी०	प्रत्येक को रूपये १०,०००.००
२-	प्रत्येक विकास खण्ड का एक सर्वश्रेष्ठ एन०पी०आर०सी०	प्रत्येक को रूपये ७,०००.००
३-	प्रत्येक विकास खण्ड की सर्वश्रेष्ठ एक ग्राग शिक्षा समिति को	प्रत्येक को रूपये ५,०००.००
४-	प्रत्येक विकास खण्ड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक/शिक्षामित्र को	प्रत्येक को रूपये १,०००.००

पुरस्कार में प्राप्त धनराशि का उपयोग बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण, एकसपोजर विजिट पर किया जायेगा।

डायट पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण/कार्यशाला एक दृष्टि में

क्र०सं०	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
१-	विजानिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य डी०पी०ओ० स्टाफ, ए०बी०ए स०ए०/एस०डी०आई०, बी०आर०सी० समन्वयक	०४ दिवस
२-	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	नूने हुए प्रशिक्षक	१० दिवस
३-	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र/आचार्य जी	
क-	आधारभूत प्रशिक्षण		३० दिवस
ख-	पुनर्बाधात्मक प्रशिक्षण		२० दिवस

४-	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	
क-	आधारभूत प्रशिक्षण		३० दिवस
ख-	पुनर्बोधार्थक प्रशिक्षण		२० दिवस
५-	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक	३० दिवस
६-	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०३ दिवस
७-	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई०सी०सी०ई०केन्द्र की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाएँ	०५ दिवस
८-	ए०बी०एस०ए०, एस०डी०आई० का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०, एस०डी०आई०	०५ दिवस
९-	प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
१०-	ग्राम शिक्षा-समितियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०जी० के सदस्य	०३ दिवस
११-	समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	०५ दिवस
१२-	बालिका शिक्षा हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०३ दिवस
१३-	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०३ दिवस
१४-	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०३ दिवस
१५-	उपर्युक्त प्रशिक्षणों के मूल्यांकन विषयक कार्यशाला	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०२ दिवस

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण

अतिरिक्त प्रशिक्षण

क्र० सं०	वर्ष	कार्य का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
1	प्रथम	कार्यशाला/सेमिनार	क. आवश्यकताओं का आंकलन	स०अध्यापक, प्र० अध्यापक, ए०बी०एस०ए०	1 दिवसीय
			ख. शिक्षक अधिगम सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला	समस्त अध्यापक	4 दिवसीय
		प्रतियोगिता	क. आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण	एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. विषय आधारित क्विज	स०अ०	1 दिवसीय
			ग. सुलेख प्रतियोगिता	छात्रों के मध्य	1 दिवसीय
2	द्वितीय	प्रतियोगिता	क. पाठ निर्माण योजना	बी.आर.सी., एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. कविता पाठ	छात्र	1 दिवसीय
3	तृतीय	प्रतियोगिता	क. आदर्श विद्यालय विकास	बी.आर.सी., एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय

			ख. स्रुति लेख	छात्र	1 दिवसीय
4	चतुर्थ	प्रतियोगिता	क. गणित मेला	स0अ0	1 दिवसीय
			ख. सुलेख	छात्र	1 दिवसीय
			ग. विषयाधारित क्विज	बी.आर.सी., एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
5	पंचम	प्रतियोगिता	क. टी.एल.एम. निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
			ख. विज्ञान	छात्र	1 दिवसीय
6	षष्ठम	प्रतियोगिता	क. सामान्य ज्ञान	छात्र	1 दिवसीय
			ख. आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण	बी.आर.सी. एन.पी. आर.सी.	1 दिवसीय
			ग. टी.एल.एम. निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
7	सप्तम	प्रतियोगिता	क. आदर्श विद्यालय विकास	बी.आर.सी. एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. बाल समाचार पत्र व भित्ती चित्र निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
			ग. कला	छात्र	1 दिवसीय

उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण

अतिरिक्त प्रशिक्षण

क्र० सं०	वर्ष	कार्य का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
1	प्रथम	कार्यशाला/सेमिनार	क. आवश्यकताओं का आंकलन	स०अध्यापक, प्र० अध्यापक, ए०बी०एस०ए०	1 दिवसीय
			ख. शिक्षक अधिगम सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला	समस्त अध्यापक	4 दिवसीय
		प्रतियोगिता	क. आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण	एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी.	1 दिवसीय
		ख. विषय आधारित क्विज	स०अ०	1 दिवसीय	
		ग. सुलेख प्रतियोगिता	छात्रों के मध्य	1 दिवसीय	
2	द्वितीय	प्रतियोगिता	क. पाठ निर्माण योजना	बी.आर.सी., एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. कविता पाठ	छात्र	1 दिवसीय
3	तृतीय	प्रतियोगिता	क. आदर्श विद्यालय विकास	बी.आर.सी., एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय

			ख. स्रुति लेख	छात्र	1 दिवसीय
4	चतुर्थ	प्रतियोगिता	क. गणित मेला	स0अ0	1 दिवसीय
			ख. सुलेख	छात्र	1 दिवसीय
			ग. विषयाधारित विचज	बी.आर.सी., एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
5	पंचम	प्रतियोगिता	क. टी.एल.एम. निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
			ख. विज्ञान	छात्र	1 दिवसीय
6	षष्ठम	प्रतियोगिता	क. सामान्य ज्ञान	छात्र	1 दिवसीय
			ख. आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण	बी.आर.सी. एन. पी. आर.सी.	1 दिवसीय
			ग. टी.एल.एम. निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
7	सप्तम	प्रतियोगिता	क. आदर्श विद्यालय विकास	बी.आर.सी. एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. बाल समाचार पत्र व भित्ती चित्र निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
			ग. कला	छात्र	1 दिवसीय

अध्याय –10

परियोजना प्रबन्धन :-

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन 30 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित करने का प्रस्ताव है।

प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी की यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। समय समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

परियोजना की निर्णायक समितियाँ :-

ग्राम शिक्षा समितियाँ :-

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1672 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

❖ ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष

❖ ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल :

का मुख्य अध्यापक और यदि वहां 1

से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य

अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य

सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।

❖ बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक : सदस्य

(जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा

नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

अधिकार एवं दायित्व :-

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी :-

- पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों का सम्पादन, उनका प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना ।
- ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएँ तैयार करना ।
- पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रोढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना ।
- बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिय आवश्यक समझें जायें ।

- पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल केक किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें । उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही हैं, जिसमें विद्यालय भवनों, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, शौचालय आदि का निर्माण तथा पुनर्निर्माण एवं मरम्मत, विद्यालय परिसर का उन्नयन, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है । ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है तथा विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में इन समितियों ने आशातीत वृद्धि प्राप्त की है ।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सभी ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समिति ने सभी ग्राम सभाओं में माइक्रोप्लानिंग के पश्चात ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा गाँव स्तर पर विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा । ग्राम शिक्षा समिति को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्राथमिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके । कार्यक्रम में सक्रिय समुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिये पी० टी० ए० , एम० टी० ए० महिला प्रेरक समूह भी स्थापित किये जायेगे ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है शिक्षा मित्रों ,अनुदेशकों, आचार्यों, की नियुक्ति तथा इनके और आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के

वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन० पी० आर० सी०):-

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन० पी० आर० सी०) के कार्य एवं दायित्व निम्नलिखित हैं:-

- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
- अध्यापकों को पाक्षिक बैठक करना तथा शैक्षिक कठिनाइयों पर विचार विमर्श, निस्कारण करना।
- ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालयों गुणवत्ता सुधार।
- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहाकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारित अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी हैं।

- ब्लाक प्रमुख - अध्यक्ष
- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस० डी० आई० - सदस्य सचिव

➤ विकास खण्ड का एक प्रधान – सदस्य

➤ विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक – सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना । जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा । यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जे० जी० एस० वाई० के लिये आंबटित धनराशि में से प्राथमिक शिक्षा के लिये प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी । इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक होनी अनिवार्य है ।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगें । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगें । विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों को मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी । विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगें ।

प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :-

- ✓ एस0 एस0 ए0 की नितियो एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।
- ✓ विद्यालय भवन निर्माण का पर्यवेक्षण ।
- ✓ ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना ।
- ✓ ब्लाक परियोजना समिति की बैठक में उसके निर्णयों का पालन ।
- ✓ शैक्षिक ऑकड़ों का एकत्रिकरण ।
- ✓ छात्रवृत्ति वितरण ।
- ✓ खाद्यान्न वितरण तथा सूचना संकलन ।
- ✓ विद्यालय के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण ।
- ✓ विद्यालय निरीक्षण तथा गुणवत्ता में सुधार ।
- ✓ विद्यालय में मानक के अनुसार छात्र अध्यापक अनुपात बनाये रखना तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ।
- ✓ ग्राम तथा ब्लाक शिक्षा समितियों के बीच समन्वय ।
- ✓ अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा भुगतान सुनिश्चित करना ।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0 आर0 सी0):-

जनपद में 6 ब्लाकों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण पूरा होने को है । समन्वयकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण भी हो चुके है दो सहसमन्वयकों में से एक सहसमन्वयक को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के

परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण के, सूचना संकलन, सांख्यिक संकलन, बैठको के आयोजन व अनुश्रवण हेतु सम्बद्ध किया गया है।

कार्य एवं दायित्व :-

- अध्यापको को अभिनवीकरण देना ।
- विद्यालयो का एकेडमिक पर्यवेक्षण ।
- विकास खण्ड की एकेडमिक आवश्यकताओ का आंकलन करना ।
- ब्लाक स्तर पर ए0 आर0 जी 0 गठन ।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र व डायट के बीच सर्पक सूत्र के रूप
- ब्लाक स्तर अधिकारियो व अन्य विभागीय अधिकारियो के बीच समन्वय ।
- विकास खण्ड में स्कूल के बाहर बच्चो का बस्तिवार व नामवार कम्प्यूटर संकलन ।
- ब्लाक की सांख्यिकी का एकत्रिकरण व सैम्पेल चैकिंग

जनपद स्तरीय समिति:-

एस0 एस0 ए0 के अन्तर्गत नीति एवं रणनीतियो क निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा

परियोजना समिति है जिसकी समिति का गठन निम्नवत है :-

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| 3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 4. प्राचार्य डायट | सदस्य |

- | | |
|---|------|
| 5. जिला श्रम अधिकारी | सरदय |
| 6. जिला समाज कल्याण अधिकारी | सरदय |
| 7. वित्त एवं लेखधिकारी वे० शि० | सरदय |
| 8. अधिशासी अभियंता (आर० ई० एस०) | सरदय |
| 9. अधिशासी अभियंता (पी० डब्ल्यू० डी०) | सरदय |
| 10. जिला विद्यालय निरीक्षक | सरदय |
| 11. दो शिक्षाविद्(महाविद्यालय से) | सरदय |
| 12. दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम में (एक वर्ष के लिये) | |
| 13. दो शिक्षक (राष्ट्रीय /राज्य पुरस्कार प्राप्त) | |
| 14. स्वेच्छिक संगठन क दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित) | |

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :-

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है । जिले स्तर पर उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है । रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में इसके निर्णय सभी प्राशासनिक एवं शैक्षिक अगों का मनने होंगे । प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगे । यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई० जी० एस०/ए० आई० ईव से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा ।

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :-

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे । इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमें आवश्यकस्टाफ के पद उ० प्र० सभी शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर तैनाती की जायेगी ।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे :-

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना अधिकारी
- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी 1 (प्रतिनियुक्ति पर) (ई० जी० एस०/ए० आई० ई०)
- समन्वयक (बालिका शिक्षा, सामुदायिक 4 (प्रतिनियुक्ति पर अथवा नियत मानदेय के गतिशीलता, वैकल्पिक शिक्षा, समेकित आधार पर) शिक्षा)
- सलाहाकार 2 ₹० 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
- कम्प्यूटर ऑपरेटर 1 ₹० 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
- सहायक लेखाधिकारी 1 (प्रतिनियुक्ति पर)
- लिपिक 1 नियत मान देय के आधार पर
- परिचारक 1 नियत मानदेय के आधार पर

एजुकेशनल मैनेजमेण्ट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यक्रम में एम0 आई0 एस0 स्थापित किया जायेगा । बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0 आई0 एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राइमरी स्तर का साफ्ट वेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है । उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चिकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रशिक्षण:-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0 एम0 आई0 एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी ऑकडो के दो प्रतिशत सेमिनल चेंकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण दिया जायेगा । जिससे आकडों की शुद्धता की जाँच हो सके ।

➤ ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर यह प्रतिशत दो दिवसीय होगा और इसमें जिला पर)

परियोजना अधिकारी तथा उसका स्टाफ, कम्प्यूटर

आपरेटर, लेखा स्टाफ भाग लेगा ।

➤ ई0 एम0 आई0 एस0 (ब्लाक स्तर पर) यह प्रशिक्षण भी दो दिवसीय होगा और इसमें सहा0 बे0

शि0 अ0/उप विद्या0 निरिक्षण, बी0 आर0सी0

समन्वयक, सह समन्वयक प्रतिभागी होंगे ।

➤ ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण यह प्रशिक्षण भी दो दिवसीय होगा इसमें न्याय पंचायत

न्याय पंचायत स्तर पर

संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के

प्रधानाध्यापक भाग लेंगे ।

- ई0 एम0 आई0 एस0 तथा प्रोजेक्ट एस0 पी0 ओ0 /सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण दो सप्ताह मैनेजमेंटका प्रशिक्षण का होगा इसमें डी0 पी0 ओ0 तथा बी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर आपरेटरर्स भाग लेंगे । प्रथम सप्ताह में ई0 एम0 आई0 एस0 प्रबन्धन तथा दूसरे सप्ताह में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्डीकेंटर्स तथा सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायगा ।

ऑकडो का उपयोग :-

ई0 एम0 आई0 एस0 व माइक्रोप्लानिंग ऑकडो का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जा सकेगा ।

- नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बरितियों की पहचान ।
- शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बरितियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बरितियों की प्राथमिकता का निर्धारण ।
- छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान ।
- एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण ।
- छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान ।
- बलिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों, न्याय पंचायतों निकायों का चिन्हीकरण ।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन ।
- अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आकलन व निर्धारण ।

- शिक्षकों का वितरण ।
- विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर ।
- विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम्स :-

एम0 आई0 एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्टें प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रम में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कम्प्यूटाइज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग में लाया जायेगा । इसके लिये भी एम0 आई0 एस0 इकाई प्रयोग में लायी जायेगी ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो आफ फण्ड)


प्रतिवर्ष फरवरी में जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । स्टेमेंट के एप्रैजल के पश्चात तथा 30 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा घनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी । प्रशिक्षण अकादमिक, पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु

धनराशि डायट द्वारा बी० आर० सी० , एन० पी० आर० सी० को उपलब्ध करायी जायेगी निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा ,आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति , स्वयंसेवी संस्थाओं , अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता रहेगा जो प्री० प्रोजेक्ट एक्जीविटिज की धनराशि के लिये खोला जा चुका है यह खाता बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रचालित किया जायेगा । सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिर्धारित है । अतः रु० 5,000 /- मूल्य से अधिक सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है । इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है । डायट का बैंक खाता भी डायट प्राचार्य तथा उस संस्थान के लेखा सम्बन्धित अधिकारी , कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा । ब्लाक संस्थान केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के स्तर पर भी परियोजना सम्बन्धी खाता खुला है जिसका परिचालन उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार किया जा रहा है । वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के नियम स्पष्टतः निर्धारित है परचेज तथा प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो इस परियोजना में भी अपनाये जायें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी समस्त लेखा सम्बन्धी स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली में प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-2 पर रीफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे । जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा । सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी ।

फण्ड फ्लो डाइग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय



सम्प्रेक्षण व्यवस्था :-

उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डैपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्मस आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रति वर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> • District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ट विद्यालय जिनके पास Expert हैं तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताएँ हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	<p>भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत-प्रतिशत अनुदान हेतु।</p> <ul style="list-style-type: none"> • पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। <p>अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से अच्छादित किया जाना आवश्यक है।</p>
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्तरों सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल-कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी.एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैच्छिक संस्थाएँ एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत-प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्य के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियाँ का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

Annual Work Plan and Budget

BAGHPAT

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2003-2004	
			Phy	Fin
	A ACCESS			
CW-13	A1 New Primary School Unserved	259	11	2849
CW-14	A2 New Upper Primary Schools	451	25	7000
ST-75	A3 Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0
ST-76	A4 Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	39	4680
	A5 Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	11	148.5
ST-79	A6 Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	11	594
ST-80	A7 Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	75	4500
	A8 Teaching Learning Equipment		0	
TLE-87	A8.1 PS	10	11	110
TLE-88	A8.2 UPS	50	25	1250
TLE-88a	A9 TLE UPS not covered OBB	50	0	0
	A10 Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total	0	0	21131.5
	Interventions for out of school children		0	
	A11 Alternative Schools		0	
EGS	A11.1 EGS (for 25 child per center))	0.845	0	0
EGS	A11.2 Honraria	1	0	0
EGS	A11.3 Training	1.5	0	0
EGS	A11.4 Contingency	0.468	0	0
EGS	A11.5 Equipment	1.76	0	0
EGS	A11.6 Adm. & Management Cost	6.056	0	0
AIE-31	A12 AIE/ Primary-including all models of DPER(per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0
AIE-32	A13 AIE Upper Primary	1.2	18	648
	A14 Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0
AIE-33	A15 Bridge/Remedial course PS	180	1	180
AIE-32.1	A16 Bridge Course at NPRC level	0.845	46	1554.8
	A17 Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0
Cw-25	A18 Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	23514.30
	R RETENTION		0	
Cw-19	R1 Reconstruction - PS	191	0	0
Cw-20	R2 Reconstruction - UPS	383	0	0
	R3 Additional Classrooms		0	
Cw-15	R3.1 Additional Classroom Primary Schools	70	0	0
CW-16	R3.2 Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	4	280
Cw-18	R4.1 Toilets Upper Primary	10	9	90
Cw-17	R4.2 Toilets Primary	10	0	0
Cw-21	R5.1 Drinking Water Primary	15	0	0
Cw-22	R5.2 Drinking Water Upper Primary	15	0	0
MAIN-57	R6.1 Repair & Maintenance of School Primary	5	454	2270
Main-58	R6.2 Repair & Maintenance of School UPS	5	75	375
ST-77	R7.1 Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
ST-78	R7.2 Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2.25	0	0
ST-81	R7.3 Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
ST-82	R7.4 Salary of Fresh SM(PS)	2.25	0	0
ST-83	R7.5 Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0
SG-73	R10.1 School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	20	40
SG-74	R10.2 School Improvement grant(p.a./school) UPS	2	168	336
IA-GE	R12 Promoting Girls Education		0	
	R12.1 Summer Camps	4.5	0	0
	R12.2 MCDA	75	0	0
	R12.3 Meena Manch	4	0	0
	R12.4 SUPW for Girls Per School	25	0	0
	R12.5 Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
	Strengthening ICDS centers		0	
IA-ECCE	R13.1 Development & Distribution of ECCE Materials		0	
	R13.2 TLM(per center)	5	0	0
	R13.3 Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0
	R13.4 Contingency(per center)	1.5	0	0
	R13.5 Training		0	
	R13.5a Induction & Recurring	0.07	0	0
	R16 Community Mobilization		0	
	R16.1 MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0
	R16.2 Bat Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0
S-VEC-92	R16.3 Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	0	0
	R17 Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0
	R18 Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
IA_SC/ST	R19 Special interventions for SC/ST children	66.7	0	0
IA-CE	R20 Computer Edu. For UPS(equip)/UPS-innovative Prog.	60	10	5000
	R21 School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	8391
	Q QUALITY IMPROVEMENT		0	
	Q1 Training Programmes		0	
TT-89	Q1.1 Induction Training for Shiksha Mitra/(perseon for 30 days)	2.1	11	23.1
TT-90	Q1.2 Induction Trg. For Asst. Teacher/(person for 30 days)	0.07	0	0
TT-90	Q1.3 In-service Teachers Trg. ((person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	69	96.6
TT-91	Q1.4 In-service Teachers Trg. ((person for 20 days) UPS	1.05	436	457.8
TT-90	Q1.5 In-service Teachers Shiksha Mitra/(personfor 20 days)	0.07	0	0
	Q1.6 Induction Training of EGS & AIE workers/(person for 30 days)	0.07	0	0
TT-90	Q1.7 Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators/(person for 10 days)	0.07	0	0
TT-90	Q1.8 Trg. Of NPRC coordinators/(person for 10 days)	0.07	0	0
	Q1.9 Trg. Of resource persons at DIET/(person for 20 days)	0.07	0	0
	Q.10 ABSA/SDI Trg. /(person for 5 days)	0.07	0	0
IED	Q2 IED Provision for disable children	1.2	1038	1243.2
	Q2.1 IED-Medical Assessment	2.3	0	0
	Q2.2 Printing of Modules	9	0	0
	Q2.3 Funds for NGOs	300	0	0

	Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0
	Q2.5	Support Services	5	0	0
	Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0
	Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0
	Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0
	Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0
	Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0
	Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0
	Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0
	Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0
	Q3	AWPB Review & Trg. Of Ptg Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
	Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
	Q5	Teacher Learning Material		0	
TG-84	Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	160	80
TG-85	Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1156	578
FTB-34	Q5.3	Free Text book PS	0.05	4770	238.5
FTB-35	Q5.4	Free Text book UPS	0.15	11763	1764.45
	Q5.5	School Library	0.15	0	0
	Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0
	Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
	Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
	Q5.9	Schools Awards	25	0	0
		QUALITY	Sub Total	0	4481.65
	C	CAPACITY BUILDING		0	
S-DIET	C1	DIET Capacity Building		0	
S-DIET	C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
S-DIET	C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
S-DIET	C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
S-DIET	C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0
S-DIET	C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
S-DIET	C1.6	Hiring	25	0	0
S-DIET	C1.7	POL and Maintenance of Vehicle	80	0	0
S-DIET	C1.8	Seminar	200	0	0
S-DIET	C1.9	Research/Action Research	200	0	0
S-DIET	C1.10	Exposure Visit	50	0	0
S-DIET	C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
S-DIET	C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
S-DIET	C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
S-DIET	C1.14	Contingency	50	0	0
	C2	Block Resource Center		0	
	C2.1	Civil Construction	800	0	0
	C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
BRC-1	C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0
BRC-2	C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
BRC-3	C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
BRC-4	C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	6	36
BRC-5	C2.7	Maintenance of Equipment	2	0	0
BRC-6	C2.8	Maintenance of Building	10	0	0
BRC-7	C2.9	TLM(per center)	5	6	30
	C2.10	Consumables	5.0	0	0
	C2.11	Contingency	12.5	6	75
	C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
	C2.13	Contingency - ABSA	5.0	0	0
	C3	School Complex (NPRC)		0	0
	C3.1	Construction	70	0	0
BRC-9	C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
CRC-8	C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0
CRC-10	C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	46	46
CRC-11	C3.4	Contingency	2.5	46	115
CRC-12	C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	46	110.4
JPO	C4	District Project Office/Management		0	0
DPO	C4.1	Staffing		0	0
DPO	C4.2	BSA/AO/DC	15	0	0
DPO	C4.3	Salary of AE	15	1	180
DPO	C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
DPO	C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
DPO	C4.6	Books/Magazine/News papers	10	1	10
DPO	C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
DPO	C4.8	Travelling Allowances	10	7	70
DPO	C4.9	Consumables	40	1	40
DPO	C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
DPO	C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
DPO	C4.12	Pay to JE	10	6	720
DPO	C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
RME-71	C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.5	0	0
RME-72	C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	88	123.2
DPO	C4.16	Contingency	100	1	100
DPO	C4.17	AWP & B	10	1	10
		Total		0	1865.6
	C5	MIS		0	
EMIS	C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	200
	C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
	C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
	C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
	C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
	C5.6	Computer Software	20	0	0
	C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0
	C5.8	Printing & Distribution of Data Formats	40	0	0
	C5.9	Maint. of Equip. & Consumables	20	0	0
	C5.10	Computer Consumable	25	0	0
	C5.11	Training Of Computer Staff	10	0	0
	C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0
		CAPACITY	Sub Total	0	2065.6
		GRAND TOTAL		0	38452.55

